राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का साठवां दिवस [संख्या : 22

गुरुवार,

26 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

516. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल एवं थ्री फेज बिजली कितने घंटे देने का वादा किया गया था?

(2) वर्ष 2009 से 2011 तक सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कितने समय सिंगल व थ्री फेज बिजली उपलब्ध कराई गई?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मस्जिद शहीद की गई है, मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्नकाल चलने दें। यह परम्पराएं उपयुक्त नहीं हैं। माननीय सदस्य, यह परम्परा उपयुक्त नहीं है, कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैं आपको अलग से समय दे दूंगा लेकिन इस समय प्रश्नकाल को चलने दीजिए। आप कृपया प्रश्नकाल चलने दें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया है कि नियमानुसार मैं अलग से समय दे दूंगा, प्रश्न काल चलने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चल जाने दीजिए, मेहरबानी करके प्रश्नकाल चल जाने दीजिए। ऊर्जा मंत्रीजी।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह**)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में थ्री फेज विद्युत आपूर्ति 8 घंटे उपलब्ध कराने एवं सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति शहरों की भांति 24 घंटे उपलब्ध कराने का प्रयास करने का सरकार द्वारा संकल्प किया गया था।

(2) वर्षवार ग्रामीण क्षेत्रों में थ्री फेज एवं सिंगल फेज विद्युत सप्लाई का समय निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011
थ्री फेज रबी की सिंचाई हेतु	6.30-7.00 घंटे	6.30-7.00 घंटे	6.00-7.00 घंटे
सिंगल फेज (विद्युत छीजत 20 प्रतिशत से कम वाले फीडरों पर)	24 घंटे	18-22 घंटे	18-22 घंटे
सिंगल फेज (विद्युत छीजत 20 प्रतिशत से अधिक वाले फीडरों पर)	13 घंटे	13 घंटे	12 से 18 घंटे

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, जो मंत्रिमण्डल का एजेंडा भी है, उसमें पैरा 6, ऊर्जा में लिखा है कि कृषि कार्यों के लिये किसानों को 8 घंटे प्रति दिन के हिसाब से सस्ती दरों पर निरन्तर एवं नियमित रूप से बिजली उपलब्ध करायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बता दें कि इस मंत्रिमण्डल के एजेंडे के निर्णय को सरकार कब तक लागू करने का विचार रखती है? रखती है या नहीं रखती है? दूसरा, यह बता दें कि राजस्थान में कुल कितने फीडर हैं एवं उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों में 20 परसेंट से कम लासेज वाले कितने फीडर राजस्थान में हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी सर, इतने दिन से उपाध्यक्ष महोदय बैठ रहे थे, I am sorry.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आज ज्यादा लम्बे समय तक जाओगे तो लोग भूल जायेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने 8 घंटे के लिये कहा था, निश्चित रूप से 8 घंटे के लिये कहा था लेकिन जो ड्यूरेशन है, घोषणा पत्र का जो ड्यूरेशन है वह 5 वर्ष का है और हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) I am sorry, Sir. I beg your pardon. यह इतने दिन, 6 दिन क्या बैठ गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 घंटे का जो हमारा घोषणा पत्र था उसका कार्यक्रम सरकार ने बनाया। सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारे पूरे राजस्थान में हर तीन पंचायतों को एक 33 केवी फीडर से जोड़ा जाये और 11 केवी की लाइन एक-एक पंचायत को दी जाये। इस तरह से हमने अभी तक 1063, 33 केवी के जी एस एस बनाये, 132 के 68 हमने बनाये, 220 केवी के ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं जी एस एस नहीं पूछ रहा, मंत्रीजी, मैं तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब तो आ जाने दीजिए। आपको संतुष्ट करने के लिये मंत्रीजी विस्तार से जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक चीज का उसमें जवाब है, क्या किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बिजली कहां से आयेगी 8 घंटे तक?

श्री अध्यक्ष: बहुत जरूरी है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): हमने 220 के 20 बनाये, 400 के 5 बनाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक बिजली का जनरेशन नहीं होगा तब तक हम 8 घंटे की कल्पना नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों में हमारे 3,674 मेगावाट का जनरेशन हुआ है जिसमें हमारे राज्य के जो इम्पोर्टेंट हैं, हमारे सूरतगढ़ थर्मल है उसमें 250 मेगावाट का बना, छबड़ा 250 मेगावाट का बना, कोटा 195 मेगावाट का बना और रामगढ़ 160 मेगावाट का बना। इस तरह से यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह जनरेशन का, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन का, यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारु रूप से हमारा कम्प्लीट हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार मैं कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हमने अभी यह निर्णय किया, राजस्थान इसी वित्तीय वर्ष में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो 24 घंटे की बात है, मैं कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में अभी भी अन्य राज्यों से अग्रणी है। आप कम्पेयर कर लीजिए नीयरबाई स्टेट्स को। कल ही महाराष्ट्र की मेम्बर आफ पार्लियामेंट मिली थीं, मध्य प्रदेश की थीं, अन्य राज्यों में मैं कम्पेयर नहीं करता लेकिन Rajasthan is still better than other States और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 24 घंटे गांवों को बिजली देंगे। (व्यवधान) मार्च, 2012, 2013, वह तो एक समय है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की थी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां कृषि क्षेत्र में बिजली के 8 घंटे का सवाल है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ओमजी, इनके जवाब से +++ हो जायेगी आपको।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 8 घंटे का जहां तक सवाल है, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा ...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपको +++ क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष: यह +++ सब काट दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक

(डा. जितेन्द्र सिंह)

गांवों में 8 घंटे बिजली देने का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि वाटर टेबल इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है और हमारे 200 ब्लाक डार्क हो चुके हैं तो क्या 6 घंटे बिजली देना उपयुक्त होगा, 8 घंटे बिजली देना उपयुक्त होगा? मैं माननीय सदस्यों से इस बारे में प्रश्न करता हूं। विशेष तौर से जो बिजली दी जायेगी, उसमें अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे एनर्जी एफिशिएंट पम्प हैं, थ्री एण्ड फाइव स्टार, वे लगाने पड़ेंगे, ड्रिप इर्रिगेशन पर जाना पड़ेगा, यह हमको सोचना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 घंटे एक चर्चा का विषय है, सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगी, हमारा जनरेशन 5,000 मेगावाट का 2013 तक हो जायेगा और राजस्थान इसके अन्दर आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन विषय यह है आपका सोचने का कि क्या किया जाए इसका?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो सवाल पूछे थे।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैंने एक सवाल पूछा था, आपने यह कह दिया कि यह घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के अनुसार, पानी भी मिलेगा। हम इस घोषणा पत्र को बेकार मानते हैं, इस घोषणा पत्र के अनुसार आप आठ घण्टे किसानों को बिजली नहीं देंगे, यह आपने घोषणा कर दी।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि राजस्थान में कुल कितने फीडर हैं, उनमें से कुल कितने फीडर ग्रामीण ऐसे हैं जिनमें लास 20 परसेंट से कम है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल, मैं विलेज वाइज बताता हूं...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): विलेज वाइज नहीं, संख्या बता दो आप तो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 39,357 गांव हैं, 20 परसेंट टी एण्ड डी लासेज से कम वाले 30,991 गांव हैं और 20 परसेंट से अधिक वाले 8,366 गांव हैं। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, this is the analysis.

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने अपने जवाब में यह कहा है कि 2009-10 में 6.30 से 7 घण्टे और 2010 में 6.30 से 7 घण्टे और 6 से 7 घण्टे। मैं इनके आर्डर को, अध्यक्ष महोदय, टेबल करना चाहता हूं, जो इनके निकाले हुए हैं। 4.4.10 का आर्डर है, जिसमें इन्होंने खुद ने कहा है, 5 घण्टे बिजली देने का। मैं दूसरा आर्डर और सब्मिट करना चाहता हूं 2009 का, जिसमें भी पांच घण्टे इनका आर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सांगोद से आने वाले विधायक भी और माननीय मंत्री भी बैठे हैं, मैं इनके इलाके की कनवास की एम आर आई रिपोर्ट टेबल करना चाहता हूं, जो इनके विभाग की है, जिसमें इन्होंने 19.9.2009 को 4-4 घण्टे थ्री फेज बिजली दी है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार सदन में +++ बोलने लग जाए...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द अपलोपित कर दिया जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): या तो मेरी टेबल की गई, इस आर्डर की कापी को सरकार कह दे, यह आर्डर गलत है, नकली बनाकर लाया हूं, एम आर आई रिपोर्ट गलत बनाकर लाया हूं, सरकार को मैं टेबल करता हूं, नहीं तो इस पर न्याय होना चाहिए, किसानों के साथ। 4 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी। जिस फीडर के प्रोगाम की बता रहे हैं, 30 हजार फीडर इनके 20 परसेंट से कम है, 30 हजार फीडरों में 20 परसेंट से लासेज कम हैं, आपने मई 2009 से लेकर फरवरी, अभी तक, क्या उनको 24 घण्टे बिजली दी थी? नम्बर एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ आर बी के तहत उन फीडरों पर 20 परसेंट से कम लासेज लाने के लिए सरकार ने क्या एक्शन प्लान किया?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब तो आ जाने दीजिए मूल प्रश्नकर्ता का।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): जैसा कि आपने कहा कि सी एम आर आई रिपोर्ट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सी एम आर आई रिपोर्ट का हमारे पास रिकार्ड होता है और यह आफिशियल रिकार्ड है, it is metered. उसमें मीटरिंग होता है और उसके अन्दर सुनिश्चित होता है कि बिजली कितनी आई है, it is recorded. यह सिर्फ टेबल करने से नहीं है, यह 60 दिन का हमारा अपना रिकार्ड होता है एम आर आई का। माननीय कोटा साउथ से आने वाले

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय सदस्य को अगर इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि 24 घण्टे आप कह रहे हैं बिजली देने के लिए, मैं पुराने रिकार्डस ला रहा हूं, मैं पुराने रिकार्ड में, I am not criticizing, Sir; I am not talking like this, सिंगल फेज बिजली, 2004-05 में 13 घण्टे दी गई, 05-06 में 12 घण्टे दी गई, 2006-07 में 11 घण्टे दी गई। इलेक्शन यीअर था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007-08 का, उसमें निश्चित रूप से 24 घण्टे दी गई। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, I am not criticizing, Sir, हम इलेक्शन की बात नहीं कह रहे, हम अगले साल से मई..

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चुनाव का साल होगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंशल यीअर की बात कर रहा हूं, मैं फाइनेंशल यीअर की बात कर रहा हूं कि मार्च 2013 से 24 घण्टे राजस्थान के गांवों में बिजली दी जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जो घोषणा पत्र तैयार किया था, वह पांच साल को ध्यान में रखकर किया था। अभी साढ़े तीन साल हो गया था, कुछ एवरेज आता होगा उसका एक। जब आप बता रहे हो कि हर साल आपको जितना मिल रही थी, उससे बिजली कम होती जा रही है। 2009-10 में आपने फीगर दिया, उससे 10-11 में कम हुई और 11-12 में उससे भी कम हुई, दोनों लाइनों पर, थ्री फेज भी और सिंगल फेज भी। आपने बताया था घण्टे के आधार पर, उसमें कमी आई। जब आपने फीडर सुधार किया, आपने अधिक बिजली पैदा की और जो आपने घोषणा पत्र ध्यान में रखकर किया, उसके बाद इन तीन सालों में इनमें गिरावट क्यों आई? इसमें अप क्यों नहीं हुआ?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बिजली की आवश्यकता किसान को सिर्फ इम्पोर्टेंटली रबी के सीजन में होती है; रबी का मतलब हो गया, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें हमारे गेहूं, सरसों की और चने की मेजर फसल होती हैं, उस वक्त किसान को आवश्यकता होती है। उस वक्त हमारा करीबन 1,500 से 1,600 लाख यूनिट प्रतिदिन का खर्च होता है और उसके अन्दर हम सुनिश्चित करते हैं कि किसान को निरन्तर 6

(डा. जितेन्द्र सिंह)

से 7 घण्टे बिजली उपलब्ध होती रहे। वह पर्टिकुलर पीरियड था जिसमें हमने 6.30 से 7 घण्टे तक दिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, आर्डर हैं आपके। 5 घण्टे के आपके आर्डर हैं खुद के निकाले हुए सरकार के। जब सरकार ही +++ बोलने लग जाए तो किसको कहने जाएं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सरकार +++ नहीं बोल रही।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तभी तो विधायक सवाल नहीं पूछते हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सरकार ने सुनिश्चित कहा था घोषणा पत्र में, 8 घण्टे बिजली देंगे, हम देंगे। हमने यह नहीं कहा था कि एक साल में 8 घण्टे देंगे। आप भी नहीं दे सकते। सरकार सुनिश्चित कर रही है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपने तो यह भी कहा था, बी जे पी के शासन काल के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): लास्ट यीअर में देंगे? (व्यवधान) लोगों को बिजली पांच साल के लास्ट यीअर में देंगे, यह कहा था क्या घोषणा पत्र में? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): रबी के सीजन में पांच घण्टे से ज्यादा जरूरत नहीं होती। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपने तो यह भी कहा था कि भाजपा सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 8 घण्टे बिजली देने का वादा किया था लेकिन 4-5 घण्टे केवल बिजली दी है। आपने तो यह अटैक करके राजस्थान के किसानों के साथ वोट लिए थे कि किसानों को बिजली बी जे पी ने नहीं दी, हम देंगे। इस आधार पर आपने वोट लिए थे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य ने ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रबी के सीजन में पांच घण्टे से ज्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी इन्कार नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं, बिजली देंगे। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं भी 'हां' कर रहा हूं, हम देंगे बिजली। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, यह खुद ही स्पष्ट कर दिया कि हम 2013 में बिजली देंगे, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने पिछले साल घोषणा की थी कि 2008 के दिसम्बर तक के पेंडिंग किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन देंगे, उसके बाद आपने बीच में रोक क्यों लगाई? आपने आधे ही दिए। उसके बाद में दिसम्बर 2008 तक नहीं दिए और सप्लाई है। मैं समझता हूं, आप जो उत्तर दे रहे हैं, वह जमीन पर नहीं रहा। बीच में बिजली, यह 24 घण्टे कहां बीच में रह गई? और जो एग्रीकल्चर की है, वह भी 6 घण्टे से ज्यादा कहीं भी तीन साल में नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: इस मिशन में लास और थैफ्ट कम करने के लिए ही तो सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं। सिस्टम इम्प्रूव करने का कारण वही है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सिस्टम इम्प्रूव करो तो बिजली दो ना। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले इसी सिस्टम से 24 घण्टे मिलती थी, अभी भी इसी सिस्टम से 12 घण्टे मिल सकती है। सिस्टम में कमी नहीं है, कमी है नीयत में। क्या सरकार इस नीयत को साफ कनेक्शन देने में, और सप्लाई गांव को इस गर्मी में भी 24 घण्टे आज की तारीख में भी नहीं मिल रही है। तो क्या 2013 में पूर्ववर्ती सरकार की तरह चुनावी वर्ष में ही देंगे या उससे पहले ही इस साल भी देने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: घोषणा पत्र पांच साल का है, पांच साल में इसको कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चुनाव में ही आपने दी थी और चुनाव में ही आप देंगे, तो यह तो जनता के साथ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो राज में आने नहीं हो, इनको भी नहीं आने दोगे? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, घोषणा भी यह करें और वापस पालना भी नहीं करें। आदेश पांच घण्टे का निकाला हुआ है और पांच घण्टे से ज्यादा कभी बिजली मिली नहीं, तो बिजली है कहां इनकी? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एम आर आई की रिपोर्ट टेबल करने के लिए कहा और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं, माननीय मंत्री महोदय के पास रिकार्ड

(डा. दिगम्बर सिंह)

कुछ और बोलता है। माननीय सदस्य के पास जो रिकार्ड है वह भी आफिशियल है, वह भी आफिशियल दस्तावेज है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदेश इन्हीं के द्वारा निकाले हुए हैं। (व्यवधान) पांच घण्टे के आदेश और चार घण्टे के आदेश भी आपके निकाले हुए हैं। (व्यवधान) घोषणा आप 8 घण्टे की कर रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय के पास गलत टेबुलेशन होता है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप तो यह बता दें कि अगले वर्ष भी 8 घण्टे बिजली दे पाएंगे किसानों को या नहीं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जो एक्चुअल बिजली जा रही है उसकी जांच कराइये। ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, यह भी आफिशियल रिपोर्ट है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार घण्टे वहां बिजली नहीं आई है, यह बिजली चार घण्टे रोज भी नहीं आई है। 6 घण्टे और 8 घण्टे का क्या कह रहे हैं, चार घण्टे भी नहीं आई। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): और मंत्रीजी जो ...(व्यवधान) सुना रहे हैं...(व्यवधान) कहीं न कहीं टेबुलेशन में गड़बड़ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पांच घण्टे बिजली मिलती है नहीं, गलत टेबुलेशन से कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी बता दें कि किसान 8 घण्टे के हिसाब से फसलें बोएं या 4 घण्टे के हिसाब से? (व्यवधान) अब यह तो बता दें कि अगले सीजन में किसान कैसे, क्या करें? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे टेबल कर दिया है, अब उनसे भी टेबल करवाएं और आप उसे कम्पेयर करें कि कौन सही है और कौन गलत है। यह तो साफ हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 4 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आई, आप 12 घण्टे कह रहे हैं! (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल गुर्जर। अगला प्रश्न, श्री रामलाल गुर्जर।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद भरतसिंहजी साथ गये थे सांगोद में, उनको लोगों ने कहा था कि बिजली नहीं मिल रही। ये बता दें कि इनके यहां... (व्यवधान) 8 घण्टे बिजली मिलती थी क्या? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की थी...(व्यवधान) अक्षय तृतीया पर 24 घण्टे ही बिजली देने की, शादी के लिये, (व्यवधान) गरीब बच्चों की शादी के लिये। (व्यवधान) मगर गरीबों के घर में अंधेरा रहा और शादियां अंधेरे में करनी पड़ीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी घोषणा करते हैं, अक्षय तृतीया को लाइट 24 घण्टे देंगे...

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल गुर्जर। अगला प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सही उत्तर तो दें। टेक्निकली 4 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीजी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी असत्य बोल रहे हैं विधान सभा में। (व्यवधान)

महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट एवं कंकरीट सड़क निर्माण हेतु मानदण्ड

517. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रामों में सीमेन्ट एवं कंकरीट सड़क निर्माण के क्या मानदण्ड हैं? क्या 2.5 मीटर या 3.75 मीटर चौड़ाई या सुविधानुसार जितना चौड़ा रास्ता हो, करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? (व्यवधान)

ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2011 एवं 06.01.2012 के निर्देशों के अनुसार महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रामों में आंतरिक सड़कों का निर्माण सीमेन्ट कंकरीट/सीमेन्ट कंकरीट इन्टरलोकिंग टाइल्स के द्वारा 2.50 मीटर की चौड़ाई तक किया जा सकता है एवं इसके लिए योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर ही संधारित किया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

राज्य सरकार द्वारा उक्त सड़कों की चौड़ाई 2.50 मीटर से बढ़ाकर

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

3.75 मीटर कराए जाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। साथ ही, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक दिनांक 13.04.2012 में भी इस बाबत पुनः राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है। साथ ही, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने 3.75 मीटर इस सड़क को करने की सहमति भी व्यक्त की है।

(प्रतियां के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो ढाई मीटर की है, ढाई मीटर में अगर रोड बीच में बन गया तो दोनों साइड के आजू-बाजू पर फिर कब्जा करके वैसे ही हो जाएगा। जो ब्लाक लगाते हैं, ब्लाक वापस गिरने से उस ढाई मीटर का कोई लेना-देना ही नहीं रहेगा। तो पौने चार मीटर होना चाहिए। होगा तो कब होगा? या नहीं होगा और जो वहां अतिक्रमण कर लेंगे, ओटियां बना देंगे तो फिर रास्ते का भी क्या होगा? कृपया यह बताएं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समय-समय पर भारत सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं और अभी भी, 13 तारीख को भी मीटिंग में इस सम्बन्ध में बैठक हुई है और अभी मुझे भारत सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है और वह 3.75 मीटर के ऊपर भारत सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिये अब 3.75 के हिसाब से ही आंतरिक सड़कें बनेंगी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): यह अच्छी बात है, यह 3.75 होना चाहिए, यह तो अच्छा है लेकिन आगे के लिये यह जो जानकारी बता रहा हूं आपको कि आगे जितना जो चौड़ा है, वह मोहल्ला जो चौड़ा है, उस अनुपात में हो ताकि बहुत ईजी रहेगा। जब सिटी में सब जगह सी.सी. ब्लाक लगे हुए हैं, सी.सी. रोड है तो गांव को वंचित क्यों रखा जाए? यह नरेगा में ऐसे बड़े काम हो जाएंगे, तो आगे के लिये यह सजेशन है। पौने चार मीटर हो गया, अच्छी बात है, इसके लिये तो धन्यवाद है, क्योंकि सब काम रुका हुआ है, साल भर से गांव में कोई काम हुआ नहीं, लेकिन आगे के लिये यह सजेशन है, आगे के लिये भी ऐसा किया जाए ताकि रोड पूरी बन जाए, ताकि गांव में झगड़े वगैरह भी नहीं हों।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल। अगला प्रश्न, श्री अर्जुनलाल।

आकाशीय बिजली से प्रभावित परिवारों को देय सहायता राशि में वृद्धि

518. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो वर्ष 2008 से जुलाई, 2011 तक कितनी घटनाएं कहां-कहां घटित हुईं एवं उनमें कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्तियों की मौत हुई? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हादसों में घायल एवं मृतक व्यक्ति के परिवारों को सहायता राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां दी गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आकाशीय बिजली या आगजनी से घटित जन हानि पर सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब से और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) वर्ष 2008 से जुलाई, 2011 तक राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से मृत एवं घायल व्यक्तियों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) घायल एवं मृतक के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा आकाशीय बिजली या प्राकृतिक अग्निकाण्डों से घटित जन हानि पर दी जाने वाली सहायता राशि दिनांक 16 जनवरी, 2012 से बढ़ा दी गयी है। बढ़ाई हुई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस सवाल के जवाब में बताया कि करीब पूरे राजस्थान में आकाशीय बिजली के गिरने से 369 लोग प्रभावित हुए हैं और उसमें लगभग 10 प्रतिशत जोधपुर जिले के हैं, 369 में से 36 लोग जोधपुर जिले के हैं तो 10 प्रतिशत मुख्य मंत्रीजी के जिले में खतम हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं मंत्री महोदय से कि जो आकाशीय बिजली गिरी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो यह भी कोई मुख्य मंत्रीजी ने गिरवा दी क्या?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हो सकता है। हुक्म, एक वह है ना कि बिजली और बरसात का उनका सम्बन्ध है, जब-जब जोधपुर जाते हैं, आग लग जाती है।

श्री अध्यक्ष: आपकी वजह से तो नहीं गिर रही है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिलाड़ा से हूं, बहुत लम्बा है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो आकाशीय बिजली गिरी है, उससे जो जन हानि हुई है, वह तो आंकड़े मेरे को आपने दे दिये। आकाशीय बिजली हर जगह किसी भी क्षेत्र में, जो ऊर्जा मंत्रीजी की बिजली पर गिर गयी है और उससे गांवों के अन्दर, शहरों के अन्दर टी.वी., फ्रिज, जितनी भी इलेक्ट्रोनिक असेसरीज हैं, वे जल गयीं, ट्रांसफार्मर जल गये और कई जगह तो ये झोंपड़ियां और मकान गिर गये। उन लोगों को सहायता देने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है?

दूसरा, उन लोगों को आपने सिर्फ घायल की जो श्रेणी बनाई है, उसमें सात दिन अस्पताल में भर्ती रहेगा, उसमें तो आपने 3,100 रुपये दिये हैं, 3,100 मात्र; जो घायल होता है बिजली से, मात्र 3,100 रुपये आपने दिये हैं। तो इस राशि को, जो घायल 7 दिन तक भर्ती रहेगा, मतलब वह मौत से संघर्ष करता होता है और उसको मात्र 3,100 रुपये दे रहे हैं, तो इस राशि को आप बढ़ाने का विचार रखते हैं? एक दिन में जो भर्ती रहकर निकल जाता है, उसको आप कुछ नहीं देते हो। तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि क्या आप उनकी भी राशि बढ़ाने का विचार रखते हैं कि नहीं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिजली कम्पनियों की लाइन में फाल्ट होकर जो नुकसान होता है, उसके लिये सम्बन्धित बिजली कम्पनियां ही सहायता दे सकती हैं, उनके ही कार्य क्षेत्र का मामला है। हम एस.डी.आर. के नार्म्स के अनुसार सहायता देते हैं। उस सहायता में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह बढ़ाने की बात कह रहे हैं, तो इसमें बढ़ाने का काम भारत सरकार करती है। सदन में पहले भी यह बात आई, भारत सरकार ने अभी 16 जनवरी, 2012 को इन राशियों को बढ़ाया है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बता दिया कि बिजली कम्पनियां देंगी, तो बिजली कम्पनियों ने आज तक तो कोई मुआवजा दिया नहीं है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो किसी के

(श्री अर्जुन लाल)

मकान पर बिजली गिर गयी, मकान गिर गया; किसी के झोंपड़े पर बिजली गिर गयी, झोंपड़ा जल गया; सारा मकान, उसका सामान, जो रोजमर्रा का सामान था वह जल गया; पशुधन पर बिजली गिर गयी, उसकी गाय-भैंसें जल गयीं, मर गयीं; उनको आप मुआवजा देने का विचार रखते हो कि नहीं रखते हो? मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आकाशीय बिजली से ही मकान को जो नुकसान हुआ है तो उस पर भी हम दे रहे हैं, पशुधन को नुकसान हुआ है तो हम उस पर भी दे रहे हैं और आपके यहां भी दिया है। आप चाहें तो मेरे पास बहुत लम्बी सूची है, माननीय अध्यक्ष महोदय निर्देश देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी अगर कोई ऐसा मामला आप हमारे ध्यान में लाएंगे तो एस.डी.आर. नार्म्स के अनुसार निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह।

सीकरी (भरतपुर) ग्राम पंचायत की श्मशान भूमि की चारदीवारी निर्माण हेतु आबंटित राशि

519. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर के कितने गांवों की श्मशान भूमि पर अतिक्रमण है और उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायत सीकरी में फ्रन्टियर समाज की श्मशान भूमि चिह्नित है? यदि हां, तो उसका खसरा नम्बर क्या है?

(3) क्या यह भी सही है कि विधायक निधि द्वारा उक्त श्मशान की चारदीवारी हेतु दो वर्ष पूर्व 2.00 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त श्मशान की चारदीवारी अब तक नहीं बनवाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र नगर के 5 ग्रामों (मौरोली, अलीपुर, डाबक, पडलवास और द्वारिकापुर सुकेती) की श्मशान भूमि पर अतिक्रमण है। अतिक्रमणों को हटाने के लिये राजस्थान भू-राजस्व

(श्री हेमाराम चौधरी)

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही सम्बन्धित तहसीलदारों/ नायब-तहसीलदारों द्वारा की जा रही है। सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायत सीकरी में खसरा नम्बर 61, 62, 64 कितना 3 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर जमाबंदी सम्वत् 2067-2070 के मुताबिक सिवाय चक गैर मुमकिन श्मशान दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि फ्रन्टियर समाज के द्वारा भी श्मशान के उपयोग में ली जाती है। फ्रन्टियर समाज की श्मशान भूमि पृथक से चिह्नित नहीं है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत सीकरी के श्मशान की चारदीवारी निर्माण हेतु वर्ष 2010-11 में विधायक निधि से 2.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत सीकरी है। ग्राम पंचायत सीकरी द्वारा उक्त भूमि पर स्थानीय विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इस प्रश्न के द्वारा मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामले को उठा रही हूं कि यह जो श्मशान घाटों पर अतिक्रमण होने जैसी जो स्थितियां हैं और पूरे प्रदेश में, एक नगर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में श्मशान या कब्रिस्तान जहां पर भी हैं, सब पर अतिक्रमण हो रहा है लेकिन जो श्मशानों और कब्रिस्तानों को, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम इन जगहों को सुरक्षित करें और इनकी बाउण्ड्री-वाल बनें जिससे ये आगे सुरक्षित रह सकें।

जैसा कि आपने मुझे पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है, माननीय मंत्री महोदय, आपने मुझे पांच गांव बताये हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपको प्रशासन ने हमारे यहां से जो सूचना दी है, वह गलत दी है। इसमें मेरे क्षेत्र में 25 गांव हैं जहां पर श्मशान और कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण है। केवल ये पांच ही गांव दिखाकर इन्होंने गलत किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर दुबारा से जानकारी मंगायें कि वहां पर कितनी-कितनी जगह पर अतिक्रमण है?

दूसरी बात मेरी यह है कि जो मैंने यह श्मशान भूमि सीकरी पंचायत के अन्दर पूछी है, जो कि मेरा स्पेसिफाइड प्रश्न है, उसमें आपने रिकार्ड के अन्दर उसको बता दिया कि इस रिकार्ड के अन्दर है और तीसरे प्रश्न में आपने मुझे यह बताया है कि मैंने उसमें जो दो लाख रुपये बाउण्ड्री-वाल के

(श्रीमती अनीता सिंह)

लिए दिये थे दो साल पूर्व में, उसमें काम नहीं होने की वजह आपने स्थानीय विवाद बताया है। तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि यह स्थानीय विवाद क्या है? क्या आप यह बात इस सदन में बता सकेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहले तो यह बताया है कि इन पांच गांवों के अलावा और भी गांवों में श्मशान और कब्रिस्तान की भूमियों पर अतिक्रमण है, प्रशासन ने इन पांच गांवों की ही सूचना दी। इसके अलावा भी कोई अगर कहीं पर अतिक्रमण है और माननीय सदस्या अगर मुझे उनकी सूची दे देंगी ... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, मैं आपको सूचना उपलब्ध करवा दूंगी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सूची उपलब्ध करवा देंगी तो मैं उसकी कलक्टर से जांच करवा लूंगा और जांच में यह पाया गया कि इसके अलावा भी अतिक्रमण हैं और उन्होंने सूचना गलत दी है तो सूचना गलत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह सीकरी में दो लाख रुपये स्वीकृत किये श्मशान की चार-दीवारी के निर्माण के लिए। इसमें विवाद की बात, यह रिकार्ड में दर्ज है श्मशान, परन्तु स्थानीय विवाद है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई विवाद नहीं है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, मैं डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही हूं, सर। मैंने डिपार्टमेंट की नहीं कही है। डिपार्टमेंट में तो आपने मुझे क्लियर लिख दिया और इसके मेरे पास कागज भी हैं। नहीं, नहीं, आपकी, मेरा निवेदन ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, कोई न कोई स्थानीय विवाद होगा। अन्यथा आपने ये जो दो लाख रुपये दिये हैं, इसकी कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा तात्पर्य आप नहीं समझे, मंत्री महोदय। नहीं, आप मेरा तात्पर्य नहीं समझे, मैंने आपसे यह नहीं कहा। मतलब, मैं यह कह रही हूं कि स्थानीय विवाद के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो उसकी जानकारी मैं आपको दे सकती हूं, क्योंकि वह उतना ही संवेदनशील मामला है जितना कि और जगह, गोपालगढ़ में जो हुआ। मैं यह निवेदन करना

(श्रीमती अनीता सिंह)

चाहती हूं और आपसे यह प्रश्न भी करना चाहती हूं कि इस विवाद को क्या आप कलक्टर स्तर की समिति बनाकर हल करवाएंगे, समस्या को सुलझाएंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्माण कार्य की जो एजेंसी है वह ग्राम पंचायत है, काम ग्राम पंचायत को करवाना था।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है, आप मेरी बात समझे नहीं हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): एक मिनट आप मेरी बात सुनें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्री महोदय, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैं इस बात को जानती हूं कि ग्राम पंचायत ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं समझ गया, आपकी बात पर ही आ रहा हूं, आपकी ही बात पर आ रहा हूं, आप एक सेकण्ड विराजिये। मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का मामला है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो लाख रुपये आपने ग्राम पंचायत, जो कार्यकारी एजेंसी है इसकी ... (व्यवधान) आप एक मिनट सुन तो लें न, कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत को रखा है, काम ग्राम पंचायत को करवाना है। अब ग्राम पंचायत यदि राजस्व विभाग को यह लिखकर दे कि इसमें हमारे को कोई रुकावट पैदा कर रहे हैं, जमीन श्मशान की दर्ज है फिर भी कोई दूसरे रुकावट पैदा कर रहे हैं तो हम कलक्टर को निर्देश दे देंगे कि वे... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है कि सरपंच नहीं कर रहा। मैं विधायक आपसे दरख्वास्त कर रही हूं तो आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे? अगर आपको विवाद नहीं पता है तो, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बता देती हूं कि यह श्मशान घाट की भूमि पर यहां पर मेव समाज ताज़िये जो होते हैं, उनको रखता है वहां पर, जिसकी वजह से मेव समाज में और हिन्दू समाज में वहां पर टकराव है। यह इसमें विवाद है। इस विवाद को सुलझाने के लिए आप क्या कलक्टर की उसमें समिति बनाएंगे जिससे कि यह विवाद सुलझ सके और वहां पर श्मशान भूमि की बाउण्ड्री-वाल बन सके।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, इस प्रकार का विवाद है, तो आप कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का कह रही हैं तो कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना देंगे और वे इस विवाद के बारे में जांच कर लेंगे और उस विवाद का क्या हल निकल सकता है, हल निकालने की ... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, नहीं, आप मेरी बात सुनिये। उसमें आप मन से प्रयास करेंगे और उसकी टाइम लिमिट तय करेंगे तो निश्चित रूप से इसका हल निकल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: तो आपको इनके मन के प्रयास में शक है क्या? मन से ही करेंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मुझे शक है, सर, इसीलिए मैं कह रही हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने कह दिया, कलक्टर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्नकर्ता।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इस विवाद की कलक्टर से जांच करवा देंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जिस संवेदनशील मामले पर जितनी गम्भीरता से मैं माननीय मंत्री महोदय से चाह रही हूं, उतनी ही गम्भीरता को दिखाते हुए और वहां पर दोनों समाज बड़े प्रेम से रह सकें, झगड़ा और विवाद उत्पन्न नहीं हों, इसके लिए मैं चाहती हूं कि कलक्टर के समक्ष उसकी एक कमेटी बने और उसका समय भी निर्धारित करें कि उस समय के अन्दर उस विवाद को हल करने के लिए वे बैठें और वहीं सीकरी पर बैठें और उस विवाद को खतम करने का प्रयास करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे जिले का है।

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको अलाउ कर दिया है। (व्यवधान) मैंने उनको अलाउ किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र मेरे से, सीकरी मेरे से चार किलोमीटर पर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, गोविन्दगढ़ कस्बे से सटा हुआ सीकरी गांव है। वहां पर यह वैसा ही विवाद है जैसा कि गोपालगढ़ में था। हम नहीं चाहते कि राजस्थान में फिर गोपालगढ़ जैसी कोई घटना दोहराई जाए। प्रशासन अगर नहीं चेता, माननीय मंत्री महोदय

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि पंचायती राज करवाएगा, पंचायती राज करवाएगा, असल में विवाद जो आपने कहा है, भूमि का विवाद है ही नहीं, वह रिकार्ड में श्मशान की जमीन है और वह पुरुषार्थी समाज की, फ्रंटियर समाज की, हमारे से जुड़े हुए समाज की है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कलक्टर को आदेश देकर के, 15 दिन में, एक महीने में उसकी जांच करवाकर, जांच क्या करनी है, रिकार्ड में श्मशान भूमि है, अनावश्यक विवाद खड़ा हो रहा है। ऐसे विवाद मेवात में होंगे तो गोपालगढ़ जैसी दुबारा घटना नहीं हो, हम नहीं चाहते कि वहां पर हिन्दू-मुस्लिम लड़ें, तो इसके लिए, मंत्री महोदय, आप स्पष्ट करें कि वहां पर जांच आप, जो नगर से आने वाली माननीय विधायक अनीता जी कह रही हैं कि आप कलक्टर या ए.डी.एम. से जांच करवाकर 15 दिन में इसको फाइनल करें ताकि दो साल से पेंडिंग एम.एल.ए. लैड के पैसे का वहां पर उपयोग हो और वहां पर चार-दीवारी बन सके। बात जमीन की है, बात पंचायती राज के द्वारा करवाने की है और पंचायत की एजेंसी की नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंहजी। भाषण नहीं, माननीय सदस्य, आपने प्रश्न पूछ लिया, अब आप विराजये। श्री दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि इनकी जो मशीनरी है, वह तो रिपोर्टिंग प्रोपर करेगी नहीं। यह भी जिम्मेदारी विधायकों की हो गई कि हमें अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्टिंग माननीय मंत्री महोदय को विभिन्न-विभिन्न विभागों की करनी पड़ेगी।

इसमें निश्चित रूप से विवाद कुछ भी नहीं है। श्मशान घाट, जो फ्रंटियर समाज का श्मशान घाट है उसके लिए जमीन आबंटित है और दर्ज है श्मशान घाट, केवल उसमें आवश्यकता है स्ट्रॉंग डिसिजन लेने की। माननीय मंत्री महोदय, भरतपुर के प्रशासन को आप ताकीद करें और उनको आप मजबूर करें, उनको जोरदार आप कहें कि इसमें वे इस विवाद को पैदा नहीं करें। उसकी बाउण्ड्री-वाल हो जाएगी तो विवाद अपने आप खतम हो जाएगा। दो साल हो गये माननीय सदस्या को पैसे दिये हुए, दो साल से बाउण्ड्री-वाल का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। वह केवल लोकल प्रशासन की वजह से नहीं हो पा रहा है। वहां के एस.डी.एम. के दखल की वजह से नहीं हो पा रहा है, नगर के एस.डी.एम. के कारण से नहीं हो पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केवल

(डा. दिगम्बर सिंह)

बाउण्ड्री-वाल बन जाए तो अपने आप सारा समाधान हो जाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं होगी। परन्तु बहुत संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय सदस्या अनीता जी ने और हमारे रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गोपालगढ़ जैसी पुनरावृत्ति नहीं हो, सामाजिक समरसता खतम नहीं हो भरतपुर जिले की, इसलिए आप, माननीय मंत्री महोदय, इसको गम्भीरता से लें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जैसा कि मैंने आपको कहा कि कलक्टर साहब को इसका निर्देश दे देंगे, वे इसकी जांच कर लेंगे, रिकार्ड, मौके की रिपोर्ट, वहां के लोगों से बातचीत करके इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूलचन्द भिण्डा।

कालेज शिक्षकों की बकाया राशि का भुगतान

520. श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कालेज शिक्षकों को छठे वेतनमान के वेतन के एरियर की राशि का भुगतान 5 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? एवं बकाया भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वेतन पेटे कितनी राशि का भुगतान किस कारण से रुका हुआ है?

(3) क्या सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा के स्थान पर): (1) जी नहीं। राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन के पश्चात् किया जाना है। सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वेतन पेटे रुपये 399.51 करोड़ राशि का भुगतान रुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31.12.2008 में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के निर्देश थे, लेकिन राज्य में उपलब्ध निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों की

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

उपलब्धता एवं बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रखी गयी है। इस सम्बन्ध में प्रकरण केन्द्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छठे वेतनमान का भुगतान 1.1.2006 से होना था और 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया। माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कब भुगतान किया गया?

दूसरा, इसमें शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन के पश्चात् किया जाना है। इसको 6 वर्ष 8 महीने हो गये, उसके बाद भी सेवा नियमों में परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसे कौन से सेवा नियम हैं? जब 60 प्रतिशत दे दिया, तो 40 प्रतिशत के लिये कौन से सेवा नियमों में परिवर्तन करना है? यह भी जानना चाहता हूं।

इसी प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 399.51 करोड़ रुपये बकाया है। आप इसमें उत्तर दे रहे हैं कि अर्हताधारी व्यक्तियों को और बेरोजगारी समस्या, श्रीमानजी, 527 नम्बर का क्वेश्चन अभी टेबल पर आया था, उसमें आपने दिया है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है, इधर दे रहे हैं। इनको 399 करोड़ रुपये की चिन्ता नहीं है। 65 वर्ष करने पर आपको 399 करोड़ मिलेंगे। इधर आप रखे जा रहे हैं। 42 हजार रुपये मानदेय पर आपने एक आदमी रखा हुआ है कोटा विश्वविद्यालय में। आप इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं और यह अमानत में खयानत है। 40 प्रतिशत आप 6 वर्ष से रखे हुए हैं।

इतने वर्षों में आपने नियम चेंज नहीं किया और नियम का भी निवेदन आपके माध्यम से कर दूं, केवल पदनाम परिवर्तन करना है। जो मूल आदेश था राजस्थान सरकार का, उसमें पदनाम परिवर्तन नहीं था, यह विभाग ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि मूल आदेश में नियम परिवर्तन की बात थी ही नहीं। अब यह कहां से आया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा धीरे बोलें, जो समझ में आ जाये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): क्या एरियर भुगतान से जुड़ा हुआ नियम है? यह जानना चाहता हूं मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि क्या नियम

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

परिवर्तन उससे जुड़ा हुआ है? वह तो पिछले 6 वर्ष का एरियर है, उसका आप भुगतान नहीं करने देते। कहते हैं, नियमों में परिवर्तन करेंगे। जब 60 प्रतिशत कर दिया तो 40 प्रतिशत किस नियम से करेंगे?

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र के स्तर पर क्या विचाराधीन है, यह तो आपने बताया ही नहीं। आप बताइये कि केन्द्र के स्तर पर क्या विचाराधीन है? केन्द्र क्या करेगा? केन्द्र ने निर्देश दे दिया है कि 65 वर्ष करोगे तो 399 करोड़ रुपये आपको मिल जायेंगे और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद प्रक्रियाधीन क्या चीज है? आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भुगतान की बात की। हमने राजकीय महाविद्यालयों में 205.57 करोड़ का भुगतान कर दिया और जो भुगतान किये जाने वाली राशि है, वह 110.60 करोड़ है। इसी तरह से विश्वविद्यालय में 116.02 करोड़ का भुगतान देना था, जिसमें से 20.90 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, 95.62 करोड़ का भुगतान बाकी है। अनुदानित में 67.09 करोड़ का देना था, अभी वह 67.09 करोड़ बाकी है। यानी करीब 226.47 करोड़ का भुगतान हम कर चुके हैं और 273.31 करोड़ का भुगतान बाकी है। इस भुगतान में केन्द्रीय सरकार ने जब यह फैसला किया कि 1.1.2006 से छठा वेतनमान लागू होगा, तब से उनके आर्डर है कि 80 प्रतिशत का अनुदान केन्द्रीय सरकार देगी, 20 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार भरेगी, लेकिन हमारे बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद, मुख्य मंत्रीजी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और विभिन्न स्तरों पर चिट्ठियां लिखने के बावजूद अभी तक 80 प्रतिशत अनुदान राशि हमको प्राप्त नहीं हुई है।

माननीय सदस्य जो तीसरी बात पूछ रहे हैं कि यह मामला क्यों अटका हुआ है, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बना दी गयी है, उस पर वह विचार कर रही है और विचार करने के बाद उसके फैसले को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में ले जाया जायेगा और वहां से आने के बाद, उसके फैसले के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तो स्थिति स्पष्ट हो गयी?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ। आपने

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

असत्य कहा कि भुगतान कर दिया, भुगतान नहीं किया गया है, वह भी जमा किया गया है। आप भुगतान की बात कर रहे हैं, भुगतान तो कर्मचारी के खाते में आना चाहिये। यह तो केवल इन्होंने भुगतान जमा किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि सेवा नियमों में कौनसा परिवर्तन करेंगे, वह तो बताया नहीं। मैंने पूछा, सेवा नियमों में कौनसा नियम है, जिसको बदलेंगे?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने अभी आपको निवेदन किया कि सेक्रेटरी लेवल की एक कमेटी का गठन हो चुका है, अब उसके बाद ही वह सेक्रेटरी लेवल की कमेटी डिसाइड करने के बाद वह मामला केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल को जायेगा। वहां से फैसला होने के बाद वह सेवा नियमों में परिवर्तन होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह 65 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जब 60 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर दिया, जबकि भुगतान नहीं किया गया, यह भी असत्य है, 60 प्रतिशत करने के बाद 40 प्रतिशत कौन से नियम के तहत रुका हुआ है? यह पूछना चाहता हूं मैं। यह उसका उत्तर नहीं है, यह तो 65 वर्ष का उत्तर है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह भुगतान नियमों से ताल्लुक नहीं रखता। मैं अभी निवेदन कर चुका हूं, भुगतान का 80 प्रतिशत पैसा, जो वहां से आना बाकी है, जो उनका शेयर आना बाकी है, वह फैसला भी केन्द्रीय सरकार का ही है, वहां से आने के बाद भुगतान कर दिया जायेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप अपना शेयर नहीं दोगे, तो वहां से नहीं आयेगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 2009 की रिपोर्ट में ए.जी. ने पूछा कि यह उच्च शिक्षा में पैसा कैसे बचा? आपने कहा, यह एरियर भुगतान नहीं किया। और एक तरफ यह डायवर्ट कर रहे हैं कि यू जी सी देगी, या केन्द्र सरकार देगी। यह असत्य बात कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के लोगों को 6 वर्ष तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया। अगला नजदीक आ गया, 2016 में फिर आयोग बैठेगा और अब तक भुगतान नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जल्दी करवाने का प्रयास करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब दिलवायें। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं कि कितने महीने में कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। पेमारामजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, आपके माध्यम से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं मैं। अध्यक्षजी, शिक्षकों का, उच्च शिक्षा का मामला है।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र प्रयास करेंगे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, नहीं, यह बोला नहीं उन्होंने। उनके मुंह से कहलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप भुगतान के लिये शीघ्र प्रयास करें। श्री पेमाराम जी।

प्याज उत्पादक किसानों के भण्डार गृह निर्माण हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

521. **श्री पेमाराम** (धोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के भण्डार गृह बनाने के लिये विगत दो वर्षों में किस-किस जिले में किस-किस किसान को कितना-कितना अनुदान दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भण्डार गृह निर्माण हेतु किस-किस जिले में कितने-कितने व किस-किस किसान के आवेदन विचाराधीन हैं एवं इन पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी?

(3) क्या सरकार भण्डार गृह बनाने के नक्शे में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (1) राज्य में प्याज के भण्डार गृह बनाने के लिये विगत दो वर्षों में वर्ष 2010-11 में अजमेर जिले में 3 किसानों को एवं जयपुर जिले में 24 किसानों को, कुल 27 किसानों को अनुदान दिया गया है। किसानों की सूची एवं दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्ष 2011-12 में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, कोटा, जयपुर, झुन्झुनूं, नागौर एवं सीकर जिलों में कुल 628 कृषकों को प्याज भण्डार गृह बनाने के लिये अनुदान दिया गया है। किसानों की सूची एवं दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) प्याज भण्डार गृह निर्माण के लिये दिनांक 31.3.2012 तक किसानों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। कृषकों द्वारा प्याज भण्डार गृह के निर्माण कार्य पूर्ण करके सूचित करने के साथ ही भौतिक सत्यापन उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलेवार प्राप्त आवेदन एवं जारी की गयीं प्रशासनिक स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम जिला	प्राप्त आवेदन	प्रशासनिक स्वीकृति
1.	नागौर	982	982
2.	जयपुर (राष्ट्रीय बागवानी मिशन)	479	479
3.	जयपुर (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/एन.वी.आई)	113	113
4.	पाली	129	129
5.	सीकर	680	680
6.	झुन्झुनूं	102	102
7.	अजमेर	38	38
8.	जोधपुर	50	50
9.	करौली	8	8
10.	अलवर	48	48
11.	कोटा	1	1
12.	सवाई माधोपुर	1	1
13.	बारां	1	1
14.	बांसवाड़ा	7	7
15.	टोंक	2	2
16.	दौसा	2	2

(3) जी नहीं। प्याज भण्डार गृह निर्माण भारत सरकार से प्राप्त आधुनिक भण्डार गृह के माडल के अनुसार करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत

(श्री पेमाराम)
सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्याज पैदा करने वाले किसानों के लिए प्याज भण्डारण के लिए अभी प्रश्न लगने के बाद 31 मार्च, 2012 तक तमाम स्वीकृतियां जारी कर दीं, उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन मेरा निवेदन यह है, मेरा पूछना यह है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि प्याज का भण्डारण गृह बनाने के लिए निश्चित तौर पर समय लगेगा और जो प्याज पैदा करने वाले किसान ने जो आज की तारीख में खुदाई करके अपने प्याज को मण्डी तक ला रहे हैं, मण्डी में उस प्याज का आज की तारीख में कोई भाव नहीं है। क्या राजस्थान की सरकार उस किसान को बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से, भण्डारण गृह के निर्माण में जो समय लगेगा और अभी जो प्याज पैदा हो रहा है, उन किसानों को बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत सरकार प्याज को खरीद कर के उन किसानों की इमदाद करने का इरादा रखती है? नम्बर एक।

दूसरा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्याज भण्डारण के लिए जो सरकार अनुदान देती है, यह प्याज भण्डारण गृह निर्माण होने के बाद में देती है। जिस किसान के पास डेढ़ लाख रुपया होता है, वह निश्चित तौर पर प्याज का भण्डारण कर सकता है लेकिन जब प्याज का भाव ही दो रुपये किलो हो ...(व्यवधान) प्याज और लहसुन तो चौपट हो गया, साहब। खेती घाटे का सौदा हो तो ऐसी सूरत में डेढ़ लाख रुपया किसी भी किसान की जेब में नहीं हो पाता है। अनुदान देना, सरकार का धन्यवाद है लेकिन मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि उस अनुदान से पहले प्याज के भण्डारण गृह बनाने के लिए सरकार सहकारी भूमि विकास बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से किसानों को ऋण दिलवाने का प्रयास करने का इरादा रखती है या नहीं? यह दो चीज पूछना चाह रहा हूं।

तीसरा मैं यह पूछना चाह रहा हूं, वैसे एक साथ पूछ लूंगा तो शायद मंत्रीजी भूल जायेंगे, आप कहें तो तीसरा प्रश्न भी साथ ही पूछ लूं? बाद में?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्याज भण्डारण गृह के लिए आपने कहा कि प्याज भण्डारण गृह में टाइम लगता है, आपके जिले में 680 काश्तकारों को स्वीकृतियां जारी कर रखीं हैं, उनमें निर्माण केवल 19 ने किया है। इतना लम्बा समय मिलने के बाद भी अगर वे निर्माण नहीं कर रहे हैं...

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो पूछ तो यह रहा हूं कि आज जो पैदा करने वाला किसान मण्डी में लेकर आता है, भण्डारण गृह में जो टाइम लगता है, ...

श्री अध्यक्षः तो जवाब तो सुनिये पहले। जवाब तो सुनिये।

श्री पेमाराम (धोद): ये दूसरा जवाब दे रहे हैं, साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पहले जो निर्माण हुए थे उनमें एक लाख में 50 हजार सब्सिडी थी, अब कृषि विपणन बोर्ड से 20 हजार रुपये सब्सिडी अलग से दी जा रही है।

आप एक तरफ तो यहां किसानों की पैरवी कर रहे हैं और आप ही के क्षेत्र में जब अपन दोनों एक ही जगह पर एक मीटिंग में थे, उस समय मैंने यह सारी बात बतायी थी और उन काश्तकारों ने अधिकतर ने मेरे को अलग से यही बताया कि यह नहीं बना रहे हैं, हम नक्शा चेंज करायेंगे, यह करायेंगे, वह करेंगे। बाकी जिलों में सारे बन रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो यह पूछ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्याज पैदा कर लिया, उसके पास भण्डारण गृह नहीं है, वह रोक नहीं सकता अपने घर में, अपने खेत में। आज वह मण्डी में लेकर आता है, भाव नहीं है, यह भाव दिलाने के लिए..., भण्डारण गृह के लिए सरकार 50 हजार रुपये दे रही है, तो क्या सरकार उन किसानों को बचाने के लिए आज की तारीख में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत जो नियम बना हुआ है, यह मेरा नहीं, राजस्थान की सरकार का नियम है, किसानों को बचाने के लिए क्या सरकार आगे आकर के इस योजना के तहत प्याज खरीद कर के किसानों को बचाना चाहती है या नहीं? एक बात।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि प्याज का भण्डारण करने के लिए सरकार, जो 50 या 70 हजार रुपये की बात बता रहे हैं, जिसके पास डेढ़ लाख रुपये नहीं हैं, वह किसान निर्माण नहीं करा सकता। क्या सरकार किसी भी वित्तीय संस्था के द्वारा प्याज भण्डारण करने वाले किसानों को ऋण दिलवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो किस संस्था से और नहीं तो, क्यों?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): न तो सरकार का प्याज खरीदने का कोई विचार है और प्याज ...(व्यवधान) सुनो तो सही, फालतू बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्षः अब नहीं है तो नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही।

श्री पेमाराम (धोद): यह फालतू बात है क्या? मंत्री महोदय, क्या कह रहे हो? जिसने प्याज पैदा कर लिया, वह किसान तो चौपट हो गया और यह फालतू बात कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप सुनो तो सही।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रूरतम मजाक कर रहे हैं किसानों के साथ।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनो पूरा।

श्री पेमाराम (धोद): जो किसान, जिसने प्याज पैदा कर लिया, मण्डी में लेकर आता है, मण्डी में भाव नहीं है और हम सरकार को बता रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: पहले आप जवाब आने दीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): और मंत्री महोदय कह रहे हैं, फालतू कर रहे हैं। तो मंत्री महोदय की नजरों में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। मैं अलाउ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य, विराजें। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, पूरक प्रश्न नहीं है। मैं यह कह रहा हूं, फालतू बात भी तो सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मूल प्रश्नकर्ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह फालतू बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्हीं की बात है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): मैंने इसलिए कहा, आपकी मांग पर सरकार ने यह इसी हाउस में घोषणा की थी कि प्याज भण्डारण के लिए काश्तकारों को अनुदान देंगे। अब बाकी जिलों में सारे काश्तकार बना रहे हैं, आप यहां तो जोर कर रहे हो, आपका भी जिला है सीकर, आप उन काश्तकारों को समझाओ। पहले जो बनाये, उनको तो लाख में 50 हजार थे और अब दे रहे हैं 70 हजार, इसके बाद भी वे नहीं बना रहे हैं। पिछले साल की सैंक्शन बाकी पड़ी हैं, 680 सैंक्शन सीकर में हैं।

श्री पेमाराम (धोद): वह तो अभी 31 मार्च को जारी की हैं आपने, अभी जारी की हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही। यह क्या तरीका हुआ?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप यहां तो किसानों की बात करते हो, वहां उनको उलटा पाठ पढ़ा रहे हो। बाकी जिलों में बन रहे हैं तो आपके क्या तकलीफ है, मुझे यह बताओ न। सबसे ज्यादा स्वीकृतियां आपके हुई हैं, उसके बाद आप बनाने नहीं दे रहे हो उन काश्तकारों को। सिर्फ 19 ने बनाये हैं। बाकी जिलों में सब जगह जितनी सैंक्शन थीं, उन काश्तकारों ने प्याज भण्डारण गृह बनाये हैं; अनुदान लिया है और उन लोगों ने इस बात का लाभ उठाया है। पिछले सीजन में भी काश्तकारों ने ...

श्री पेमाराम (धोद): साहब, मैं प्रश्न ही दूसरा पूछ रहा हूं। मैं पूछ यह रहा हूं, दोबारा सुन लो, मंत्री महोदय, आपको याददाश्त नहीं है तो लिख लो पहले, मैं यह पूछ रहा हूं कि प्याज भण्डारण गृह में समय लगेगा, एक महीने का समय लगेगा, अध्यक्ष महोदय, एक महीने का ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह तो पिछली साल की सैंक्शन हैं, एक महीना क्या?

श्री पेमाराम (धोद): और जिस किसान ने प्याज खोद लिया, मण्डी में लेकर आता है, उसका भाव नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला प्रश्न।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा निवेदन है कि क्या सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में किसान को बचाने के लिए खरीदना चाहती है? एक।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल बैरवा।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का समाधान ही नहीं हो पाया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्री के पास कोई जवाब ही नहीं है तो क्या देंगे आपको? (व्यवधान)

कठूमर की महानरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण सड़कें

522. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कठूमर से लक्ष्मणगढ़ व कठूमर से गढ़हिम्मत सिंह तक नरेगा में सड़कों की चौड़ाई बी.ओ.टी. आधार पर करवाया जाना स्वीकृत है? यदि हां, तो गत तीन वर्ष गुजर जाने के बाद भी उक्त दोनों सड़कों का कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ?

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(2) क्या सरकार उक्त सड़क मार्गों को नरेगा के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी नहीं। कठूमर से लक्ष्मणगढ़ व कठूमर से गढ़हिम्मत सिंह तक नरेगा में सड़कों की चौड़ाई बी.ओ.टी. आधार पर करवाये जाने की कोई स्वीकृति नहीं है।

कठूमर से लक्ष्मणगढ़ सड़क (स्टेट हाई-वे 44, किलोमीटर 37/0 से 61/0 (24 किलोमीटर) 3 मीटर से 7 मीटर चौड़ाई में डब्ल्यू.बी.एम. स्टेज तक चौड़ाईकरण का कार्य महानरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसमें से किलोमीटर 58/0 से 61/0 (3 किलोमीटर) में डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। प्रगति विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इस सड़क का कार्य श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार नरेगा श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण कार्य अभी तक पूरा नहीं करवाया जा सका है। श्रमिकों की मांग एवं उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। कठूमर से गढ़हिम्मत सिंह तक नरेगा में सड़क की चौड़ाईकरण की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क मार्गों को नरेगा के बजाय अन्य योजना में पूर्ण कराना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.ओ.टी. में नहीं हुआ है लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि ये दो सड़कें कठूमर से और लक्ष्मणगढ़ और कठूमर से और गढ़हिम्मत सिंह 2009 में नरेगा में स्वीकृत हुई थीं, इन पर काम भी चल रहा है और उसकी जो डिटेल मेरे पास दी है, साहब, वह लेबर की कमी के कारण यह काम नहीं हो पाया है लेकिन तीन साल में इस सड़क पर केवल तीन किलोमीटर काम, जैसा आपने, मंत्री महोदय ने माना है, पक्का काम तो वहां अभी तक नहीं हुआ, डामरीकरण

(12.00 बजे)

तो। चौबीस किलोमीटर में से तीन किलोमीटर काम हुआ है। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस काम को बजाए नरेगा के पी डब्ल्यू डी से अगर आप करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वहां गत तीन महीने में सात आदमी मर चुके हैं एक्सिडेंट्स में।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

नम्बर-2 । कठूमर से गढ़हिम्मत सिंह तक नरेगा में सड़क की चौड़ाई कराने की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है, जबकि वहां भनोकर, रोणेथान, उदयपुरा, कटाडा, वहां करीब तीन किलोमीटर सी सी कार्य हो चुका है, काम भी वहां चालू हो रहा है। वह कौनसी योजना में काम चल रहा है वहां पर?

मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इन दोनों सड़कों को जब नरेगा में काम चल रहा है, इनको पी डब्ल्यू डी में लेकर के इनकी मरम्मत करवाई जाए, उनकी वाइडनिंग करवाई जाए और उनका डामरीकरण करवाया जाए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य नरेगा के तहत स्वीकृत हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं, यह लेबर उपलब्ध करवा दें, मैं उस काम को पूरा करवा दूंगा। लेबर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): जवाब तो आ जाने दो मंत्रीजी का।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से...

श्री अध्यक्ष: विराजें, मुझे ध्यान है, विराजें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन। श्री शांतीकुमार धारीवाल। अधिसूचना।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: चार हैं ना?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चार हैं, एक और है। ये चारों की चारों पढ़ देता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): धारीवाल साहब, ऊक-चूक कैसे हो रहे हो सुबह ही सुबह?

(12.02 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 1. अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/12-5, दिनांक 23.4.2012, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ. 12(15)वित्त/कर/11-150, दिनांक 9.3.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या : एफ. 12(15)वित्त/कर/12-6, दिनांक 23.4.2012, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/11-151, दिनांक 9.3.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अधिसूचनाएं सूची में ही नहीं हैं, कहां से पढ़ रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: बिजनेस में ही हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने इजाजत दी है, मैं क्या करूं?

श्री उपाध्यक्ष: अनुमति लेने के बाद ही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही निकाला है।

3. अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/12-7, दिनांक 23.4.2012, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है; एवं

4. अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/12-8, दिनांक 23.4.2012, जिसके द्वारा राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा स्टेनलेस स्टील शीट्स या सर्किलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स के विक्रय को, उस सीमा तक, जिस तक कर की दर एक प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बृज किशोरजी शर्मा।

प्रतिवेदन

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3

(राजस्व प्राप्तियां) (वर्ष 2010-11)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक और है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय श्री बृज किशोरजी शर्मा, शिक्षा मंत्री।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2009-10)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्षः विधायी कार्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। विराजो आप, व्यवस्था का प्रश्न है इसी पर।

श्री उपाध्यक्षः जब आसन पर बैठा खड़ा रहे तो क्या खड़ा होकर बोला ...(व्यवधान) आप सुनिए, सीखिए, समझिए, आखिरी दिन है, फिर छह महीने बाद मिलेंगे। तो आपको खड़ा होने का अधिकार है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो अगर आप यह पुकार लेते और अगर यह रख देते तो फिर मेरा व्यवस्था का प्रश्न खतम हो जाता।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, नहीं, वह लेते। बोलिए आप।

व्यवस्था का प्रश्न

विधायी कार्य पर विचार एवं पारण के समय प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित किया जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा है और मैं समझता हूं कि विधेयकों के बारे में आपकी पहले से समुचित व्यवस्था हो जाए तो सदन को इन विधेयकों के बारे में विचार करते समय और भाग लेते समय वह समुचित व्यवस्था ठीक रहेगी।

सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्षों की कई बार यह व्यवस्था हुई है कि हम सकारात्मक संशोधन ही दे सकते हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उदाहरण के लिए, हम किसी खण्ड को विलोपित करना चाहें तो उसका संशोधन हम नहीं दे सकते। लेकिन जब वह खण्ड विचार के लिए आएगा तो विलोपित करने पर, हम उस पर अपनी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यह बहुत बार सदन में व्यवस्थाएं हुई हैं। इसलिए जब आप पारित कराते हैं तो 2 से लेकर 47 तक कोई संशोधन नहीं, हां कहें, ना कहें, तो उसके पहले हमारी तरफ अगर एक बार देख लेंगे और किसी खण्ड को अगर विलोपित करने के लिए हम बोलना चाहें तो उसमें आसन की अनुमति आवश्यक होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जब हम चर्चा करते हैं जनमत जानने वाले पर, तो जनमत जानने का प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तब तो खण्डशः विचार आगे हो ही नहीं सकता और जनमत जानने वाला अगर गिर जाता है तो फिर खण्डशः पारित होने के बाद में आता है तो थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज तक वह पारित हो जाता है। इसलिए जिस खण्ड को हम विलोपित करना चाहते हैं, उस खण्ड के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए उस खण्ड को जिस खण्ड को हम विलोपित करना चाहें, उस खण्ड पर हमको विलोपित करने के लिए बोलने का अधिकार होना चाहिए। एक प्रश्न तो मेरा आपसे निवेदन यह है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि जिन विधेयकों के बारे में सिद्धान्ततः पार्टियों की असहमति होती है और उन विषयों पर कम वोट होते हुए भी हम हमारा विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मेंटीनेंस आफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का मामला आया था और हमारी तैंतीस संख्या विधान सभा में थी, लेकिन हमने उसका विरोध किया और हर क्लाज पर हमने मतदान करके हमारा विरोध दर्ज कराया। वह विरोध हमारे जब आपातकाल लगा, तब हमारे काम आया कि हमने तो उस समय विरोध दर्ज करा दिया था। जैसे अभी विधान परिषद के गठन की बात आयी तो तीन माननीय सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज कराया। तो यह मतदान, मत विभाजन का अधिकार जो है ना, वह केवल सरकार को सेंशर करने के लिए नहीं है, यह अधिकार हमको हमारी बात का विरोध दर्ज कराने के लिए भी है।

दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ेगा कि इस सदन में दो बार मत विभाजन की घंटी बजी। एक बार तो जब सरकार ने विश्वास का मत प्राप्त किया, उस समय बजी। उस समय बिना मतलब, हमने मांगा ही नहीं था, फिर भी आसन ने दिया, इसलिए कि सरकार के पास में इतना बहुमत है, यह प्रमाणित हो जाए। दूसरी बार घंटी बजी, जब विधान परिषद का प्रस्ताव आया। क्योंकि उस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समय भी आवश्यकता यह थी कि कुल उपस्थिति के सदस्यों का दो-तिहाई होना चाहिए। दो बार विभाजन की घंटी बजी। इसलिए दूसरा मेरा आपसे प्रश्न यह है।

तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से भी करना चाहूंगा कि यह जल नीति वाला जो विधेयक है वह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी है और इस पर बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता है। यदि सरकार चाहे तो इस विषय पर विचार करके इसको सलेक्ट कमेटी को भेजे जो छह महीने में इसकी पूरी तैयारी करके सर्वसम्मति से विधान सभा के सामने लाए। क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण इश्यू है और हमारी ज्वलंत समस्या है । एक तो सरकार के लिए है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब विचारार्थ रखा जाएगा, उस वक्त विचार करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये दो विषय आपके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारण कि आप चले जाएं, आप तो समझदार हैं, आप चले जाएं, कोई दूसरे माननीय सभापति आ जाएं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: आसन पर जो बैठते हैं, वे सब समझदार होते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बताइये, इन दोनों विषयों पर आपकी...

श्री उपाध्यक्ष: ये जब आयेंगे विधेयक, उस टाइम ही देखा जाएगा। आपका सजेशन है, ध्यान रखा जाएगा, आपकी तरफ देखा जाएगा। हां, बिलकुल।

श्री अशोक बैरवा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भिखारियों या निर्धन

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 प्रस्तुत किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। आजादी के बाद इस देश के अन्दर जिस तरीके से राजकीय खरीद और निर्माण, आदि को लेकर समय-समय पर देश की सरकारों पर और इस देश की डेमोक्रेसी के अन्दर सिस्टम को करप्ट करने का जो काम हुआ, उसमें यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि इस देश

(श्री ओम बिरला)

के अन्दर केन्द्र से लेकर राज्य तक जो खरीद के अन्दर घोटाले सामने आये हैं, निर्माण कार्यों के अन्दर उनकी गुणवत्ता से लेकर सरकार की मिलीभगत, सांठ-गांठ के आधार पर इस देश में जो ठेके लेने की प्रवृत्ति बनी, उसके कारण भी यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही हमारे केन्द्र सरकार के एक मंत्री, हमारे कामनवैल्थ गेम्स खरीद में मेम्बर आफ पार्लियामेंट, अधिकारी और कई लोग अभी भी जेल में हैं और उस समय राजस्थान की सरकार इस विधेयक को ला रही है। सरकार की मंशा ठीक हो सकती है लेकिन विधेयक लाने के पहले जो सरकार ने विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है, अगर वह विधेयक फुल्ली ट्रांसपरेंट होता, पारदर्शी होता, जवाबदेह होता, क्योंकि इस बिल के अन्दर जो सरकार ने उद्देश्य दिये हैं, वह प्रोक्योरमेंट में मितव्ययता भी है, दक्षता बढ़ाना, प्रतियोगिता बढ़ाना और सत्यनिष्ठा से पूरे प्रोक्योरमेंट को ट्रांसपेरेंसी के आधार पर इस बिल को लाने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, जी एफ एंड ए आर के तहत हमारी खरीद-फरोख्त होती है। राजकीय उपकरण से लेकर सरकार की जो भी खरीद होती है, उसमें कोई एक्ट नहीं था। केवल हम हमारे नियम और प्रक्रियाओं में इनकी खरीद-फरोख्त करते थे। निर्माण कार्य के लिये हम पी डब्ल्यू एफ ए आर के तहत गवर्न होते थे। निर्माण कार्य उस नियम के तहत गवर्न होते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस विधेयक को लाने के पहले, जिस विधेयक ने पूरे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर सारे सिस्टम को करप्ट करने का काम किया, उसको बहुत जल्दबाजी में ये लाये हैं। क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से हम सरकार में पारदर्शिता भी लाना चाहते हैं और सरकार में बैठे हुए अधिकारी, कांट्रेक्टर, ठेकेदार, उनकी मिलीभगत, सांठ-गांठ को भी तोड़ने का काम इस विधेयक के माध्यम से करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले कर्नाटक के अन्दर कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 1999 में लाया गया था, तमिलनाडु के अन्दर दी तमिलनाडु ट्रांसपेरेंसी इन टेण्डर, 1998 में, दो प्रदेशों में एक्ट लाये गये थे। केन्द्र सरकार ने 12 अप्रैल को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 में पारित किया है और समिति में गया है। मुझे आशा है, इस पार्लियामेंट सेशन के अन्दर उस बिल को सरकार रखेगी।

(श्री ओम बिरला)

लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन सेक्शंन पर मेरी शंकाएं हो रही हैं। क्योंकि जो कर्नाटक और तमिलनाडु के अन्दर यह एक्ट बन चुका था, यह विधेयक अधिनियम बन चुका था, केन्द्र सरकार ने भी इस विधेयक को मंत्रिमंडल में पारित किया है, राजस्थान के अन्दर जो विधयेक लाया गया है उस विधेयक के अन्दर मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सेक्शन 38 की तरफ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 38 में यह है कि प्रस्तावित अधिनियम के इस सेक्शन में यदि कोई बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि क्रेता अधिकारी का कोई निर्णय, कार्रवाई या लोप इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसकी अपील जो की जायेगी वह अपील उसी के डिपार्टमेंट के उच्चतर अधिकारी को की जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार यह बिल लायी और इस बिल में यह माना गया कि सार्वजनिक खरीद और निर्माण कार्यों के अन्दर जो आज तक मिलीभगत होती है, उसमें अगर शिकायतकर्ता ऊपर के अधिकारी को शिकायत करता है, तो बिना ऊपर के अधिकारी के निर्णय के न वह टेण्डर डाक्यूमेंट बनता, न उसकी टेण्डर डाक्यूमेंट की प्री-क्वालिफिकेशन बनती और जिसके कारण उस ऊपर के अधिकारी को अगर अपीलकर्ता शिकायत भी करता है तो क्योंकि उस टेण्डर के अन्दर, उस खरीद के अन्दर उस अधिकारी का आलरैडी इन्वाल्वमेंट है तो अपील करने वाले के साथ वह न्याय नहीं कर पायेगा।

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, केन्द्र में उनकी सरकार है और केन्द्र के उस बिल के अन्दर केन्द्र सरकार ने भी सेक्शन 121(1) के अन्दर, "The Government shall, by notification, establish one or more tribunals to be known as the tribunals for public procurement to hear appeals against the order of the authority under this Act." किसी भी अपील करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी तय करने के लिये केन्द्र सरकार ने जो प्रस्तावित बिल रखा है, उस बिल में भी एक ट्रिब्यूनल बनाने का, उस ट्रिब्यूनल में उस डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं है। इस ट्रिब्यूनल में उन्होंने यहां तक कहा है कि उसमें न्यायिक सेवा के अधिकारी होंगे, अखिल भारतीय सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे; जो चयन समिति बनेगी इस ट्रिब्यूनल के लिए, उस चयन समिति में विशेषज्ञ होंगे।

(श्री ओम बिरला)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने डिपार्टमेंट के अधिकारी को और उसके अपर अधिकारी को ही अपील करने का अधिकार दिया तो जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको उस डिपार्टमेंट में न्याय नहीं मिल सकता है। अगर सरकार इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है तो मैं सोचता हूं कि उनकी सरकार है, जो उन्होंने प्रस्तावित विधेयक इनके अकाउंट्स आफिसर्स को भेजा था, क्योंकि राजस्थान की सरकार विधायकों पर भरोसा नहीं करती, जनता पर विश्वास नहीं करती, अगर उनको प्रस्तावित बिल भेजा तो अच्छा होता, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो बिल विधान सभा में लाने से पहले हमारे सम्माननीय विधायकों को भेजते, उससे जुड़े हुए विशेषज्ञों को भेजते तो शायद जो हमारी नीयत है, उस नीयत पर खरे उतरते। लेकिन सरकार की जब नीयत ठीक नहीं हो तो कितने भी विधेयक ला दें, कितने भी बिल ला दें, हम किसी से न्याय नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी इस बिल में समय आने पर परिपत्र के माध्यम से उस सेक्शन में संशोधन करते हुए ट्रिब्यूनल बनाने के लिए किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, टेंडर प्रक्रिया को आप ई-टेंडरिंग कर देंगे लेकिन मैं आपको इस सदन में वह बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया के अन्दर सरकार में बैठकर के टेंडर किसको मिलेगा, यह डिसाइड हो जाता हो तो आप कितनी भी पारदर्शिता का कानून लाओ, एक्ट लाओ, कितने भी नियम, प्रक्रिया बनाओ, हम राज्य के अन्दर पारदर्शिता नहीं ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बिल में, इस विधेयक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो कि आज टेंडर प्रक्रियाओं में गुजर रही है, प्री-क्वालिफिकेशन, क्योंकि सेंटर में जो विधेयक लाये उस विधेयक में प्री-क्वालिफिकेशन के लिए पूरा अलग से एक्ट बनाया है, प्री-क्वालिफिकेशन के माध्यम से ही किसको टेंडर मिलेगा, किसको खरीद मिलेगी, कौन इस टेंडर को लेगा, यह इस प्री-क्वालिफिकेशन में ही तय हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे पास केवल एक उदाहरण नहीं है, इस राजस्थान सरकार के पिछले तीन साल के मैं कई उदाहरण बता सकता हूं कि किस तरीके से सरकार में बैठकर लोग प्री-क्वालिफिकेशन शर्तें बनाते हैं। इन शर्तों के अन्दर मापदंड और वित्त क्षमताएं निर्धारित की जाती हैं, जिन मापदंड के अन्दर केवल वही फर्में, केवल वही टेंडरकर्ता, वही कांट्रेक्टर आते हैं, जिनका उस टेंडर को लेने के लिए पहले से फैसला हो जाता है।

(श्री ओम बिरला)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसी विधान सभा में मैंने कालीसिंध में जो बांध बनने वाला था, उस बांध के विषय पर मैंने सरकार का ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया था। क्योंकि जो एक-एक पैसा सरकार खर्च करती है वह जनता का धन है, उसकी कमाई है। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल यही एक उदाहरण नहीं है, मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूं जिनमें प्री-क्वालिफिकेशन शर्तें उस तरीके से डिसाइड की जाती हैं, जिससे लिमिटेड लोगों को टेंडर मिले। उपाध्यक्ष महोदय, कालीसिंध बांध का घोटाला इस बात को प्रेषित करता है कि 2006 के अन्दर जिस बांध की निर्माण लागत 265 करोड़ हो, उसकी 2009 के दिसम्बर तक लागत 457 करोड़ हो जाये। कालीसिंध बांध की प्री-क्वालिफिकेशन बंद कमरों में बनी। कहां बनी, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, प्री-क्वालिफिकेशन में इस टेंडर के अन्दर एक गेट बनाने का काम था जिसमें कालीसिंध के 27 गेट बनाने थे और एक निर्माण कार्य था। टेंडर नयी शर्तों के आधार पर बनाया गया। उसमें शर्त क्या रखी गयी, जब एक ही काम के दो वर्गीकरण हैं, एक काम मेकेनिकल का, डैम बनाने का, एक सिविल का है, उसमें वह शर्त रखी गयी कि 27 रेडियल गेट जिस पार्टी को एक ही जगह बनाने का अनुभव हो, इस साइज का हो, वह इसके अन्दर क्वालिफाई करेगा। ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं थी, सरकार रख देती। लेकिन उसके साथ सिविल कामों के अन्दर भी सरकार यह फैसला करती कि जो 135 करोड़ का सिविल का काम होने जा रहा है और जो कम्पनी इसके लिए क्वालिफाई की जा रही है, उसको भी 95 परसेंट सिविल का एक ही डैम पर, एक ही स्थान पर बनाने का अनुभव होता, तो मुझे आपत्ति नहीं होती। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सिविल के अन्दर जिस एस पी एल कम्पनी को यह काम एम ओ यू के माध्यम से आबंटित किया गया, उसमें उस कम्पनी को ना सिविल का, डैम बनाने का अनुभव था, उस कंपनी को केवल पाइपलाइन डालने का अनुभव था। एक टेंडर में दो शर्तें! इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उस टेंडर में केवल एक कम्पनी क्वालिफाई की, क्योंकि सीधा है, 27 गेट एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति का बनाने का अनुभव हो, यह जब एक ही होगा, तो वन पार्टी क्वालिफाई हुई।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्री-क्वालिफिकेशन की शर्तों के

(श्री ओम बिरला)

आधार पर कई टेंडर डिसाइड हो जाते हैं। अगर हम प्री-क्वालिफिकेशन की शर्तों को ठीक से निर्धारित नहीं करें, इस एक्ट के अन्दर प्री-क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस काम के लिए किस पार्टी को कितना अनुभव होना चाहिए, अगर मुझे इस चश्मे को बनाने का अनुभव 50 परसेंट हो, 20 परसेंट हो, जो सरकार डिसाइड करें, लेकिन उस प्री-क्वालिफिकेशन के अन्दर पारदर्शिता के आधार पर अगर डिसाइड होगा, सही होगा। मैं नहीं सोचता कि सरकारें प्री-क्वालिफिकेशन में जिस तरह से टेंडरदाता को तय कर देती हैं, सरकार की मिलीभगत के आधार पर जिस तरीके से काम चल रहे हैं, वह हमारी चिंता का विषय है। जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल में प्री-क्वालिफिकेशन की कई शर्तें नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 42, यह वह सेक्शन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, अगर कोई शिकायत करे और उसकी शिकायत असत्य है तो उसको उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जायेगा और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इस डेमोक्रेसी के अन्दर अगर किसी शिकायतकर्ता को, जो यह मानता है कि प्रारंभिक, प्रथम दृष्टया इसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें प्री-क्वालिफिकेशन से लेकर के तमाम शर्तों के अन्दर टेंडर डिसाइड हो गया है और उसकी कोई शिकायत करता है और उसमें शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंडनीय प्रावधान रखेंगे, केन्द्र के बिल में भी कोई दंड का प्रावधान नहीं है, एनी पर्सन जिसको लगता है कि इस टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ है तो वह शिकायत करता है कल अगर मैं कोई टेण्डर प्रक्रिया में शिकायत करता हूं, माननीय मंत्रीजी की आंखें टेढ़ी हो गईं, माननीय मुख्य मंत्रीजी की आंखें टेढ़ी हो गईं, वे कहेंगे, बिरला जी पर प्रोसीक्यूशन करो, उन्होंने इस निर्माण प्रक्रिया के अन्दर, प्रोक्योरमेंट के अन्दर बाधा डाली है, इस कानून के तहत इनको लाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी सेक्शन 42(2) के अन्दर सफल बोलीदाताओं के बैक-आउट होने पर अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपये है। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी टेण्डर हो, राज्य हित के अन्दर है, जो परियोजना प्रदेश और आम जनता के लिए इम्पोर्टेण्ट है और इससे आम जन हित प्रभावित होता है, सरकार उस टेण्डर को, निविदा को करती है और कोई निविदा करने वाला व्यक्ति, टेण्डर डाल देता है, टेण्डर में सफल हो जाता है और सफल होने के बाद बैक-आउट हो जाता है। मान लो, कोई 100 करोड़ रुपये की परियोजना होगी, 200 करोड़ रुपये की

(श्री ओम बिरला)

परियोजना होगी, तो केवल 50 लाख रुपये जुर्माना! जिसके आधार पर वह सारी की सारी परियोजना को ठप कर देगा, पूरे राजस्थान के जनजीवन को ठप कर देगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर ध्यान से देखेगी, इस बिल को पढ़ेगी, तो केन्द्र के अन्दर भी, तमिलनाडु के अन्दर, कर्नाटक के अन्दर भी ऐसी परियोजनाएं जो जन हित से जुडी हुई हैं और कोई बोलीदाता, अगर कोई टेण्डर लेने वाला बैक-आउट होता है तो कम से कम 10 प्रतिशत पेनल्टी निश्चित रूप से उस पर करनी चाहिए। इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हम जो बात कर रहे हैं वह आम जन हित की बात कर रहे हैं; इस सरकार के हित की नहीं, तमाम राजस्थान की 6 करोड़ जनता से जुडे हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज आवश्यकता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सेक्शन 47- अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का आवश्यक होना, यह सेक्शन वही है जो आज तक इस करप्शन को रोकने के लिए आप विशेष न्यायालय का बिल लाये, आप कहेंगे, इतने बिल लाये, आप इतने विधेयक ला रहे हैं, इतनी नीतियां लाये, लेकिन इसमें कोई सरकारी अधिकारी या प्रोक्योरमेंट करने वाला अधिकारी, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कमीशन लिया है, घपला किया है, उसका अभियोजन, उसके खिलाफ कार्यवाही के लिये पहले सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यह हम देख रहे हैं, हम आज राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बिना मुख्य मंत्री के, बिना सरकार के अभियोजन के अन्दर...? अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के लिये कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, इस सदन में इस पर विचार हो चुका है। फिर हम यह सेक्शन 47 के अन्दर ला रहे हैं, इसकी अभियोजन स्वीकृति के लिये सरकार के पास जाना पड़ेगा। सरकार आलरैडी उस कमीशन के अन्दर, उस कांट्रेक्ट के अन्दर, उस प्रोक्योरमेंट के अन्दर, उस खरीद के अन्दर सरकार की हिस्सेदारी, खुद उस अनुमति के अन्दर शामिल हो, उस अधिकारी को बचाने का काम...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप करें, बिरलाजी, काफी टाइम हो गया है, आधा घण्टा हो गया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल

(श्री ओम बिरला)

पर 50 संशोधन हैं। यह बिल पास कर दे सरकार? जैसा हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने कहा था, यह इतना गम्भीर बिल है, अच्छा होता, सरकार की मंशा ठीक होती तो सरकार इस विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजती, विधायकों को भेजती। प्रोक्योरमेंट करने वाले, प्रोक्योरमेंट एजेंसी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरला जी, आप कैसे कह रहे हैं कि भेजेगी कि नहीं भेजेगी?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार की नीयत खराब है इसलिए नहीं भेज रही है। क्योंकि जिस तरीके से बिल एक दिन में लाते हैं और पास कराते हैं, विधेयकों का अपमान कर रही है यह सरकार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 10 में प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स का रिकार्ड रखना एवं कम्युनिकेशन करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक के सेक्शन 17 के अन्दर कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखने के साथ उसका स्कैन करना, लेकिन इसमें मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित एक्ट के अन्दर, सेक्शन 17 के अन्दर जब हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं और पारदर्शिता के आधार पर काम करना चाहते हैं, इस क्षेत्र को व्यापक और विस्तृत बनाना चाहते हैं तो राज्य की 6 करोड़ जनता का कोई भी व्यक्ति, जिसका पैसा उस प्रोक्योरमेंट और निर्माण में खर्च हो रहा है, उसको संवैधानिक अधिकार है कि मेरा पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, किस मद में खर्च किया जा रहा है, उसमें पूर्ण पारदर्शिता बनाने का अधिकारी, माननीय, उसका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस पोर्टल के अन्दर केवल डाक्यूमेंट-आफ-द-टेण्डर नहीं होना चाहिए, इसमें यह भी सूचना होनी चाहिए कि इस टेण्डर की आपूर्ति अवधि या सप्लाई अवधि कब तक होगी, वास्तविक क्रय करने की तिथि इसकी क्या होगी, वास्तविक आपूर्ति तिथि का समय विस्तार कितना किया जाएगा। कुल भुगतान, स्वीकृतिकर्ता और अंतिम भुगतान, यह सारी प्रक्रिया इस पोर्टल में होगी तो आम अवाम को, इस राज्य के धन का ठीक से सदुपयोग हो, पारदर्शिता के आधार पर हो, कोई भी व्यक्ति जाय, उस पोर्टल पर टेण्डर डाक्यूमेंट को खोले, उस डाक्यूमेंट में तमाम सूचनाएं जिसमें खरीद से लेकर, क्रय अवधि से लेकर, निर्माण से लेकर, कब उसकी अवधि बढ़ी, मैं कई योजनाएं आपको ऐसी बता सकता हूं जिनका विधान सभा में जिक्र आ चुका है, टाइम बाउण्ड होने के बाद भी उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, लगातार उसका टाइम एक्सटेंशन होता जाता है। टाइम एक्सटेंशन का कोई कारण नहीं,

(श्री ओम बिरला)

किसलिये टाइम एक्सटेंशन हुआ? उसके पैसे की वृद्धि होती जाती है, टेण्डर हुआ एक लाख का और टेण्डर होते-होते पहुंच गया एक करोड़ का। इन सारी सूचनाओं का काम, इस धारा, इस सेक्शन के अन्दर माननीय मंत्रीजी विचार करें और अगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं, ईमानदारी लाना चाहते हैं, या केवल बिल लाना चाहते हैं तो अलग बात है, मगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो इसमें यह करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 3(1) के तहत इन्होंने सारे डिपार्टमेंट लिये हैं, जिनमें सरकारी भी लिये हैं, अर्द्ध-सरकारी भी लिये हैं, निगम भी लिये हैं, बोर्ड भी लिये हैं, कारपोरेशन भी लिये हैं, इन्होंने यह कहा है कि विधान सभा से पारित किसी भी एक्ट के तहत आने वाली संस्था इसके तहत होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालय से लेकर तमाम वे संस्थाएं जिनको सरकार वित्त-पोषित करती है, मुझे लगता है कि जब हमारे माननीय मंत्रीजी जवाब दें तो यह स्पष्टीकरण करें कि निजी विश्वविद्यालयों से लेकर तमाम संस्थाएं इस सेक्शन में आएंगी या नहीं आएंगी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 31..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरला जी, आप थोड़ा शार्ट कर सकते हैं क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह भाषण नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा भाषण नहीं है, मैं डिबेट पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप देखिये, नहीं, डिबेट नहीं है। यह भाषण आप दो दिन भी बोल सकते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बिल पास कर रहे हैं, मैं सेक्शनवाइज बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। आपको मैक्सिमम 15 मिनट बोलने का अधिकार है, आपने आधा घण्टे से ज्यादा टाइम ले लिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल पर बता दें आप...

श्री उपाध्यक्ष: आप शार्ट कीजिये, दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: आप दो मिनट में समाप्त करें, मैंने निवेदन कर दिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं अपनी बात को सेक्शनवाइज कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सेक्शनवाइज भी इस तरह से इतना लम्बा नहीं चलेगा। आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 31 में समकक्षता के आधार पर असीमित कार्य करने की शक्ति। एकल टेण्डर के अन्दर कोई भी क्रेता उपकरण, तकनीकी, अन्य सेवायें, जिनके बारे में सक्षम मानते हैं, उनका अनलिमिटेड पर्चेज कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 60 के अन्दर, मूल आदेश में जितना आर्डर दिया है, उसके 50 प्रतिशत तक की सीमा तय की गई है, लेकिन इसमें असीमित, एक बार टेण्डर करने वाला, सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत हो जाए तो असीमित रूप से खरीद कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं जो इस एक्ट में नहीं हैं। केन्द्र सरकार ने अपने एक्ट में कहा है, procurement contractor be provided with timely payment. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर निर्माण से लेकर, क्रय से लेकर सेवाएं, अगर हम प्रतिस्पर्धा से करना चाहते हैं तो इस एक्ट के अन्दर टाइमली पेमेंट भी होना चाहिए। अगर टाइमली पेमेंट होगा तो पेमेंट के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसको न मंत्रीजी के पास जाना पड़ेगा, न अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। एक्ट में होना चाहिए जो मंत्रिमण्डल में, केन्द्र सरकार...

श्री उपाध्यक्ष: बिड़ला जी, आप केवल कारण बताइए, ऐसे नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो केन्द्र सरकार ने 2012 के अन्दर यह कहा है कि आपूर्ति के तीन दिन के भीतर...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें। मैं नेक्स्ट नाम पुकारूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूं, आसन आपका सम्मान करता है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड स्टेज पर सेक्शंस पर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बहस करोगे तो कोई काम नहीं चलेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं, मैं थर्ड स्टेज पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह कतई नहीं चलेगा। आप कृपया, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, समाप्त करिए। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं थर्ड स्टेज पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिए, समाप्त करिए। आधे घण्टे से ज्यादा बोल लिये आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम फिक्स थोड़े ही है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, फिक्स है, मैं इसे फिक्स कर रहा हूं, आसन फिक्स कर रहा है। आप दो मिनट में समाप्त करिए। दो मिनट के बाद आप समाप्त करिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार पहले ही बिल ऐसे लाती है।

श्री उपाध्यक्ष: वह सरकार क्या, आप इसको परिचालित क्यों किया जाए, सीधी बात पर आइए। सरकार ला रही है, वह क्यों ला रही है, यह सदन निर्णय करेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान) इसमें, माननीय, सेक्शन 5 में प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता का निर्धारण, हमारा इसमें इतना ही कहना है कि सरकार जो निर्माण कार्य या खरीद करती है, उसमें आम जन की भी राय लेनी चाहिए। कई स्थानों के अन्दर ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं जिसके उदाहरण मैंने कोटा में दिये थे, 90 करोड़ का सीवरेज का ए डी बी का काम, ऐसे कई काम हुए हैं जिनमें जनता का करोड़ों रुपये, करोड़ों रुपया लगेगा, करोड़ों रुपया लग चुका है लेकिन वह जनता के उपयोग में नहीं आया है। ऐसे काम निर्धारित करने से पहले, कम से कम एक करोड़ से ज्यादा के काम का निर्धारण करने से पहले आम जनता से, विधायकों से राय लेकर उस निर्माण और उस खरीददारी को करोगे तो हम जनता के साथ न्याय करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तमाम बिल जो सरकार कह रही है, हम पारदर्शिता और हम प्रतियोगिता को, प्रतिस्पर्द्धा को ला रहे हैं, यह तमाम बिल भ्रष्टाचार और करप्शन को बढ़ाने का होगा। सरकार के अन्दर बैठे लोग सरकार में बैठ कर तय कर लेंगे कि कांट्रेक्ट किसको मिलना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर इस बिल को पूर्ण रूप से सरकार लाना चाहती है तो जनमत को जाने...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जनमत को जानने भेजे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और सरकार उस बिल को लाकर सदन के अन्दर पेश करे ताकि हम जनता के साथ न्याय कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसाराम चौधरी। (व्यवधान) आप विराजें। देखिए, ऐसा है, ...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिए। आपसे अनुरोध किया था अध्यक्ष जी ने, मुझे ध्यान है, यह बिल ज्यों ही होगा, दूसरा बिल आएगा। उससे पहले आपको मौका दिया जाएगा। आपको ही नहीं दिया जाएगा, राजवीजी की पर्ची है, उनको भी देंगे। दो का है। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): यह सबसे गम्भीर मैटर है, आज के दिन यह सबसे गम्भीर मैटर है। मैंने पर्ची दे रखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए, ऐसे जनरल होगा तो फिर जीरो आवर रखने का और नहीं रखने का कोई आशय ही नहीं है। कोई विशेष गम्भीर, आप देखिए, पर्ची दे दीजिए, ये यहां से निर्णय हो जाएगा, जो आवश्यक होगा। आप लिख कर के भेज दीजिए, यदि उचित समझा जाएगा तो निश्चित रूप से आपको मौका दिया जाएगा और उचित नहीं होगा तो सगीर साहब को और राजवी जी साहब, दो को मौका दिया जाएगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): नहीं, मेरा बहुत ही विषय गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल केसाराम चौधरी का अंकित होगा, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप गम्भीरता से बैठें। केसाराम जी चौधरी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा। श्री केसाराम चौधरी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए, केसारामजी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पर्ची भेजिए, आप पर्ची नहीं भेजोगे तो कैसे होगा?

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केसारामजी चौधरी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष जी आएंगे तब निर्णय कर देंगे, अध्यक्ष जी के पास भेज दी है तो। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम जी चौधरी, आप बोलिए, आपका अंकित होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं बोल रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 आज सदन में लाया गया है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण व्यवहार, प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने एवं दक्षता और मितव्ययता को बढ़ाने, सत्य-निष्ठा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए यह बिल आप सदन में लाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस बिल के लाने से जो इस ठेका प्रथा में डायरेक्ट विभागों के जिस तरह से कमीशन बंधे हुए हैं, उन पर रोक लग सकती है? जैसे पी डब्ल्यू डी है तो सीधा 10 परसेंट उसमें जाता है। टेण्डर प्रक्रिया होती है, सब कुछ व्यवस्था होती है, उसके बावजूद भी 10 परसेंट ठेकेदार को किसी भी सूरत में साफ-साफ देना पड़ता है। इरिगेशन में 10 परसेंट चलता है, पी एच ई डी में 20 परसेंट है। पाइप लगे, दक्षता के लगे, टेण्डर के अनुसार लगे, मगर फिर फट क्यों जाते हैं? मगर यह बिल लाने से क्या ये सारी गड़बड़ियां खतम हो जाएंगी?

आप चाहते हैं, इसमें जवाबदेही और ईमानदारी उच्च स्तरों पर सुनिश्चित करने के लिए, लोक उपापन में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए यह बिल ला रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस बिल को आप इतनी जल्दी में जो लाये हैं, इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए ताकि ये जो कमियां हैं, जो टेण्डर प्रणाली में डायरेक्ट विभाग का कमीशन चला

(श्री केसाराम चौधरी)

जाता है, पाइप लाइनें और मीटर खरीदे हुए ढेर सारे, पूरा-पूरा डिपार्टमेंट भरा पडा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं? इस बिल में ऐसे प्रावधान करने चाहिए थे कि जो टेण्डर होते हैं उसमें पूर्ण रूप से उसके ऊपर जिम्मेवारी हो, ताकि यह बिल उसको बाध्य करे कि जो भी टेण्डर प्रणाली है, उसमें जो भी किसी तरह का लीकेज हो रहा है, उस लीकेज को रोकने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल का नाम बहुत सुन्दर है, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अगला नाम पुकारूं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुकारना ही है, मेरे बाद तो पुकारना ही है आपको। आपकी ड्यूटी ही यही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजोगे, तब अगला नाम पुकारूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नाम बहुत सुन्दर है लेकिन काम बहुत उलटे हैं। राजस्थान की सरकार इस कानून के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जहां प्रोक्योरमेंट की बात है,... (व्यवधान) तभी उससे तो आगे मैं कहूंगा। अभी राजस्थान में गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, सहकारिता मंत्रीजी, पिछली 20 तारीख को कह रहे थे, हमारे पास गेहूं रखने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास बारदाना नहीं है; हमारे देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं, रखने के लिए जगह नहीं है तो कैसा प्रोक्योरमेंट? जब किसान जिसने दुगुनी लागत से फसलें पैदा की हैं, 485 की डी ए पी एक हजार में खरीदी है, महंगा डीजल, हर चीज, और हमारी सरकार केवल कानून को लेकर लोगों को भ्रमित करना चाहे, तो जो जनता के हक हैं, वे जनता को नहीं देकर के जिस तरह की लूट, मैं समझता हूं कि आज पूरे देश में, देश और प्रदेश की सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की हैं, उसके बाद जिस तरह का देश में भ्रष्टाचार हर प्रोक्योरमेंट में, हर गतिविधि में, सरकार की गतिविधियां, चाहे वह खेल की हों, प्रोक्योरमेंट की हों, टेण्डर की हों न केवल सरकार के माध्यम से जिस तरह का भ्रष्टाचार का पूरे देश में वातावरण बना है और जनता, जिससे आम अवाम

(श्री अमराराम)

दुःखी है, एक-एक नारे पर, जहां लाखों लोग जिस नारे पर उतर रहे हैं, क्योंकि आम अवाम भी चाहता है कि पारदर्शी हो, पारदर्शिता हो और जनता के टैक्स से जो पैसा आता है, उसका सदुपयोग हो। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल कानून बनाने से नहीं होगा, वह इच्छाशक्ति से होगा और वह इच्छाशक्ति ही, उदारीकरण और निजीकरण का मतलब है कि जो कुछ धन सम्पदा है वह लोगों के हवाले करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आज टेण्डर लेने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां, बड़े-बड़े अधिकारी और सत्ता में बैठने वाले लोग जिस तरह का कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस कानून के बनने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी होगी। आज जो हालत सीकर में हुई, हाउसिंग बोर्ड की कालोनी बनाने के लिए किसानों की जमीन एक्वायर करने की बात होती है, नोटिस दिया जाता है और सरकार में बैठे हुए लोग, उनके मध्य में से ऐसे लोगों से जो बहुत बड़ा भूमाफिया है, बहुत बड़े-बड़े ताकतवर लोग हैं उनसे मिलीभगत करके उस जमीन को डिएक्वायर कर दिया जाता है। जो गरीब आदमी है, जितनी जमीन डिएक्वायर की जाती है, उसकी 25 प्रतिशत जमीन डिएक्वायर करने वाले अपने लोगों के नाम से रजिस्ट्री डिएक्वायर के आदेश के दो दिन बाद हो जाती है। वे अब ट्रांसपेरेंसी करेंगे, मुझे नहीं लगता।

आज जिस तरह से राजस्थान की जनता के पैसे का मिस्यूज हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे सीकर में एक बाइपास बना, बीकानेर बाइपास। 14 साल तक एक निजी कम्पनी ने सड़क बनाकर टोल वसूल किया और वह खत्म होने के बाद दो साल पूरे हो रहे हैं, आज तक उसमें पेच नहीं हुआ। हमारे यहां विभाग की तरफ से कोई भी काम होता है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 किलोमीटर सड़क केवल रिनोवेशन करने के लिए और 10 किलोमीटर की वाइडनिंग करने के लिए 7.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, लागू होने के 6 महीने बाद सड़क गायब हो जाएगी। इसलिए जो मिलीभगत करके राजस्थान की जनता का धन लूट रहे हैं जमीन के नाम से, खनिज के नाम से, मैंने पहले भी कहा कि 29 फरवरी को हमारे सीकर जिले में जुगलपुरा में 7 खानें दी गईं, जो 12 लाख रुपये दे रहा था उसको न देकर 2 लाख वाले को दे रहे हैं। तो पारदर्शिता कहां होगी?

केवल कानून बनाने से लोगों में भ्रम तो पैदा किया जा सकता है। हमने बहुत बड़ा इस संविधान के तहत कानून बना दिया कि इस देश में बाल

(श्री अमराराम)

विवाह नहीं होगा, 18 साल तक की बच्ची और 21 साल तक के बच्चे की कोई शादी नहीं होगी, लेकिन अभी भी कानून बनने के बाद हम प्रशासन को आदेश देते हैं कि आखातीज के दिन बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कानून तो है, बाल विवाह भी हैं, शासन भी है, प्रशासन भी है और जनता के सामने, आंखों के सामने उस कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचार की जो इंतहा हुई हैं, उसके प्रति आम अवाम का जो गुस्सा है उसको शीतल करने के लिए केवल मात्र यह कानून लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए है।

इसलिए इसको जनमत जानने के लिए, 3 महीने के लिए कि वाकई में ट्रांसपेरेंसी हो, जनता का धन जो टैक्स से आता है, सरकार के खजाने में आता है, जो विकास में लगता है, जो कुछ भी किसान पैदा करता है उसको वाजिब कीमत मिले...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, मेरा यह प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमारामजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कैलाशजी भंसाली

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्वागत करता हूं, बिल के पीछे जो भावना है वह भावना निश्चित रूप से सुधारात्मक होगी, जिस मंशा से अपन लाये, लेकिन जब इतना इंपोर्टेंट बिल अपन बना रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि इसके प्रत्येक सेक्शन को ठीक प्रकार से एनेलाइज करना चाहिए। अब तक क्या है कि हमारे यहां जिस प्रकार का टेंडरिंग सिस्टम है और जिस प्रकार से हम किसी से भी सामान खरीदते हैं, उसकी व्यवस्था में इतनी कमियां हैं जिनके कारण कहीं काम में डिले होता है, तो कहीं खराब माल सप्लाई होता है, कहीं वह इतना सक्षम व्यक्ति नहीं होता कि वह हमारे इस काम के अन्दर टेण्डर दे सके, बाद में वह बैकआउट हो जाता है, कई बार पूलिंग हो जाता है और मिल-जुलकर एक ही लोग 3-3 तरह की कम्पनियां बनाकर उस टेंडरिंग में आ जाते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन सब चीजों को रोकने के लिए, निश्चित रूप से जो इसमें भावना है, वह भावना ठीक है, मेरी केवल इसमें राय इतनी है, कोई जल्दी नहीं है, अगर यह 2-3 महीने या 4 महीने, 6 महीने यह कानून देर से बनेगा तो बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। जिस भावना से हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस भावना की कद्र करते हुए मेरी मंशा है कि आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजकर इसमें बिन्दुवाइज जहां कहीं कमियां रही हैं, जैसे अब आपको किसी को भी सज़ा देनी है तो जब राज्य सरकार की बिना सहमति से कुछ हो नहीं, आपने सारा अपील का अधिकार भी दे रखा है, अपील होने के बाद भी अगर किसी न किसी प्रकार की गलती की और वह दण्ड का भागी तभी हो पाएगा जब राज्य सरकार की कंसेंट मिलेगी।

तो मैं सोचता हूं कि जो प्रोविजन हमने डाले हैं, मेरी भावना है कि अगर मंत्री महोदय इसको ठीक समझते हैं, यदि जिद का सवाल है तब तो कोई कहना नहीं, जिस भावना से आप लाए, उसकी भी मैं मन से प्रशंसा करता हूं, हम चाहते हैं, सिस्टम में सुधार हो, गुणवत्ता में सुधार हो; समय की कमी है, इस प्रोसेस में कहीं लगता है कि हमें अधिक समय लगेगा, इस समय को हम कैसे घटा सकते हैं, क्योंकि पहली अपील, दूसरी अपील, फिर उसके बाद में समय कैसे बचाया जा सकता है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। मेरा केवल इतना ही है कि अगर मंत्री महोदय जिद न करें तो निश्चित रूप से एक अच्छा बनने वाला कानून, उसको किसी सलेक्ट कमेटी को भेजकर इसके एक-एक, छोटे से छोटे बिन्दु को और अच्छी तरह से सबकी सहमति से, सबकी राय से, जो भी मेम्बर्स हमारे यहां हैं, जो अच्छी प्रकार से रूचि रखते हैं, उनको उस कमेटी में रखकर इसको ठीक प्रकार से बनाएं और फिर हाउस में लाएं तो सर्वसम्मति से वह बिल पास होगा। उसके पीछे आपकी और हम सबकी जो धारणा है, जिस प्रकार से दुरुपयोग होता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिस ढंग से काम में डिले होता है, उसको अपन रोक सकते हैं और उसको ठीक बनाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे सदन में चर्चा है कि माननीय मंत्रीजी आपका बहुत आदर करते हैं और आपकी भावना का ध्यान भी रखते हैं।

माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लेकिन वे जिद पर हैं, करेंगे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं। अगर 15 दिन लेट हो जाएगा, 4 महीने लेट हो जाएगा तो कौनसा आसमान आ जाएगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह सदन मूल रूप से विधान बनाने के लिए है और विधान बनाते समय, हम यह भी जानते हैं कि जो काम कानून से सरकार करती है वह काम सरकार नोटिफिकेशन और आदेश से भी कर सकती है। इसलिए जनरल फाइनेंस रूल्स के अंतर्गत अभी तक हम जितनी टेण्डर की प्रक्रिया करते थे, जो काम करते थे, उस सारी प्रक्रियाओं को भी हमने कानून का रूप देने का का काम किया है।

यह कानून लाने के पीछे कारण क्या बनें, दो-तीन कानून आप लेकर आये, इसका ध्यान से चिन्तन करें। आप लोक सेवकों की सम्पत्ति को अधिग्रहीत करने का कानून विधान सभा में लेकर आये, क्यों लेकर आये हम? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं जो पैसा भेज रहा हूं, उसमें 15 पैसा लगता है। यह 85 परसेंट पैसा कहां जाता है? यह लोक सेवकों की जेब में जाता है, ठेकेदारों की जेब में जाता है, खराब काम करने में जाता है। फिर देश में एक माहौल बन गया था, कामनवैल्थ का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें मूल रूप से जो प्रश्न उठे, वे सारे के सारे प्रश्न टेंडरिंग के, प्री-बिड के, प्री-क्वालिफाइंग टेंडर के इन सब बातों को लेकर सारे प्रश्न उठे, उसमें रिपोर्ट आयी। फिर शुंगलू समिति की रिपोर्ट आयी, दिल्ली सरकार पर आक्षेप किया, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। राजस्थान में अभी आपने यह काम किया, राजस्थान में अपना सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें एक संस्थागत ढांचा सा विकसित हो गया था जिसमें भ्रष्टाचार अन्तर्निहित हो गया था। आपने काम करके निपटाया मंत्रीजी को, वह काम आपने ठीक कर दिया, लेकिन जो संस्थागत ढांचा तैयार हो गया था उस ढांचे को ठीक करने का काम हो। तो यह सारा माहौल बना है इस देश में। अब सरकार कानून लाकर यह कहे कि इसको साफ कर देंगे, म्हारा कपड़ा तो धोळा है, कपड़े काहे को धोळे हैं, यह सारा पैसा आया कहां से? यह जो काला धन विदेश में जाकर जमा हुआ है और जिसकी लिस्ट माननीय प्रणब मुखर्जी भेजने वाले हैं, उनमें बहुत लोग हैं जो लोक सेवक हैं, राजनेता हैं, बड़े व्यापारी हैं। यह सारा का सारा पैसा जो सरकार का है, वह इसी पालिसी के अन्तर्गत बाहर गया।

(13.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि टेंडर होता है, लोएस्ट टेंडर पर अपन सामान देते हैं, फिर भी पैसा जमा होता है। आप देखिए, आजकल आई.ए.एस. की रेट कम हो गई, जब शादी करते हैं तो आजकल दहेज कम हो गया क्योंकि लड़कियों की संख्या कम हो गई, पर पहले शादी करने में आई ए एस और आई पी एस देखते थे। अब आई ए एस की ज्यादा वेल्यू नहीं रही, वो तो सस्ते में मिल जाता है, या कोई आईएएस लड़की मिल जाए, या वैसा काम हो जाए। आजकल बिजली में, पी एच ई डी में इंजीनियर ऐसी जगह पर है। उसको पूछते हैं कि ऊपर की कमाई कैसी है, कहते हैं कि तनख्वाह तो 20 हजार रुपये ही है लेकिन ऊपर की कमाई 4-5 लाख रुपये है। अगर कोई इंस्पेक्टर है तो उसका भी काम बहुत तेज है। आप जयपुर का एक सर्वे करवा लें और प्रकाशित करवा दिया जाए कि जयपुर में प्राइवेट सोसायटीज के अन्दर मकान बने हैं तो पता लग जाएगा कि अधिकांश सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जयपुर में ही मकान बनाएं हैं। तो किसकी सम्पत्ति आप जब्त करोगे? 75 प्रतिशत जयपुर ही जब्त हो जाएगा। जे डी ए की बिना परमिशन के सारे मकान बन रहे हैं। किस-किस काम में आप रोकोगे?

माननीय मंत्रीजी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप पता भी कर लें, जयपुर में ट्यूबवैल खोदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस समय प्रतिबंध है और बिना कलक्टर की अनुमति के नहीं खुदता है। पर आजकल सीधा खाता हो गया है कि थाने में जाओ, 11 से 25 हजार की रेट है, जमा कराओ और रात को ट्यूबवैल खोदो। जयपुर में ट्यूबवैल खुद रहे हैं। यह एक और भ्रष्टाचार का काम उससे चालू हो गया है।

इसलिए यह जो सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमारा पाक साफ करने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि यह बिल आए लेकिन इस बिल के आने से उन पर नियंत्रण नहीं लग पाएगा। जिन-जिन राज्य सरकारों में यह बिल आया है, उनका मुझे ध्यान है, इन बिलों के आने के बाद में जिस प्रकार की रिपोर्ट आई है, उन्होंने लिखा है – ".. lack of adequate need, assessment, planning and budgeting of public procurement, requirements that are not adequate or objectively defined, and inadequate or irregular choice of procedure and a time-frame for the preparation of the bid that is insufficient or not constantly applied across bidders.... " ये कुछ बातें हैं जो प्री-क्वालिफाइंग टेंडर के अन्तर्गत आती हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने इस बिल में यह भी प्रावधान किया है कि जिस प्रकार भारत सरकार रेट कांट्रेक्ट करती थी डी जी एस एण्ड डी के माध्यम से, उस प्रकार हम यहां भी रेट कांट्रेक्ट का विधान कर रहे हैं, वह भी हम लागू कर रहे हैं। उस रेट कांट्रेक्ट में देश भर में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। उसके बाद हमने स्टेट में परचेज प्रिफरेंस और प्राइस प्रिफरेंस, ये दो शब्द और जोड़ दिए। उनके कारण से डी जी एस एण्ड डी के रेट कांट्रेक्ट के बाद भी करोड़ों रुपये का घपला इन सारी प्रक्रियाओं में हुआ। जब टेंडर होते हैं तो सारे ठेकेदार पूल बनाकर रोक लेते हैं। इस कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि ठेकेदार पूल बनाकर टेंडर नहीं करेंगे, ऑन-लाइन कर देंगे। इसमें कहीं प्रावधान नहीं है और उसको रोकने की हमारी स्थिति नहीं है।

स्टेट का जो आप सेक्शन 50 में स्टेट प्रोक्योरमेंट एण्ड फेसिलिटेशन जो बना रहे हैं, यह सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को बनाएंगे, वह सारा इसमें काम तय करेगा। फिर सेक्शन 17 में आपने इसकी व्यवस्था की है। यह सारा करके आपने फिर अपील का अधिकार दिया है, फिर सज़ा का अधिकार दिया है। यह सारा मामला वास्तव में अगर हम करना चाहते हैं तो इस बिल को पुन: देखने की आवश्यकता है। यह बिल भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाला होना चाहिए, डिले करने वाला नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण का मुझे ध्यान है कि बीसलपुर का पाइप लाइन का प्रोजेक्ट 13 महीने देर हो गया, इसी काम से हुआ। टेंडर हुए और एक आदमी जिसका टेंडर मंजूर नहीं हुआ, वह आदमी चला गया, रुक गया और 13 महीने बाद में वही काम वापस चालू हो गया। इसमें आपने कौनसा प्रावधान किया है जिसमें वह डिले जो है उसको रोका जा सके? आपने केवल अपने पास का किया है कि हमारे पास अगर आएगा तो उसको 6 महीने की सज़ा और इतना जुर्माना हो जाएगा। सारी की सारी टेंडर प्रक्रिया में आज भी वह की वह स्थिति है। वे सारे शब्द आपने इसमें ले लिए जो जनरल फाइनेंस रूल्स में थे।

मैं समझता हूं कि हम चाहते हैं कि एक्ट बने, इस एक्ट की भावना का भी हम सम्मान करते हैं लेकिन केवल कानून बनाने से ही काम नहीं होगा। कानून तो बने हुए हैं, जनरल फाइनेंस रूल्स कानून ही है, सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन कानून है, सरकार वह काम कर सकती है। तो जब हम उसमें नहीं रोक सके तो यह एक्ट बनाकर हम कैसे रोक सकेंगे, यह आप मुझे बता दीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसा एक्ट बने जिसमें हम सब लोग बैठकर विचार करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब यह पब्लिक में जाना क्यों जरूरी है, इसके चार पाइंट हैं। पब्लिक यह जानती है कि किस प्रकार रोड बनती है, किस प्रकार पाइप लाइन डाली जाती है, किस प्रकार का काम होता है और इसमें क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं। जब जनमत जानने के लिए विज्ञापन देकर विधान सभा से जाएगा तो जनता के सुझाव आएंगे कि ये-ये काम इस एक्ट में होने चाहिए ताकि एक्ट सही हो सके। उनको पता है कि कमीशन किस प्रकार मिलता है, उनको पता है कि घटिया सामग्री का कैसे प्रयोग किया जाता है, उनको पता है कि जब टेंडर देने जाते हैं उस समय लठैत मार-पीटकर दूसरे को टेंडर कैसे नहीं देने देते हैं। यह सारा जनता तक जाने से पता लगेगा। इसलिए जनता के सुझाव आ जाएं, यह बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई जिद का सवाल नहीं है। हम इस एक्ट के पक्ष में हैं, एक्ट को बढ़िया बनाना चाहते हैं, केवल आपसे यह कहते हैं कि जो हमने बातें कही हैं, वे सारी बातें अगर आप ले लेंगे तो यह सारा का सारा मामला आपके पास आ जाएगा। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि जैसे यह जलमहल का प्रकरण है, टेंडर की प्रक्रिया तो हुई न? नहीं हुई क्या? सारी प्रक्रियाएं हुईं और आज मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। कई और भी ऐसे मामले हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको इस बार जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि जनता की बात आए और हम इस बिल को ठीक बना सकें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिरला साहब, चौधरी साहब, अमराराम जी बोले, पेमाराम जी नहीं बोले और भंसाली साहब रह गए और माननीय कटारिया साहब, माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी ने अपनी बात कही। कटारिया साहब के अलावा सबने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात कही। ज्यादातर जो भी तर्क आपने दिए, वे जनमत जानने के लिए दिए। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो बिल का ड्राफ्ट बनाया गया, वह विभाग के द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया, समाचार पत्रों में बाकायदा विज्ञापन दिया गया, जिसकी यह कापी मैं आपको बता देता हूं। आम जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए और जनता को रीजनेबल टाइम दिया गया कि राजस्थान की सरकार इस प्रोक्योरमेंट बिल को लाना चाहती है और इसमें जिसके जो भी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सुझाव हों, वे सुझाव राजस्थान सरकार आमंत्रित करती है। जो कुछ सुझाव इसमें आए हैं, उनको जहां तक सम्भव हो सका, उनको इनकार्पोरेट करने की कोशिश भी की गई।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल ड्राफ्ट करते समय, जैसा कि अभी बिरला जी ने कहा, कर्नाटक का, तमिलनाडु के एक्ट का भी पूरा अध्ययन किया गया है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस कमीशन आन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ला, इसको भी देखा गया है। इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रह गया जिसको कि शामिल किया जाना चाहिए था और नहीं किया गया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

पहले तो मैं बिरला जी की बात का जवाब देता हूं। मोटी बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है, आब्जेक्ट क्या है? जहां तक आब्जेक्ट का सवाल है, प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता, यह तो आप मानते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, जनता के इसमें सुझाव आए हैं क्या? हम यह जानना चाहते हैं कि जनता के कोई सुझाव आए हैं क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराज जाओ, यह प्रोक्योरमेंट का मामला है, आप नहीं समझ सकते। आप समझ नहीं पाओगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने विज्ञापन तो दिया पर किन अखबारों में दिया? यह हमने नहीं देखा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखो, बेकार में टाइम खराब मत करो, विराजो आप।

खास तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी है वह ट्रांसपेरेंसी क्यों रखी जानी चाहिए? आखिर कहीं तो गड़बड़ है। जिस प्रकार की शिकायतें आम तौर पर सरकार को मिलती हैं, जन-प्रतिनिधियों को मिलती हैं, जनता से प्राप्त होती हैं शिकायतें, उन शिकायतों को दूर करने के लिए यह लाया गया है। मितव्ययता, क्षमता बढ़ाना, सप्लायर और कांट्रेक्टर के बीच में हैल्दी काम्पीटिशन और समानता का व्यवहार हो, आपूर्ति और प्रक्रिया में आम लोगों का यह विश्वास बढ़े, इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। मोटा जो उद्देश्य है कुल मिलाकर, इस बात का है, ट्रांसपेरेंसी, एक-एक चीज साफ हो।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक के अनुसार एक

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

लाख रुपये तक की, अधिक सामग्री के प्रोक्योरमेंट के मामले में जो भी उल्लंघन है, तो उल्लंघन करने वालों के, वह चाहे कांट्रेक्टर हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, उनके लिए दण्ड का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। यह विधेयक राजकीय विभागों, जैसे आपने शक किया था कि वह वहां तक ही, सेक्शन 43 तक ही सीमित रहेगा...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैंने कहा था, सेक्शन में, जो भी विधान सभा के अन्दर एक्ट पारित होगा, उसमें प्राइवेट विश्वविद्यालय तक भी आ जायेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं उन सबका जवाब दूंगा, आप विराजो।

सेक्शन-3 में आपने कहा था कि इतने विभाग दे रखे हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि राजकीय विभागों, उपक्रमों, निगमों, मण्डलों, स्वायतशासी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, राजकीय सहकारी संस्थाओं पर लागू होगा, लेकिन यह प्रोविजन भी है कि सरकार नोटिफिकेशन के जरिये दूसरे विभागों को भी इसमें शामिल कर सकती है। जवाब आ गया आपका?

सेक्शन-17 के बाबत आपने यह बताया कि मापदण्ड वही, तो अक्सर यह देखा जाता है कि मापदण्ड इस प्रकार के रखे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर कांट्रेक्टर को यह ठेका दे दिया जाता है। मैं यह समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद में इस प्रकार की सम्भावना रह ही नहीं सकती। यह निर्मूल है। आपकी जो आशंका है, वह टोटली, कम्प्लीटली निर्मूल है।

इसी प्रकार से आपने जो बताया कि पूल होगा, पूल के बाबत जिक्र किया। निर्धारित राशि से अधिक के लिए प्रोक्योरमेंट आवश्यक है, यह ठीक है जिससे कि पूल होना रुकेगा। वर्तमान में 50 लाख रुपये से अधिक के जो टेण्डर हैं, वे ई-टेण्डरिंग से लागू होंगे तो किस प्रकार से पूल होगा? यह समझाया जाये कि ई-टेण्डरिंग में किस प्रकार से पूल होगा?

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन सेक्शनों पर बोले हैं, उनमें से तीन के बाबत मैंने आपको जवाब दे दिया है। सेक्शन-17 के बाबत आपने बताया, इसमें स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनेगा जो जानकारी सार्वजनिक भी देगा और आमंत्रण से लेकर अवार्ड तक, मतलब टेण्डर से लेकर वर्क आर्डर तक की प्रक्रिया को, सारा प्रदर्शित करेगा। कहीं पर भी इसमें कहीं कोई छिपावट नहीं रहेगी। एक-एक चीज जनता की निगाह में आयेगी, यह

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

चीज दिखा दी गई है वर्क आर्डर तक, और वर्क आर्डर में ही वह कम्प्लीशन की तारीख होगी। जो शंका आपने बताई कि कब तक खतम होगा, कब तक नहीं खतम होगा, तो बाकायदा उसमें सारी चीजें प्रदर्शित होंगी कि काम कब स्टार्ट किया गया और काम कब कम्प्लीट होगा।

इसी प्रकार से सेक्शन-38 के लिए आपने कहा, बिरला साहब आपने कहा कि उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी को द्वितीय अपील सुनने को अधिकार होगा। यह गलत है, आप सेक्शन-38 को फिर पढ़ें। सेक्शन-38 में लिखा हुआ है कि प्रथम अपील अधिकारी उसी विभाग का होगा लेकिन द्वितीय अपील अधिकारी कौन होगा, उस विभाग से अलग राज्य सरकार तय करेगी, वह राज्य सरकार उसको आथोराइज करेगी। राज्य सरकार के द्वारा अथोरिटी जो नियुक्त की जायेगी, जो उसकी सैकण्ड अपील सुनेगा, वह उस विभाग का अधिकारी नहीं रहेगा।

सेक्शन-43 ले लें आप, आपने 43 का भी जिक्र किया कि तंग करने वालों को अपील के लिए क्या किया जायेगा? सेक्शन-43 में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी इस मंशा के साथ बोली लगाना चाहता है कि वह वाजिब बोली लगाने वाले को हानि पहुंचाना चाहता है और किसी प्रकार से द्वेषपूर्ण एक्ट करना चाहता है, तो उस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी है और 20 लाख रुपये के साथ-साथ उपापन मूल्य के पांच प्रतिशत तक का जुर्माना भी उसमें शामिल है और इन दोनों में से जो अधिक है, वह उससे वसूल किया जायेगा।

ठीक इसी तरीके से सेक्शन-50 को ले लें आप, सेक्शन-50 के बाबत भी आपने, माननीय बिरलाजी ने जिक्र किया स्टेट प्रोक्योरमेंट सेल का। वह शायद आप पढ़ नहीं पाये, इसलिए आपने बोल दिया। स्टेट प्रोक्योरमेंट सेल भी पारदर्शिता और मार्गदर्शन का कारण बनेगा, यह सैल भी करेगा। यह सेक्शन-50 है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सेक्शन-50 पर मैं नहीं बोला।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने नहीं बोला? तो और कोई साहब बोल गये होंगे। मुझे ध्यान नहीं रहा, यह हो सकता है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें, 55 में अभी तो नियम बनेंगे, प्रक्रिया बनेगी और उस प्रक्रिया के अन्दर मैं आपको साफ-साफ

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बताता हूं, देखिये, मोटे तौर पर यदि देखा जाये तो जो भी नियम बने हुए हैं, अपने-अपने विभागों के नियम बने हुए हैं, अपने-अपने लेखा नियमों और निर्धारित पद्धति के अनुसार जो प्रक्रिया बनी हुई है, मोटे तौर पर उसी के अनुसार काम होता है, लेकिन उनके ऐसे नियम और प्रक्रियाएं हैं जो ज्यादातर जनरल फाइनेंस एण्ड एकाउंट्स रूल्स की तर्ज पर आधारित हैं। अब सरकार ऐसे सभी क्रय-विक्रय, निर्माण कार्यों और सेवा प्राप्त करने वालों के सम्बन्ध में इस एक्ट के तहत एक ऐसी प्रक्रिया लागू करना चाहती है जो विवादों से, आलोचनाओं से और शंकाओं से दूर रहे।

कुल मिलाकर जो आशय है इस बिल का, वह यह है कि किसी प्रकार से पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, एक-एक चीज जनता के सामने खोलकर रख दी जाये। जिस प्रकार की शंकाएं आज उपस्थित होती हैं और जिस प्रकार की आलोचनाएं आज देखने को मिलती हैं, जिस प्रकार से यह गलत कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है, उन सबको दूर करने के लिए ही यह एक्ट लाया गया है

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट को, पहले जनमत जानने वाली बात लें आप।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो।

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो मैं पूरा बोला ही नहीं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वह तो जनमत के लिए गया। नहीं, उन्होंने 'हां' भर ली, वे उधर से बोल गये।

श्री उपाध्यक्ष: इतनी जल्दबाजी! (व्यवधान) देखिये, माननीय सदस्य अति उत्साही नहीं हों, पूरी बात सुनकर बोलें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

आप उपस्थित थे, पता है सदन को। उपस्थिति मत दर्ज कराइये। हो रही है वह तो।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 59 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 59 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 59 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार... सारी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारी मेयर ने ठीक ही कहा था। (व्यवधान) हां, वह हमारी मेयर ने ठीक ही कहा था कि बुढापा है।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्द जी भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

लाया गया है, स्वागत योग्य है परन्तु इसकी जो भावना है, उसमें जिस तरह की पारदर्शिता आज देखने को मिलती है वह बहुत ही घटिया किस्म की है। सब जगह मिलीभगत से काम हो रहे हैं। निश्चित समय में टेण्डर्स आते नहीं हैं, ठेकेदार टेण्डर्स प्रस्तुत करते नहीं हैं, फिर जब आखिरी वक्त लास्ट डेट होती है, उस दिन लाकर तीन टेण्डर पकड़ा देते हैं और इस तरह से सारी मिलीभगत से आदेश ले जाते हैं। सरकार का ज्यादा पैसा लगता है। जो सबसे बड़ी बात है, गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जितनी भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, बहुत ही घटिया किस्म की सड़कें बन रही हैं। मुझे एक चीफ इंजीनियर ने कहा कि ये सड़कें बहुत ही घटिया किस्म की इसलिए बन रही हैं कि कभी बजरी नहीं है, कभी कंकरी नहीं है और सीमेंट का भाव जिस तरह से बढ़ रहा है, लोहे का भाव जिस तरह से बढ़ रहा है तो गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। केवल टारगेट पूरा करने के लिए या दिखाने के लिए कि यह सड़क का निर्माण किया और उसका उद्‌घाटन करवा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: थैंक यू, साहब, धन्यवाद।

माननीय बिरलाजी। कोई नई बात बोलो तो...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने धारा 17 के अन्दर कहा कि इसमें टेण्डर प्रक्रिया से लेकर पूरी डालेंगे। मैंने विधेयक को पढ़ा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्दर कहीं भी यह नहीं है, 17 के अन्दर, कि जो-जो प्रश्न मैंने पैदा किये थे, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, माननीय मंत्री महोदय या तो बता दें कि जो-जो मैंने प्रश्न उठाये थे, उसके टेण्डर प्रक्रिया शुरू होने के बाद, उसके प्रोक्योरमेंट से लेकर शुरू होकर, उसकी एंड तक, एंड में कई चीजें आ जाती हैं कि समय-समय पर कार्यादेश बढ़ाया गया, टेण्डर की सीमा बढ़ाई गई, उसमें एक्स्ट्रा आइटम्स बढ़ाये गये, एक्स्ट्रा आइटम्स बढ़ाये गये तो क्या-क्या बढ़ाये गये, समय-सीमा बढ़ाने का क्या कारण रहा, यह आज आम जनता जानना चाहती है।

यह इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण है कि आज जो सवाल सबके बीच में रहता है कि एक निर्माण कार्य एक निश्चित समयावधि में पूरा न होने के कारण कांट्रेक्टर मूल्य वृद्धि के कारण, सरकार की जमीन एक्वायर या अन्य कारणों के कारण उस सारी प्रक्रिया को बहुत लम्बा कर देता है और जिसके

(श्री ओम बिरला)

कारण जो टेण्डर जितने रुपये का हुआ था उससे डेढ़ा-डेढ़ा, दो-दो उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, मैं काली सिंध से लेकर तमाम, सवाई माधोपुर-चम्बल से लेकर नादौती तक पेयजल योजना का भी उदाहरण दे सकता हूं जिसके अन्दर पाइप पी वी सी का सप्लाई करने का फैसला हुआ और जब पाइप सप्लाई किया तो जी आई पाइप। ऐसे कई एग्जाम्पल पेश कर सकता हूं।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी शंका यह है कि इसके अन्दर, 17 के अन्दर उन तमाम चीजों की जानकारी अगर उसमें डालेंगे तो उस टेण्डर की पारदर्शिता नजर आयेगी। अगर उस 17 के अन्दर केवल अपन ने कब काम शुरू हुआ, कब एंड होगा, उसके बाद समय-समय पर अपडेट नहीं किया और उसकी जानकारी नहीं हुई तो हम पारदर्शिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार किसी की भी आये, उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार में रहें, हम सरकार में रहें, लेकिन सरकार पारदर्शिता से चले, सरकार ईमानदारी से चले, जनता के एक-एक पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए चिंता करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री अपने जवाब में बतायें, जो-जो मैंने उठाये हैं, या तो मैं पढ़कर सुना दूं दोबारा, अगर ध्यान से कहीं चूक गये होंगे पढ़ने में तो, दोबारा पढ़कर सुना दूं, उपाध्यक्षजी इजाजत दें तो।

सेक्शन 38 के अन्दर, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि प्रथम अपील होगी जो उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को होगी, सैकण्ड अपील के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा तय करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार क्यों नहीं ट्रिब्यूनल बनाना चाहती? जब केन्द्र के अन्दर जो प्रस्तावित बिल है उस प्रस्तावित बिल में ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वह ट्रिब्यूनल स्वतंत्र है, जिसमें न्यायिक अधिकारी हैं और वह ट्रिब्यूनल न्याय करेगा। तो सरकार ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बनाना चाहती? इसका जवाब सरकार दे। आखिर हम जब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली की सरकार की बात करते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सेक्शन सहित अपील बिफोर द अथारिटी', यह आपके सामने मैंने पुट-अप किया था जिसके अन्दर इस सेक्शन के अन्दर ट्रिब्यूनल बनाया है और ट्रिब्यूनल में कौन रहेंगे, यह भी परिभाषित किया है और ट्रिब्यूनल न्यायिक तरीके से काम करेगा। इसके बारे में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें।

42 के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महादय, मैंने आपसे यह कहा था कि

(श्री ओम बिरला)

कोई भी टेण्डर, आपने लिमिट रखी है कि कोई भी टेण्डर करा था, अगर वह टेण्डर स्वीकृत कर लेता है और वह काम नहीं करता है तो अधिकतम पचास लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी, अधिकतम; दस परसेंट, पचास लाख, अधिकतम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस राज्य के अन्दर कोई सौ करोड़ के, दो सौ करोड़ के, ऐसे जन हित के काम, जैसा उदाहरण हमारे माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने दिया कि बीसलपुर से जयपुर तक पानी लाने की योजना थी, तेरह महीने डिले हो गया। ऐसी योजना का कोई टेण्डर करता है, टेण्डर करके डाल दिया और टेण्डर से बैक-आउट हो गया; आपका खुद का उदाहरण है, चम्बल की पुलिया का दोहरीकरण का काम हमारी सरकार से शुरू हुआ, आपकी सरकार निकल जायेगी; ऐसे कई एग्जाम्पल मैं कोट कर सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसके अन्दर सौ करोड़, दो सौ करोड़ का काम होगा और ब्रीच आफ एग्रीमेंट कर जायेगा, सरकार के साथ धोखा कर जायेगा, तो उस पर अधिकतम पचास लाख की पेनल्टी होगी। दो सौ करोड़ में पचास लाख कांट्रेक्टर के कहां लगता है, माननीय? उसको लगा कि मुझे इस रेट में पड़ता नहीं खायेगा, वह बैक हो गया। न ब्लैक लिस्ट का इसमें विधेयक में दिया कि ब्लैक लिस्ट होगा, न उसकी एफ आई आर दर्ज होगी। मेरा मानना है उपाध्यक्ष महोदय, हम अगर न्याय करना चाहते हैं तो कम से कम दस परसेंट पेनल्टी उस पर लगनी चाहिए। बता दें, माननीय, फिर नहीं तो भूल जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हर एक्ट के अन्दर आपका एक क्लाज है, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर यह सदन सबसे बड़ा सदन है, फेडरल सिस्टम में आप यह इम्यूनिटी क्लाज क्यों डाल रहे हैं अभी तक? हम हर एक्ट में एक इम्यूनिटी क्लाज डालते हैं, इसमें भी क्लाज 51 आपका इम्यूनिटी क्लाज है। 1860 के पैनल कोड के अन्दर 'गुड फेथ' को आपने डिफाइन कर रखा है, 1860 was an Act which was declared or framed during the British regime. क्योंकि ये अक्सर उस वक्त ब्रिटिश आफिसर्स हुआ करते थे, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए यह गुड 'फेथ वाला' क्लाज वहां रखता था कि उनके हाथ से किये हुए काम पर कहीं यह कानून उनको प्रतिपादित करने में प्रतिबंधित नहीं कर दे। आप आजाद हिन्दुस्तान के किसी व्यक्ति को इस इम्यूनिटी क्लाज का फायदा क्यों देते हैं? हर एक्ट के अन्दर आपका इम्यूनिटी क्लाज आता है। इसमें भी सेक्शन 51 में आपने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रखी है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जब 'गुड फेथ' की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी तो गुड फेथ ही है। आप ह्यूमन करेक्टर को, मोरल करेक्टर को मोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, ह्यूमन बिइंग के मोरल करेक्टर को कोडिफाई कोई नहीं कर सकता, प्रिंट के अन्दर कोई वोकेबुलरी नहीं मिली है कि नैतिक चरित्र को आप कोडिफाई कर सकें। आज ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हम कोई भी बात कर रहे हैं, उसका टोटल कंट्राडिक्शन है अगर सेक्शन 31 को आप पढ़ लें, तो आपने जितनी ट्रांसपेरेंसी की बात की है, उस अफसर को आपने सेक्शन 51 के अन्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करके उस ट्रांसपेरेंसी को बिलकुल खतम कर दिया। अगर वह आदमी अगर काम कर रहा है, इस एक्ट के अनुसार काम कर रहा है, और अगर इस एक्ट का दुरुपयोग करता है, आप उसकी इम्यूनिटी यहां क्यों रखे हुए हैं? और हर एक्ट के अन्दर, मैं इस एक्ट की बात नहीं कर रहा, मंत्री महोदय, हर एक्ट के अन्दर हम यह क्लाज लेकर आते हैं; कोई सा भी आप एक्ट ले आइये, उसके अन्दर यह क्लाज जरूर होता है। मैं यह चाहता हूं, आखिर आप लोग यहां विराजे हुए हैं, कम से कम ऐसे क्लाज के बारे में भी कोई न कोई बात हो। जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है तो उसके एक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी होगी। Why should he have immunity or be protected through a clock? Let him be answerable for his own actions. If he has misused your Act, then he should be answerable for it. Why do you provide him immunity? मेरा यह आपसे निवेदन था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनलालजी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां जी।

श्री उपाध्यक्ष: जी, फरमाइये। यह शार्ट में आप करें। क्योंकि यह तो बिलकुल...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, अच्छी बात है, बिल आप लाये हैं लेकिन इस बिल के बारे में डिटेल, जो आपने जनमत जानने के लिए बात कही है, उसमें बहुत सारे सुझाव भी ऐसे आये होंगे जिसमें प्रोक्योरमेंट, केवल प्रोक्योरमेंट की बात कही है। कोई भी सरकारी खरीद जो होती है उसमें प्रोक्योरमेंट के बाद में रिसीट होती है, क्वालिटी रिसीट होती है, उसके बाद पेमेंट होता है, यह तीन-चार प्रक्रियाएं होती हैं। केवल टेण्डरिंग से आप यह समझ लें कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया और सरकार में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ऐसा सम्भव नहीं है। टेण्डरिंग के बाद में उसका प्रोसेस होता है कि उसमें माल कैसा दिया, वर्किंग

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

प्रोग्रेस कैसी है, वर्किंग प्रोग्रेस में आपका जे ईएन, ए ईएन, एक्स ईएन, एस ई जिनकी जो ड्यूटीन है क्या वे अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं? क्या वे साइट पर जाते हैं? क्या वे क्वालिटी चैक करते हैं और टाइम पर अपना इंस्पेक्शन डेली करते हैं। वे केवल मिस्त्री पर डिपेंड करते हैं या जे ईएन को भेज देते हैं, वह सब मिलीभगत से काम करते हैं।

इसका प्रावधान होना चाहिए। क्वालिटी सर्विसेज हमारे राजस्थान को मिलें, राजस्थान की जनता को क्वालिटी सर्विसेज मिलें इसके लिए इस विधेयक में प्रावधान नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार क्वालिटी पर ध्यान दें। आज नेशनल हाइवे बन रहे हैं, वहां क्वालिटी पर इतना ध्यान है कि क्वालिटी के बारे में उनको दिक्कत नहीं है। आज हमारी यह विधान सभा बनी है, यह क्वालिटी की विधान सभा बनी है। वैसे ही हमारी सड़कें भी, राजस्थान स्टेट की सड़कें भी, राजस्थान स्टेट के काम भी क्वालिटी के बनें, उसके लिए इस एक्ट में प्रावधान किए जाएं।

उसके अलावा, मेरा एक निवेदन और है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पेमेंट होता है, ज्यादा भ्रष्टाचार वहीं है। आपने टेण्डरिंग अच्छा कर लिया, क्वालिटी पर ध्यान दिया नहीं और पेमेंट के लिए फाइल लटकती रहती है। आप उसमें टाइम बाउण्ड प्रोग्राम कीजिए कितने दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। ठेकेदार को ए ईएन, जे ईएन, एक्स ईएन, चीफ इंजीनियर, कहां-कहां कमीशन देना पड़ता है। अगर टाइम बाउण्ड प्रोग्राम में उसकी तीन दिन में फाइल निकलेगी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि तीन दिन में प्रत्येक फाइल का निस्तारण होना चाहिए; तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है और सब लोग प्रोक्योरमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, क्वालिटी पर ध्यान देंगे। उसका पेमेंट सही ढंग से हो जाए तो निश्चित रूप से इस बिल की भावना के अनुरूप हमारी राजस्थान सरकार प्रोक्योरमेंट कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी, इसमें कुछ बोलेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सेक्शन-42 के बाबत आपने जिक्र किया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह 50 लाख की पेनल्टी, वह एक अलग चीज है और सिक्योरिटी डिपोजिट करना अलग चीज है। उसकी सिक्योरिटी डिपोजिट भी हो गई, डिपोजिट जो है, वह भी जब्त होगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसमें नहीं लिखा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखा हुआ है। उसमें सिक्योरिटी जब्त करना अलग काम है और 50 लाख का जुर्माना करना, दोनों काम होंगे।

तीसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ई-प्रोक्योरमेंट जो है, वह आज भी वर्तमान में 50 लाख रुपए से अधिक के कामों पर ई-टेण्डरिंग होता है। अब सार्वजनिक ई-टेण्डरिंग होगा तो पारदर्शिता तो दिखेगी।

सेक्शन-17 के लिए आपने कहा, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी आशंकाएं जो हैं वे बिलकुल निर्मूल हैं। धारा-17 के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के टेण्डर स्वीकार करने और नहीं करने की जानकारी सुगमतापूर्वक सार्वजनिक रूप से दी जाएगी। यह साफ-साफ प्रोविजन है इसमें।

इसी तरीके से देखिए, जो आपने, अभी राव साहब ने जो बताया प्रोविजंस के लिए, तो यह तो हर एक्ट में होगा। वह एक्ट ही कम्प्लीट नहीं है अगर यह प्रोविजन नहीं होगा तो। भारत के संविधान में भी संशोधन करने के तरीके ही बताए गए हैं। उससे बड़ा तो कोई एक्ट नहीं है। कोई एक्ट ऐसा नहीं बन सकता जिसमें इस प्रकार के प्रोविजंस नहीं होंगे। एतराज हो सकता है अपन को कि यह क्यों रखा जा रहा है, लेकिन होगा। वह निश्चित तौर पर होगा, सरकार चाहे आपकी बने, चाहे हमारी बने; चाहे किसी की भी बने, एक्ट एक्ट के हिसाब से बनता है।

तीसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रोक्योरमेंट के बाबत यह बात बहुत साफ आ जानी चाहिए कि प्रोक्योरमेंट, खास मुद्दा, खास जो उद्देश्य इसका है बिल लाने का वह है कि समानता का व्यवहार हो, और आपूर्ति और प्रक्रिया के बीच में जो है आम जनता में यह विश्वास पैदा हो, तथा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले, चाहे वह संस्था हो, ठेकेदार हो, सप्लायर हो, कोई भी हो और चाहे अधिकारी हो, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हो, मुख्य उद्देश्य इस बात का है, ताकि पारदर्शिता बिलकुल साफ-साफ रहे। मैं यह मानकर के चलता हूं कि यह प्रोक्योरमेंट, स्टेट प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल बनेगा वह पोर्टल पूरी जानकारी देगा; आपको सार्वजनिक रूप से जो है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देगा। संबंधित सेवा ली जा रही है, या निर्माण कार्य किया जा रहा है, या किसी को कोई टेण्डर हुआ है, कौन सप्लायर है, कैसा क्या है, उसकी सारी जानकारी आपके सामने होगी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल राजस्थान के हित में है, प्रक्रिया को सुधारेगा, लोगों में...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): क्वालिटी के बारे में क्या हुआ? क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है क्वालिटी के बारे में।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्वालिटी का नहीं है। यह प्रक्रिया का है, क्वालिटी एक अलग चीज होती है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप तो यह कह दीजिए कि यह क्वालिटी के बारे में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मोहनलालजी आप विराजें, आपने बोल लिया है, कोई नई बात नहीं है। केवल मंत्रीजी का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मतलब विज्ञापन से लेकर के अलाट तक का सम्पूर्ण ब्यौरा जो है, वह प्रदर्शित किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: व्यक्तिगत डिस्कसन नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप गलत सब्जेक्ट पर जा रहे हो, क्वालिटी पर जा रहे हो। क्वालिटी कंट्रोल सैल जो है वह उसकी मानिटरिंग करता है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो समाप्त करें, मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनजी, आप विराजें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 पारित किया गया।

यह चूंकि जीरो आवर नहीं है और इस तरह का कोई वह भी नहीं है

(श्री उपाध्यक्ष)

लेकिन चूंकि माननीय अध्यक्षजी के सामने, माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजें, अब कुछ सदस्यों ने तो सदन में कोई रखा, उस को दुबारा ला रहे हैं जैसे माननीया श्रीमती सूयकान्ता जी व्यास। (व्यवधान) आदरणीय अभी आपको नहीं अर्ज कर रहा हूं मैं। तो जो बात आप पहले बोल चुकी हैं, अब यह पाइंट आफ इन्फोर्मेशन रोजाना अच्छा नहीं लगता। आप तो बहुत सीनियर मेम्बर हो, आप तो विराजें। इसलिए पहले चूंकि जिस तरह से जिस क्रम में पर्चियां आई हैं, मैं उसी क्रम में अनुरोध करूंगा।

माननीय नरपतसिंहजी राजवी।

सूचना

पूर्व विधायक, श्री भगवान दास दोसी की चौहटन तहसील स्थित भूमि पर अतिक्रमण

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमारे साथ ही बैठने वाले भगवान दासजी दोसी की चौहटन तहसील में जमीन थी। उनके देहांत के बाद उनके पुत्रों के नाम चढ़ी। एकाएक रात को एक भू-माफिया का संरक्षण प्राप्त बाहुबली लोग पहुंचे और उनके घर पर जो किसान वहां पर खेती कर रहा था, उसको पीटा, पीटकर अपने दूसरे आदमी को वहां बिठा दिया। एफ आई आर भी दर्ज हुई, गृह मंत्रीजी को भी एप्लिकेशन दी गई। इसका ट्रांसफर करके इसका इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो जाए। आज अखबारों के माध्यम से यह सार्वजनिक भी हुई है यह चर्चा। अगर विधायकों और पूर्व विधायकों के प्रति भी इस प्रकार का व्यवहार होगा और सरकार चुप बैठेगी, प्रशासन सहयोग इसमें निष्पक्ष नहीं करेगा, उस पर कठोर आपत्ति है। यह सूचना मैं देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अब्दुल सगीरजी। थोड़ा समय का ध्यान रखें। आपका मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है वह बात नहीं है, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें।

भीलवाड़ा के पुर स्थित कलन्दरी मस्जिद का अवैध बेचान

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में 19 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे राजस्थान को कलंकित किया है। वहां एक कस्बा है भीलवाड़ा में पुर, जहां 1500 हैक्टेयर खान आबंटित की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वह

(श्री अब्दुल सगीर खां)

कलन्दरी मस्जिद 300 और 400 साल पुरानी है और वक्फ में दर्ज है। 17 तारीख को अंजुमन कमेटी एक पत्र लिखती है वक्फ बोर्ड को और परमिशन मांगती है कि यहां पर इसी तरीके का खनन होता है और आप हमें यह इजाजत दें कि क्या इसका समझौता कर लें? वक्फ बोर्ड जो ट्रस्टी है, वह उनको अधिकृत करता है कि आप अपने स्तर पर जो चाहें, निर्णय लें, वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट को दिमाग में रखकर के और हमें सूचित कर दें। 18 तारीख को यह परमिशन दे दी जाती है और 19 को जिंदल ग्रुप के साथ 65 लाख रुपए का लेन-देन होता है और उसकी रसीद मेरे पास है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, अंजुमन के लैटर पैड पर लिखी हुई है। 65 लाख रुपए के लेन-देन के बाद अण्डर-द-टेबल करोड़ों रुपए दिए गए हैं। रातोंरात 19 अप्रैल को, उपाध्यक्ष महोदय, उस मस्जिद को ढहा दिया गया। इससे सारे राजस्थान का मुसलमान आहत हुआ है, इस सेकुलर कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के विवाद तो हो सकते हैं, जहां घटनाएं इस तरह से हुई हों और एक हुकूमत की देखरेख में।

हमारे मुख्य मंत्रीजी वहां पर तशरीफ लेकर गये थे, उनको वहां पर एक ज्ञापन दिया गया। मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था अल्पसंख्यक समाज को कि इस मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। अल्पसंख्यक समाज को आश्वासन के बावजूद, इस हुकूमत की देख-रेख में, उपाध्यक्ष महोदय, गोपालगढ़, सूरवाल के बाद यह तीसरा हमला मुसलमानों के ऊपर, राजस्थान के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के ऊपर हुआ है, मात्र छोटे-छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफ.आई.आर. दर्ज हुई है यह एफ.आई.आर. वक्फ बोर्ड को दर्ज करानी थी। जिन्दल ग्रुप के एक छोटे से अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। उसका प्रमोटर, डायरेक्टर कौन है, उसके क्या रिश्ते हैं हुकूमत से, उसको क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? जुडिशियल इंक्वायरी की मैं मांग करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो दोषी लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और दण्डित किया जाए जिससे कि पूरे राजस्थान का मुसलमान राहत की सांस ले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। डा. परमनवदीप सिंह। थोड़ा आप संक्षेप में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तो कहे कुछ।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो विराज जाएंगे लेकिन इतना...

श्री उपाध्यक्ष: ये जीरो आवर नहीं है, यह स्पेशल है। फिर भी, इसके बाद भी आप उसको... ये किसानों का मुद्दा रखना चाहती हैं, आप किसानों के पक्षधर हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मुद्दा रखें लेकिन ये भी लोगों की आत्मा से...

श्री उपाध्यक्ष: केवल डा. परम नवदीप सिंह का अंकित होगा। केवल डा. परम नवदीप सिंह।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। पूंजीपति कौन है व्याख्या मत करिये, पंजाब जाकर करेंगे व्याख्या। आप विराजिये। केवल डा. परम नवदीप। एक मिनट, डा. साहब, मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया, भीलवाड़ा की कलन्दरी मस्जिद का जो विषय आपने उठाया है ग्राम पुर में, इसमें प्रकरण दर्ज किये जाने की आपने भी बात फरमायी है कि प्रकरण संख्या-195 दर्ज किया गया है और दर्ज किये गये, इसमें जो अभियुक्तों के नाम दर्ज किये गये उनमें से चार को गिरफ्तार भी किया जा चुका है; वह राशि भी बरामद की जा चुकी है 65 लाख रुपये जिसके लेन-देन की बात की जाती है; और मेरी जानकारी के अनुसार मस्जिद का पुनर्निर्माण भी शुरू करवा दिया गया है। साम्प्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए सरकार पूर्णतया संवेदनशील है, यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. परम नवदीप सिंह।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): ×××

श्रीमती जकिया (टोंक): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्रीमती जकिया (टोंक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपसी बात समाप्त करें। आपसी बातचीत समाप्त करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्रीमती जकिया (टोंक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। अब समाप्त करें। आपसी बातचीत समाप्त करें। ये मुद्दा समाप्त। केवल डा. परम नवदीप सिंह का अंकित होगा। केवल डा. परम नवदीप सिंह।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा, त्रिवेदी जी। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्रीमती जकिया (टोंक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सब विराजिये, यह मुद्दा समाप्त हो गया। किसी का अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्रीमती जकिया (टोंक): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सगीर साहब, विराजिये। माननीय डा. परम नवदीप सिंह, आप बोलिये। केवल आपका अंकित होगा।

हनुमानगढ़ जिले के किसानों से गेहूं खरीद में आने वाली परेशानियां

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे हनुमानगढ़ जिले के किसानों की एक व्यथा आपके सामने रखना चाहती हूं। (व्यवधान) बैठ जाइये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल डा. परम नवदीप सिंह।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार ने किसानों का भला देखते हुए इस वर्ष सौ रुपये बोनस दिया है गेहूं की खरीद पर मगर हमारी सरकार से एक बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय हो गया है पिछले दिनों, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में गिरदावरी की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल के लिए कहा गया है कि जब तक किसान वह नहीं लेकर आएगा तो उसकी खरीद नहीं हो पाएगी। अब देखिये,

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

हमारे वहां की स्थिति, हर मण्डी के ऊपर शेड नहीं है, मौसम खराब हो रहा है, गेहूं भीग रहा है। जब गेहूं भीगा होता है उसमें माइस्चर होता है तो उसकी तुलाई-ढुलाई नहीं होती। आज हमारा किसान मारा-मारा फिर रहा है इस वजह से कि हमारी तुलाई-ढुलाई नहीं हो रही है, क्योंकि यह एक निर्णय सरकार ने दे दिया। आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि हम किसानों के प्रति इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हें सौ रुपये बोनस भी दे रहे हैं, फिर यह दुःख क्यों दे रहे हैं? एक बात।

दूसरी बात, यदि हमने बोनस दिया है, किसान को फायदा देने का प्रयास कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज है, बारदाना, बोरी, जिसमें किसान का गेहूं चला जाएगा तो कुछ बच जाएगा। हमारे वहां बारदाने की इतनी किल्लत है कि हमारा सैकड़ों टन गेहूं खुले में पड़ा है और बरबाद हो रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कुछ बोलेंगे इस पर आप? नहीं? एक मिनट आप विराजें। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट आप विराजें। चूंकि सदन का आज आखिरी दिन है और कृषि उपज मण्डी समिति के नियमों में खुला गेहूं देने का सिस्टम है, बरसात तो है ही, इसकी मानिटरिंग सरकार कर ही रही है, आप और थोड़ा ठीक ढंग से करवायें। आपको कुछ कहना हो तो फरमायें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या ने गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में उठाया कि किसान को अपना प्रमाण-पत्र देना होगा कि ये गेहूं मैंने मेरे खेत में पैदा किया है। संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हनुमानगढ़ की अलग प्रोब्लम है।

अभी गेहूं के मार्केट में और समर्थन मूल्य प्लस बोनस में दो सौ-ढाई सौ रुपये का गैप है। ऐसी शिकायत सरकार को मिली है कि व्यापारी और बिचौलिए मिलकर, किसान का गेहूं तुल नहीं रहा मण्डी में और बिचौलियों का गेहूं वहां पर जा रहा है, फर्जी नाम से, फर्जी जमाबंदी से। उसको देखते हुए, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, सही किसान का माल वहां तक जाए। अभी कल मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मंडियां देखी हैं, वहां पर किसानों का माल नहीं तुल कर व्यापारियों, एफ सी आई की, जो हमारी एजेंसी हैं, राजफैड और तिलम संघ की तो हमारी कोई शिकायत नहीं है, पर एफ सी आई की बहुत बड़ी गम्भीर शिकायत है। एफ सी आई अगर माल तुलवा लेगी मण्डी में, तो 5-10 दिन उठायेगी नहीं। जब तक डब्ल्यू सी एम नहीं मिलेगा

(श्री परसादीलाल)

तब तक किसान को उसका पेमेंट नहीं मिलेगा; और जब वहां से लोड हो जाएगा, तो गोदाम में जाकर उसको खाली करने की सारी ड्यूटी उसकी किसान की है, गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं है। माल उठाने में डिले, माल तुलाने में डिले। इस संबंध में हम विचार-विमर्श कर रहे हैं।

जहां तक गिरदावरी की बात है, हनुमानगढ़, गंगानगर में आप बता रही थीं अभी कि वहां पर जमीन किसकी है, खेती कौन करता है। मैंने माननीय सदस्या को आश्वस्त किया है कि कोई भी प्रमाण पत्र वहां पर ले आयें, ग्राम सेवक का, पटवारी का, तहसीलदार का, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी का कि फलां की जमीन है, फलां व्यक्ति ने खेती की है; अगर वह प्रमाण पत्र लायेगा तो उसका गेहूं लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर यह नहीं कि बिचौलिये उसके नाम पर सौदे कर लें। अभी मार्केट में और समर्थन मूल्य प्लस बोनस में 250 रुपये का गैप है। तो सही किसानों का माल ही सही रूप में मण्डी तक जाना चाहिये, किसान को ही फायदा मिलना चाहिये, बिचौलिये और दूसरे लोग इस चीज का फायदा नहीं उठायें। इसीलिए सरकार ने सभी जगह, गंगानगर, हनुमानगढ़ की जो समस्या है, मैं उन जिलों से आने वाले माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करके क्या रास्ता निकाल सकते हैं, उनका रास्ता निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) एक मिनट उनको बोलने दीजिए, आपका मुद्दा अलग है। बहस नहीं है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजिए आप। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, यह मुद्दा केवल हनुमानगढ़ का नहीं है, पूरे राजस्थान का है और यदि सरकार आइडेंटिटी मांग रही है तो कोई गलत काम नहीं कर रही। उसमें फिर देखा जायेगा, सर्टिफिकेट केवल पटवारी का होगा। सवाल यह है कि जैसा आपने एफ सी आई के लिये कहा, राजस्थान में जो किसान है, गेहूं पैदा हुआ है, जिस एरिया में गेहूं पैदा नहीं हो रहा, वहां तो गेहूं मण्डियों में लिया जा रहा है। तो बिचौलिये वाली बात मंत्रीजी की नोलेज में है, सरकार सब कुछ ठीक करेगी।

अब कोई बात हो तो आप बता दीजिए, मैनेज के लिये, बाकी यह बात समाप्त हो गई, मंत्रीजी के स्टेटमेंट के बाद समाप्त हो गई। फिर भी कोई बात बताना चाहते हों तो आप बता दीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: सजेशन दे दीजिए, इस पर बहस नहीं होती है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सजेशन ही दे रहा हूं, कोई बहस नहीं है। मंत्रीजी, जैसा माननीय सदस्या ने कहा है, बारदाना जितना टोटल गेहूं आता है उससे आधा दिया जाता है और आधा बारदाना देने के बाद जब वह भर लिया उसमें ...(व्यवधान) आप तो एक मानिटरिंग कमेटी बनवा दें ...(व्यवधान) जिसमें व्यापारियों का भी उसमें प्रतिनिधि हो, किसानों का भी प्रतिनिधित्व हो। तो कम से कम वह कमेटी कोई सजेशन देती है तो कंट्रोल होता है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजिए आप। माननीय रामलालजी। (व्यवधान) केवल रामलालजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

आसींद में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए चल रहा छात्र-आन्दोलन

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, आसींद में राजकीय महाविद्यालय खोलने के बारे में छात्रों ने चार दिन से भूख हड़ताल कर रखी है, धरने पर बैठे हैं और दो दिन से टावर पर चढे हुए हैं, कल से ही टावर पर चढे हुए हैं। बहुत ही गम्भीर मैटर है। 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, छात्र परेशान हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय सूर्यकान्ताजी, आपको कुछ कहना है? केवल सूर्यकान्ताजी का अंकित होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। केवल सूर्यकान्ताजी का अंकित होगा। माननीय सूर्यकान्ताजी, आप बोलिए, आपका अंकित हो रहा है।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल सूर्यकान्ताजी का अंकित हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा।

जोधपुर के सूरसागर में गुरुओं का तालाब स्थित स्कूल के पास खुला पड़ा नाला

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर, सूरसागर में एक गुरुओं का तालाब है, उसके पास बच्चों की स्कूल है, वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पास में ही एक नाला खुला पडा है। मैं कई दफा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लिख चुकी हूं लेकिन उस नाले को न तो ठीक कराया है और न ही सफाई करते हैं। कल उसमें एक 12 साल की बच्ची सुबह गिर गई थी, उसको निकाला और हास्पिटल में भर्ती कराया।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, आपने इन्फोर्मेशन दे दी, धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी कहने दो। उपाध्यक्ष महोदय, नाला साफ करने के लिये वहां के अधिकारियों को कहते हैं तो कहते हैं कि मशीन आयेगी, तब करेंगे। तो क्या मशीन के भरोसे नाले पड़े रहेंगे? सामने मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बारे में अपना कुछ वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामहेत जी, आप कुछ बोलेंगे? अब केवल रामहेत जी का अंकित होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

तिजारा अदालत परिसर से अपराधियों को फरार कराने की घटना

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंगलवार को तिजारा कोर्ट परिसर में से 6 अपराधियों को, जो हार्डकोर थे, उनको पुलिस की कस्टडी में से, हथियारबंद पुलिस वालों से अपराधी लोग छुड़ा ले गये। उससे 20 दिन पहले 50 हरियाणा के पुलिस अधिकारी सहित पुलिस के लोगों को बंधक बना लिया। उसके दो महीने पहले वहीं पर अपराधियों को पुलिस पकड़ने गई, वह कुए में गिर कर मर गया तो वहां के गांव वालों ने आकर 100 पुलिस वालों को और आम जनता को मारा-पीटा और लगभग 100 राउंड फायरिंग की। पूरे तिजारा कस्बे में तनाव है, पूरे क्षेत्र में तनाव है। मैं कहना चाहता हूं, माओवादी स्टाइल में अपराधी गतिविधि कर रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मंत्री महोदय से आग्रह है कि कुछ पुख्ता इंतजाम करें, वरना तिजारा क्षेत्र को सेना के हवाले कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तिवाड़ी साहब, आप कुछ बोल रहे थे। आप ही का अंकित हो रहा है, उनका अंकित नहीं हो रहा।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन आवश्यक

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वैधानिक गलती है, इसलिए यह बिल नहीं आ सकता। मैं आपके सामने तीनों बिल बताता हूं। यह 207-वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आप बिल उठाइए, अभी अपन ने यहां पर बिल रखा, राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक। (व्यवधान) पहले दो आ गये लेकिन मैं तीनों बिलों का विवरण कर रहा हूं। इस बिल में भी लिखा है – "Financial Memorandum. Clause 3 of the Bill provides for establishment of a Rajasthan Water Resources Regulatory Authority in the State. The non-recurring and recurring expenditure to be incurred for establishment and functioning of the Authority is estimated to be initially Rs. 18.20 lakhs. and Rs. 124.04 lakhs respectively, which may increase in subsequent years." इसी प्रकार से हमने दूसरा बिल जो अभी यहां रखा उपापन वाला, उसमें अपन ने फाइनेंशियल मेमोरेंडम लगाया है। यह जो सूचना के अधिकार वाला बिल है, इसमें फाइनेंशल मेमोरेंडम नहीं है और इसी प्रकार का विवरण जिस प्रकार प्रथम सूचना अधिकारी, द्वितीय सूचना अधिकारी, तृतीय सूचना अधिकारी, तीनों अधिकारियों को लगाने की बात कही है, सुनने का प्रोसीजर किया है, इसमें भी खर्चा आयेगा।

इसलिए कोई भी ऐसा बिल जिस बिल में खर्चा हो, उसमें राज्यपाल की 207 में स्वीकृति और फाइनेंशल मेमोरेंडम, इन दोनों का लगना जरूरी है। इन दो बिलों में लगा हुआ है, इस बिल में नहीं लगा हुआ है। इसलिए जब तक यह फाइनेंशल मैमोरेंडम नहीं लगेगा और राज्यपाल महोदय की आर्टिकल 207 के अंतर्गत स्वीकृति नहीं आयेगी, तब तक यह बिल सदन में विचार के लिये नहीं आ सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कोई कोर्ट थोड़े ही बनने वाली है। वह जो अधिकारी आलरैडी काम कर रहा है, जितनी तन्ख़्वाहें ले रहे हैं, जितने एमोल्यूमेंट्स ले रहे हैं, वही लोग इसको निपटायेंगे, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फाइनेंशल मेमोरेंडम की कोई आवश्यकता इस बिल में नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, है। आप देख लीजिए, साफ लिखा है कि इसमें एक तो हमें तीन अधिकारी नियुक्त करने पडेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो आलरैडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, कोई अलग से अधिकारी की नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो आपने उपापन का पारित किया, उसमें सेक्रेटरी लेवल का आदमी ही उस प्रोक्योरमेंट की कमेटी का चेयरमैन होगा और आपने उसमें लगाया। इसी प्रकार से, सरकार के ये जो अधिकारी हैं, वही प्रथम, द्वितीय और तृतीय अधिकारी होंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए बात वह की वह है। उपाध्यक्ष महोदय, हम विधान बनाने के लिये यहां पर बैठे हैं और कांस्टिट्यूशन के प्रावधानों के अंतर्गत है। कोई भी आदमी इस बात से मना नहीं कर सकता कि सूचना का अधिकार जो बिल है, वह वित्त विधेयक नहीं है; यह है। कोई भी विधेयक जिस विधेयक में खर्चा निहित हो, जिसमें चाहे स्टेशनरी का खर्चा ही निहित हो, उसमें चाहे पेन खरीदने का खर्चा ही निहित हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोर्ट का स्वरूप दिया जाये उस बिल में दो बातें होनी जरूरी हैं, फाइनेंशल मेमोरेंडम और राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 207 के अंतर्गत स्वीकृति। हमने दो विधेयक में यह बात की, इन दोनों विधेयकों में हमने स्वीकृति ली और फाइनेंशल मेमोरेंडम दिया, इस बिल में हमने स्वीकृति भी नहीं ली और फाइनेंशल मेमोरेंडम भी नहीं दिया, इसलिए यह विधेयक विचार के लिये नहीं आ सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें कहीं कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, है। इसको जिद पर मत लो, इसको देखो, तीनों पढ़ लो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसको जिद पर मत लो। इसमें भूल रही है, कैसे रही, क्यों रही; सामान्यत: जो भी कोई बिल आता है उसमें फाइनेंशल मेमोरेंडम हर बिल के साथ लगा रहता है क्योंकि

(14.00 बजे)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आखिर एक नया बिल आ रहा है। तो उसके लिए कोई न कोई हमें अर्थ की आवश्यकता कहीं, न कहीं किसी न किसी जगह है। यह कहीं न कहीं भूल के कारण आया। तो जिद न करें, कोई ऐसी परिपाटी यहां न डालें जो कि आज तक यहां किसी भी विधेयक को पास करने में एक तरह से अनुपयुक्त है, अनुचित है और मैं सोचता हूं, कि चेयर से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वह कम से कम इस प्रकार की कोई गलती न होने दें जिसके कारण से इस सारे सदन को नीचा देखना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इसका कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): होगा।

श्री उपाध्यक्ष: जब सरकार मान रही है, बात तो सुने; जब सरकार यह मानती है तो अतिरिक्त निर्देश देने की कोई बात वैसे ही नहीं है। अब सरकार ने माना, अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा, सदन में माना है तो फिर इसमें कोई बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप इस तरह से मत लीजिए। इस सदन में, मैं आपको बहुत से उदाहरण देकर बताता हूं, आप तीनों बिलों को पढ़िए, तीनों बिल सरकारी हैं, तीनों बिलों के अन्दर यह लिखा हुआ है कि यह प्राधिकरण बनेगा, सरकारी अधिकारी बनेगा, मुख्य मंत्री जल बोर्ड की अध्यक्षता करेगा, मंत्री जल बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। जब वह करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा? उसके लिए आपने फाइनेंशल मेमोरेंडम लगाया है। आपने सूचना के अधिकार में भी लिखा है कि एक अधिकारी बनेगा, अपीलीय अधिकारी बनेगा, तीसरा अधिकारी बनेगा; इसकी प्रक्रिया तय करेंगे, इसमें भी खर्चा लगेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अधिकारी वे ही लेंगे जो सरकार में काम कर रहे हैं, कोई नया अधिकारी नहीं बनेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे भी सरकार में ही काम कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्री भी सरकार में काम कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फाइनेंशल मेमोरेंडम की जरूरत ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है। वाहन भी आएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है। आर्टिकल जब आपने दोनों बिलों में लिया है तो कोई कारण नहीं है कि इसमें...।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई पालिटिकल स्कोर नहीं है। यह गलती, सामान्य गलती से हम यदि यह परम्परा डालेंगे तो फिर इस सदन में बिना फाइनेंशल मेमोरेंडम के, बिना राज्यपाल की स्वीकृति के आप बिलों को लाएंगे तो वह उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप समझदार हैं, अपने यहां से कोई इस प्रकार की परम्परा इसमें लगे, तीनों बिल हम पढ़ सकते हैं, तीनों बिल हम पढ़ लें, तीनों बिलों में एक ही बात है; तीनों बिलों में सरकारी अधिकारी हैं, सुनवाई का अधिकार भी सरकारी अधिकारियों के पास है, जल प्राधिकरण में भी सरकारी अधिकारी हैं, चयन समिति में भी चीफ सेक्रेटरी है। सारे के सारे वह के वह ही है फिर कोई कारण नहीं है कि इसमें लगे और इसमें नहीं लगे।

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चाहे सदन को 15 मिनट स्थगित कर दें, आधे घण्टे स्थगित कर लें, अध्यक्ष महोदय से बात कर लें, पहले अध्यक्षों की व्यवस्था को देख लें। बिना किसी प्रकार से, संवैधानिक त्रुटि के साथ यदि सदन में बिल को पारित करेंगे तो यह हमारे लिए शोभादायक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर पूर्ण विचार करके व्यवस्था दें। बहुत से अधिकारियों की, आप जानते होंगे, उन्होंने क्या किया होगा। इसलिए व्यवस्था को आप ठीक से करें, यह व्यवस्था देने लायक है, यह व्यवस्था आगे काम आएगी। यह व्यवस्था आगे की पीढ़ियों के लिए भी काम आएगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सोच-समझकर निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कुछ बोलना है, मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल इसमें कोई आवश्यकता नहीं है।

व्यवस्था

वित्तीय ज्ञापन पेश करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन के माननीय सदस्यों को 25 जुलाई, 1977 का

(श्री उपाध्यक्ष)

उद्धरण पढ़कर सुनाता हूं- एक विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं होने के कारण श्री मूलचंद डागा सदस्य विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई- 'फाइनेंशल स्टेटमेंट के सम्बन्ध में सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।'

इसलिए चूंकि यहां भी माननीय मंत्रीजी का जो वर्जन है कि इसमें कोई अतिरिक्त नहीं होगा व्यय, तो उस स्थिति में मैं यह बात, जो भी आप... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 207 को मंत्रीजी भी, आसन भी, दोनों इसको नहीं बदल सकते।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बदल सकते, वह तब भी था, उस समय भी था, आज भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पढ़ लीजिए। उसमें उसके बाद व्यवस्थाएं हुई हैं, आप पढ़िए। अनुच्छेद 199 खण्ड (एक) के उप-खण्ड (क) से उप खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी विषय के उपबन्ध करने वाला विधेयक, संशोधन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पुरस्थापित किया जाएगा अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबन्ध वाला विधेयक विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं हो सकता है। तो उनकी सिफारिश के बिना यह पुरस्थापित हो ही नहीं सकता। इसमें है यह विधान।

आपका इसमें पैसा लग रहा है, इसमें अथोरिटी कायम हो रही है, इसमें आप अथोरिटी बना रहे हो। इसलिए यह माननीय मंत्रीजी मन में समझ रहे हैं, अधिकारियों की किसी गलती के कारण से यह बात हो गई, उस त्रुटि को हम अगर आज वैधानिक जामा पहनाएंगे ना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह हमारे भविष्य के लिए खराब होगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आपको इस प्रकार की रूलिंग दूंगा जो मेरे पास है, जिसमें अध्यक्षों ने यह व्यवस्था दी है कि financial memorandum is necessary और राज्यपाल महोदय की आज्ञा भी आवश्यक है। इसलिए आप सदन को 15 मिनट, 20 मिनट स्थगित कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय के पास चले जाएं, आप देख लें; हमारे तर्क सुन लें उसके बाद में मंत्रीजी भी सुन लें, मंत्रीजी का भी मन है, आप देख लें, उसमें बात कर लें। ऐसा इसको करना, एक हमेशा के लिए परम्परा डालना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आप इसको सोच लें। आप बिलकुल पढ़े-लिखे हैं, विद्वान हैं, लोक सभा में रहे हैं, यहां रहे हैं, आपका नाम लेकर आने वाला भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई कोट करेगा कि माननीय रामनारायणजी मीणा ने व्यवस्था कर दी थी कि फाइनेंशल मेमोरेंडम के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो पार कैसे पड़ेगी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, आपकी बात सम्भवतः सही हो लेकिन चूंकि व्यवस्था इस सदन की है, इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था की किताब लाने के लिए सदन आज दिन तक स्थगित होता आया नहीं है। इसलिए चूंकि पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैं यथावत रखते हुए माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर क्या मतलब हुआ बात उठाने का?

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री ओमजी बिरला। माननीय सदस्य, समय....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): समय बहुत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अभी तो दो ही बजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप दो बजकर छह मिनट पर प्रारम्भ कर रहे हैं। मैं व्यवस्था बदलने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सुनवाई अधिकार विधेयक 2012 सदन के पटल पर रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के अन्दर 63 साल से डेमोक्रेटिक शासन होने के बाद भी आज आम जन को सुनवाई और सुनवाई के लिए पटवारी से लेकर मुख्य मंत्री निवास तक दस्तक देना पड़े और उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जो हालात हो चुके हैं, जिस तरीके से सरकार का नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पर समाप्त हो चुका है, आम अवाम अपनी समस्याओं को लेकर विभागों में जाता है तो वह उचित काम, न्यायपूर्ण काम के लिए भी, जिस डेमोक्रेटिक

(श्री ओम बिरला)

शासन के अन्दर, जहां जनता से चुनी हुई सरकारें होती हैं, वहां पर सारे करप्शन का, सिस्टम का अगर कोई जन्मदाता है तो वह लोक जन की सुनवाई न होना यही कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण समाप्त हो जाए, ब्यूरोक्रेसी सरकारों की सुनना बंद कर दें, सारा का सारा सिस्टम कोलेप्स हो जाए, जब सरकारों को विधेयक लाकर, कानून लाकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को, आम जन की सुनवाई के लिए भी कानून लाना पड़े, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार वाह वाही लूट ले कि हम राजस्थान के अन्दर लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 लेकर आए हैं, हम राजस्थान के अन्दर राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 भी लाए हैं लेकिन इसके पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण हो गए जिसके कारण सारे सिस्टम के अन्दर जो आम जन के काम होते हैं, आज पानी से लेकर, सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, जो व्यक्ति के जीने की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिन हेतु सरकार पर निर्भर हैं उसके बाद भी, उसके लिये भी आम जन को जन सुनवाई के लिये दर-दर की ठोकरें खानी पड़ें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज्य का सिस्टम कोलेप्स हो जाए, जब मैं सिविल लाइन्स से गुजरता हूं तो मुख्य मंत्री निवास के बाहर जब भीड़ देखता हूं और भीड़ के अन्दर जो जन-सुनवाई के दौरान, जो आम अवाम अपने प्रार्थना-पत्र लेकर आते हैं, वह प्रार्थना-पत्र कोई ठेका लेने वाला नहीं, कोई फाइनेंशली एड लेने वाला नहीं, वह व्यक्ति प्रार्थना-पत्र लेकर आता है कि पटवारी ने मेरी नहीं सुनी, थानेदार ने इनजस्टिस कर दिया, बिजली इंजीनियर मुझे लूट रहा है, पीने के पानी की गारण्टी देने के बाद पानी नहीं मिल रहा। इन बुनियादी सवालों को लेकर राजस्थान की जनता जब मुख्य मंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाए, तो उस समय ऐसा लगता है कि सरकार का नियंत्रण उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर समाप्त हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल को लाया जा रहा है और जिस बिल पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रश्न उठाया है, इस बिल की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है यदि हम उस सुनवाई के अधिकार गारण्टी बिल के अन्दर अलग से कोई अधिकारी नहीं लगाएंगे जो उनकी सुनवाई कर सकें। सुनवाई के अधिकार के कानून के तहत आदमी परिवाद देगा, परिवाद पर निर्णय कौन करेगा? इस सारी प्रासंगिकता पर सवाल पैदा हो गया है।

(श्री ओम बिरला)

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बिल भी ला रही है, बिल में हम संशोधन भी बताएंगे लेकिन दलों के अन्दर, जिस तरीके से विधान सभाओं के अन्दर, चाहे हमारी भी सरकार हो, जो बिल पेश कर दिया वह बिल पास होना है, उस बिल में, विधेयक में कमी हो तो भी पास होना है, यह जिदें सरकारों के लिये न्यायोचित नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल वक्त आएगा, जब लोग विधान सभा के अन्दर कहेंगे कि हमारे उचित संशोधन देने के बाद भी सरकार उस बिल में संशोधन नहीं करे, यह डेमोक्रेसी के लिये भी न्यायोचित नहीं है। दल और बहुमत के आधार पर हम बिलों को पास कर लें, बिलों के अन्दर लोगों को न्याय नहीं दिला सकें, यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है।

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रभारी मंत्रीजी ने कहा, न उसके लिये अलग से अधिकारी लगेंगे, न कलम की जरूरत पड़ेगी, न कागज की जरूरत पड़ेगी। केवल यह बिल लाये हैं विधान सभा के अन्दर, बिल लाने के लिये लाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पटवारी की शिकायत करने तहसीलदार के यहां तो आज भी व्यक्ति जा सकता है; कलक्टर के यहां आज भी परिवाद देने आता है; एक जे.ईएन. नहीं सुनता तो ए.ईएन. के पास जाता है, ए.ईएन. नहीं सुनता तो एक्स.ईएन. के पास जाता है, एस.ई. के पास जाता है; पीने का पानी गंदा मिले, सड़ा मिले, जो बुनियादी आवश्यकताओं की सरकार को सेवाएं देनी चाहिए, सरकार वे सेवाएं दे नहीं सके, उसके लिये आज भी न्याय के लिये जाता है। कौन सुनता है उसकी? फिर आपने कह दिया कि उसके जो अधिकारी हैं, वह सुनने वाले अधिकरी उसी विभाग के होंगे, अलग से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सूचना के अधिकार का कानून भी बनाया, हमने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम भी बनाया, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, जिसके अन्दर एक कानूनी प्रक्रिया है और जो सेवा का गारण्टी, जन सुनवाई का अधिकार विधेयक लाये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहा है, सरकार की विशिष्टता पर सवाल उठ रहा है, सरकार की नीति पर सवाल उठ रहा है। कौनसा विधेयक ला रहे हैं? अगर विधेयक लाना है, आम जन की सुनवाई करनी है तो सुनवाई के लिये जो उसका उच्चतर अधिकारी होना चाहिए, वह अधिकारी उसके विभाग का नहीं होना चाहिए। वह परिवाद दे, उस परिवाद पर न्याय हो, त्वरित न्याय मिले; यह आवश्यकता है।

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी डेमोक्रेसी के अन्दर अपनी

(श्री ओम बिरला)

बात विधान सभा में कहनी है, काला कानून लाएं तो भी कहनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विशेष उल्लेख माननीय प्रभारी मंत्रीजी की नजर में डालना चाहता हूं। ऐसे तो जिद और अहंकार में जो सरकार डूबी हो, जो अहंकार के अन्दर सरकार डूबी हो, उसके आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जनता ने कानून बनाने के लिये भेजा है, कल जब सवाल करेगी जनता, बिल पास हो रहे थे, कानून पास हो रहे थे, उस कानून में हमारे परिवाद नहीं थे, आपने क्यों नहीं सरकार को बताया? तो काला अध्याय होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अधिनियम की धारा 2 (ड.), जिसमें लोक प्राधिकारी की परिभाषा बताई गई है, वह स्पष्ट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन लोक प्राधिकारी अधिकारी होगा, क्या उसके अधिकार होंगे, किस तरीके से सुनवाई करेंगे, इस बिल में कहीं भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनवाई के अधिकार को थ्री-स्टैण्डर्ड में डाला है, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, पुनरीक्षण अधिकारी। जब प्रथम अपील सुनने वाला अधिकारी उसके ऊपर का, उसी डिपार्टमेंट का होगा तो न्याय मिल पाएगा क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय? सैकण्ड अपील भी उसके डिपार्टमेंट का अधिकारी सुनेगा, पुनरीक्षण भी उसी डिपार्टमेंट का अधिकारी करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल तो आप बहुत सारे ले आये, कई बिल भी लेकर आएंगे, कई विधेयक भी लेकर आएंगे, कई नीतियां भी लेकर आएंगे। लेकिन बिल और विधेयक जनता को न्याय मिलने के लिये होने चाहिए। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, तृतीय अपील, कौन अधिकारी होगा, कौन उसकी अपील को सुनेगा, इसमें यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार के समान परिवाद के अन्दर एक बात होनी चाहिए, एक निश्चित समय के अन्दर आदमी की जन सुनवाई हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 4 में नियत समय सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख किया है लेकिन निश्चित समय क्या है? जिस कानून के अन्दर समय निश्चित नहीं हो, जिसकी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गयी हो, जिसके अन्दर शासन का कोई डर नहीं हो, शासन का नियंत्रण नहीं हो, आप उसके अन्दर विधेयक ला रहे हैं। विधेयक के अन्दर, जिस तरीके के सूचना के अधिकार के नियम, इतने में, 4 में, सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 7

(श्री ओम बिरला)

(1) में स्पष्ट है कि कोई भी 30 दिन में सूचना के अधिकार के तहत उसको सूचना दें, अगर वह सूचना 30 दिन में नहीं दे रहा तो ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा। लेकिन इस विधेयक में कहीं भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय-सीमा निर्धारित नहीं की है। समय सीमा के निर्धारण के अभाव में उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमियां इस विधेयक में बहुत हैं, मैं बहुत सारी विधेयक की कमियां बताऊंगा लेकिन जिस मंशा के लिये विधेयक लाया जा रहा है, उस मंशा पर जब सवाल उठ रहे हों तो मैं कितने भी संशोधन दूं, वे संशोधन न्यायपूर्ण नहीं होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार अगर आम जन की समस्या का समाधान करना चाहती है, आम जन को न्याय दिलाना चाहती है तो त्वरित उसकी समस्या का समाधान हो, त्वरित न्याय मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, सारे सिस्टम को बनाने के बाद भी आज वह गांव का आदमी, जिसके पैर में चप्पल नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, गांव से चलता है, अगर पटवारी से नकल लेनी हो तो नकल नहीं मिले; उस गांव का हैण्ड-पम्प ठीक कराना हो तो उसके लिये कोई नहीं; बिजली चली जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं? उसके बिल पर अगर चार गुना पैसा लग जाए तो उसकी सुनवाई नहीं। उसके न्यायपूर्ण अधिकार जो उसको संविधान में दिये गये हैं, जो उसके न्यायिक अधिकार हैं, वे अधिकार भी, तीन साल के अन्दर आम अवाम की जन सुनवाई नहीं होने के कारण सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस मौके पर इतना ही निवेदन है कि विधेयक लाने के पहले यह विधेयक उस आम-अवाम के पास पहुंचाना चाहिए जिसकी पीड़ा और दर्द को, जो सब जन-प्रतिनिधि जानते हैं, उसकी पीड़ा को भी जानते हैं, यहां पर विधायक भी मंत्री और मुख्य मंत्री के सामने कहते हैं, सदन के अन्दर कहते हैं, बाहर भी कहते हैं। तो इस अंधी-गूंगी सरकार में जब इनके विधायकों की नहीं सुनी जाती, तो गांव और पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसे न्याय होगा? इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को आम जन के जनमत जानने के लिये भेजा जाए और जन-जन के अन्दर जो कठिनाइयां हैं, उनको इसमें सम्मिलित करके और फिर इस विधेयक को इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः धन्यवाद। माननीय श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 आज सदन में पारित होने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि जन सुनवाई, देश को आजाद हुए 65 साल हो गये और 65 साल के बाद अब सरकार की नींद खुली है कि अब जनता की सुनवाई की जाए। 65 साल तक जो राज किया, इस जन सुनवाई बिल के बिना ही कैसे राज चला और क्या कमियां रहीं? आज इस सरकार को चेतना आयी है कि जनता की जन सुनवाई की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल हो गये, तीन साल के राज में इन्होंने जनता की जन सुनवाई कैसे की? आज इस बिल को जन मत जानने के लिए परिचालित करने के स्थान पर इस सरकार को ही जन मत जानने के लिए भेजें तो अच्छा रहेगा ताकि यह जनता इनकी सुनवाई कर सके ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कि आपने तीन साल में जनता के क्या हालात बनाये हैं, विकास के कार्यों की क्या दुर्दशा की है? गरीब आदमी अपने न्याय को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है। पंचायत में जाता है, जन-सुनवाई, अपने सूचना-के-अधिकार के तहत नकलें मांगता है तो कोई देने वाला नहीं। आप कानून कितने ही बना लीजिए मगर जब तक उसकी पालना नहीं होगी तब तक उसका कोई औचित्य नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने का सरकार का जो मंतव्य है, मंतव्य तो यह है कि जनता को कागजों में उलझाये रखो, कोई कहीं भी सुनवाई नहीं होगी और अपन एक तरफ राज करते रहे। आज जिस तरह से न्यायालय में इतने अंबार लग चुके हैं, राजस्व बोर्ड में लोगों की अपीलें जब से देश आजाद हुआ तब से लगी हुई हैं, आज दिन तक बिना निपटारे के पड़ी हुई हैं, उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं। मगर जन सुनवाई के लिए आप जो बिल लाये हैं, वह जनता की कैसी सुनवाई करेगा? कानून कागजों में बहुत हैं, किसी को पाबंद करने के लिए, अधिकारियों को पाबंद करने के लिए आपके पास बहुत से अधिकार, कानून किताबों में बहुत हैं मगर इस बिल को लाकर आप जो मंशा रखते हैं, वह मंशा आपकी यह है कि जनता को गुमराह किया जाए, बरगलाया जाए और टाइम पास करके किसी तरीके से जनता के बीच में जो वादे किये, उनको पूरा नहीं करना और उसके अलावा, जनता को यह

(श्री केसाराम चौधरी)

लुभावने वादे करके कि हम आपके लिए यह कानून लाये हैं, जन सुनवाई आपकी त्वरित होगी व इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से होगी, कम्प्यूटर के माध्यम से होगी, मगर आज दिन तक गांव में घूमने वाला, गरीब वर्ग का व्यक्ति इसी तरह से गुमराह है कि कोई काम मेरा किसी तरह से कोई हो जाए। आज उसको पेंशन की आवश्यकता है तो पेंशन तीन-तीन महीने तक जाती ही नहीं, किसके पास जाए? किसको कहे? कोई सुनने वाला नहीं। आज गरीब के जो भी काम हैं, छोटे-मोटे काम हैं, वे बिजली के बिल में दो बार, तीन बार वह ही और एक-एक बिल में चालीस-चालीस और पचास-पचास हजार रुपये का बिल आ जाता है, जो सम्भव ही नहीं है, आप उतनी बिजली भी नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी फिर उसकी सुनवाई के लिए जाओ, फिर उसकी अपील करो। अपील करो तो पैसे लगेंगे, उसका समय बरबाद होगा। क्या ये कानून बने हुए नहीं हैं? अगर ऐसे कानून बने हुए नहीं हैं तो 65 साल तक आपकी नींद क्यों नहीं उड़ी और यह जन सुनवाई का बिल आज से पहले क्यों नहीं लाये? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अमरारामजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 का सवाल है, हमारे देश में 1947 से पहले जब अंग्रेज राज करते थे, शायद हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि हमारा देश अंग्रेजों से मुक्ति पाएगा तो हमारे वोट से कोई सरकार बनेगी, देश की जनता की सेवा करेगी और हमारा भारत देश एक लोक कल्याणकारी राज होगा जो जन हितकारी कार्य करेगा। जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे रोजगार का सवाल है, चाहे सड़क का सवाल है, चाहे स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों का सवाल है, ये तमाम के तमाम सवाल जो भी हमारे वोट से चुन कर जाने वाले सरकार बनाएंगे, वे जनता की, जन सेवा करने का काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद तो हुआ लेकिन आजादी के बाद जो सरकारें, आयीं, उन सरकारों ने जिन नीतियों को अपनाया, जिस रास्ते पर चलीं सरकारें उन रास्तों को परिणाम है कि आज भारत देश में दो तरह का सिस्टम हो गया। अमीर की सुनवाई होती है, गरीब की सुनवाई नहीं होगी। अमीर को, जो

(श्री पेमाराम)

सरकारें भी अपनी, जो लोक कल्याणकारी काम थे, सरकार की जो जिम्मेदारियां थीं, सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू कर दिया। स्कूल खोलने का सवाल आये तो सरकार पीछे हट गयी, बोली कि प्राइवेट को मान्यता दे देंगे; यूनिवर्सिटी बनाने के सवाल आयें तो सरकार पीछे हट गयी; सड़क बनाने के सवाल आये तो सरकार पीछे हट गयी, बोली कि कम्पनियां सड़क बनाएगी। जो भी जन हितकारी काम आयें, सरकार पीछे हटती गयी और उसी का परिणाम है कि जनता की तकलीफें बढ़ती गयीं; उस का परिणाम है कि जनता की तकलीफें बढ़ने से जनता अपनी फरियाद लेकर किसी भी सरकारी विभाग में जाए तो वहां पर जनता की सुनने वाला कोई नहीं रहा; उसी का परिणाम है कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती गयी, वोट से चुन कर आने वाले, सरकार चलाने वाले कमजोर होते गये और ब्यूरोक्रेट्स हावी होते गये।

इसलिए ऐसी सूरत में आज सरकार यह लाकर के यह महसूस कर रही है कि जन सुनवाई, हिन्दुस्तान, आजाद भारत के लोगों को जन सुनवाई का अधिकार दे रहे हैं। इसके लिए कोई गुनाहगार है तो सरकारें हैं जिन्होंने ऐसी नीतियां अपनाईं, जिनकी वजह से भारत देश के लोगों को ये तकलीफें पैदा हुई और उनकी सुनने वाला कोई नहीं रह पाया। यह सरकार अब भी जन कल्याणकारी कार्यों को न करने के इरादे से कि कहीं सरकार पर जन कल्याणकारी कार्यों पर, बजट के हिस्से में जन कल्याणकारी कार्य करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(14.25 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

बजट के हिस्से में सारा का सारा, यह फलां, यह फलां, सारी कम्पनियों को लूटने की छूट दी जा रही है और ऐसी सूरत में सरकार प्रचार करना चाह रही है कि आम जनता की सुनवाई करने का राइट ला रहे हैं, हम अधिकार देंगे। हम लोक सेवा की गारंटी देंगे।

माननीय सभापति महोदय, देंगे कहां से? राजस्थान की सरकार का एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, वहां पर जितनी पोस्ट्स किसी जमाने में थीं, जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की समस्याएं बढ़ती गयीं, कायदा तो यह था कि उन डिपार्टमेंट्स में पद बढ़ते, भर्तियां होतीं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सरकारों की हालत यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट, बिजली सबसे आवश्यक

(श्री पेमाराम)

चीज है, सन 1980 के बाद भर्ती का अब नाटक कर रहे हैं। जो 1980 में भर्ती हुई थी, 1980 में जो लाइनें थीं, आज उससे चालीस गुणा ज्यादा लाइनें हैं; जितने कनेक्शन थे, उससे चालीस गुना ज्यादा कनेक्शन हैं और जितने कर्मचारी थे, उनमें कोई विकलांग हो गया, कोई वृद्ध हो गया, कोई पोल पर नहीं चढ़ सकता; इन्होंने एक भर्ती नहीं की और उसी का परिणाम है कि समस्याएं अनेकानेक पैदा हो गईं। जनता दर-दर की ठोकरें, इंजीनियर से लेकर बिजली के बड़े अधिकारी तक गये, मंत्री तक गये, मुख्य मंत्री तक गये लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया।

आज सरकार यह जन सुनवाई का बिल लाकर, कानून बनाकर जनता को, कानून, तो माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में और भी बहुत बने हुए हैं जैसे बाल-विवाह पर रोक का कानून है लेकिन यह सब को पता है कि मीडिया जगह-जगह की तस्वीर छाप कर, कोई कानून बनने से उससे उस समस्या का, जैसे मृत्यु भोज का कानून बना हुआ है, उससे कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सूरत में सरकार जन सुनवाई का कानून लाकर वाहवाही लूटना चाहे कि हम यह लोक सेवा गारंटी का भी अधिनियम लाये हैं, जन सुनवाई का भी अधिनियम लाये हैं, एक कर्मचारी को भर्ती करने का काम नहीं किया, इससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी।

इसलिए इस बिल को यहां पर चर्चा में लिये जाने से पहले राजस्थान की जनता में छह महीने तक जाना चाहिए। जनता की राय-मशविरा जानने की आवश्यकता है कि आज सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गयी, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं वे कोई जनता की पैदा की हुई समस्याएं नहीं हैं। यह सरकार ने अपनी लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उनसे पीछे हटने की वजह से सरकार ने यह समस्याएं पैदा की हैं। जनता के सामने जो समस्याएं पैदा की हैं, उसके लिए गुनहगार सरकार है और सरकार अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जन सुनवाई का कानून लाकर जनता से बचना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस कानून पर विचार करने के बजाए पहले जनता के बीच में जा कर के प्रचार-प्रसार होना चाहिए और जनता की राय और सहमति की आवश्यकता ली जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, लोक अदालत, जन सुनवाई जैसी बातें एक एक्ट लाकर की जा रही हैं, उसकी, मैं

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

समझता हूं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे यहां पहले से इतने कानून हैं, गारण्टी का कानून अभी लाया गया है, तो इस तरह से जितनी भी सेवाएं हैं, परन्तु जब भी जोधपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारते हैं तो सर्किट हाउस में एक मेला लगता है। सुबह लोग सात बजे आकर बैठ जाते हैं, कब मुख्य मंत्री महोदय आयेंगे और अपनी समस्या का समाधान लेने के पहुंचते हैं। परन्तु जिस तरह से कतारें लगती हैं और जितनी समस्याएं आती हैं, उसमें 20 प्रतिशत भी समस्याएं ऐसी नहीं हैं जो उनके लायक हों। परन्तु प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण, बार-बार ठोकरें खाकर, छोटे-छोटे निर्णय के लिये लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम होता नहीं है।

जन सुनवाई का जो कानून लाया जा रहा है, उसमें आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है, टाइम-बाउण्ड, समय-पाबन्दी के साथ में हर कार्य हो, तो अच्छा रहे, परन्तु होता नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कहा है कि यह काम होना चाहिये, उसी समय चिट्ठी देते हैं और उसकी वापस चिट्ठी आ जाती है कि सचिव महोदय को भेज दिया गया है, परन्तु काम होता नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर जोधपुर में सड़कों की बात कहूं, प्रभारी मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैंने सड़कों की बात इतनी बार उठाई, सारे अखबारों ने उठाई, आज उस बात को 20 दिन हो गये हैं, एक भी कार्य उसमें नहीं हुआ। कोई प्रोसेस में ही नहीं आया, न कोई पत्र आया मेरे पास में। सिर्फ मुख्य मंत्रीजी ने जरूर एक पत्र भेजा कि आपका पत्र मिला है, उसके बारे में आगे बता दिया गया है, परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। अब विधायक ने विधान सभा में जो बात कही है, कल ही जिलाधीश महोदय के समक्ष मैं गया था, ई.टी.वी. वाले भी वहां आ गये थे, उन्होंने कहा क्या समस्या लेकर आये; मैंने कहा मैं वही सड़क की समस्या लेकर फिर आज आया हूं। जितनी स्वीकृत थीं, उनमें से एक में भी काम शुरू नहीं हुआ, सब जगह काम अटके हुए हैं। कहीं रि-टेण्डर करेंगे, कहीं ठेकेदार नहीं आ रहा है क्योंकि नगर निगम पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है, कहीं पर जे डी ए अधिकारी इस तरह का घोंचा लगा देते हैं कि काम होता ही नहीं है। बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं।

इसी प्रकार, विकलांगों की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। आये दिन मुख्य मंत्री निवास स्थान पर भी जिस तरह की घटनाओं की खबर अख़बारों में आती हैं, जिस तरह से विकलांग लोग आकर चिल्लाते हैं, वैसा ही अनुश्री मोदी के मामले में कहूंगा, उसने राष्ट्रीय स्तर के सात पुरस्कार जीते हैं, स्वर्ण पदक मिले हैं। साढ़े 10 लाख रुपये उसको पारितोषिक का मिलना चाहिये, अभी तक

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

1 लाख 75 हजार मिला है, बाकी का सारा पैसा रुका पड़ा है। जब भी मुख्य मंत्रीजी जाते हैं, वह बार-बार चक्कर लगाती है। एक पत्र सहानुभूति का जरूर आता है कि सम्बन्धित विभाग को बता दिया गया है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है। वृद्धों को जो पेंशन सैंक्शन की जाती है, कितने आवेदन पड़े हैं, परन्तु वे लोग चक्कर काट-काटकर हैरान हैं, काम होते नहीं हैं।

हमारे जोधपुर के तीनों अस्पताल, उम्मेद अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल तो आये दिन सुर्खियों में रहते हैं। उम्मेद अस्पताल के लिये तो स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ऐसा बदनाम हो गया कि हर दूसरे दिन कोई न कोई समस्या उम्मेद अस्पताल की अखबारों में आती है। लोग झगड़ रहे हैं, कहीं दवा ठीक नहीं मिल रही है, कहीं इंजेक्शन गलत लग जाते हैं, कहीं फफूंदी आ गयी है, कहीं कचरा इतना आ गया है। महात्मा गांधी अस्पताल में एक कैनाल है, उसको साफ करने का आज तक किसी ने सोचा नहीं। 10 वर्ष हो गये हैं, ताला लगा हुआ है और उसमें से सड़ांध उठ रही है। सारे अस्पताल का वातावरण प्रदूषित हो गया है और गन्दा वातावरण बना दिया गया है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जल वितरण, सड़क, नाली, सीवर लाइन की सफाई आम जनता की समस्याएं हैं। जल वितरण की हमारे यहां इतनी खराब व्यवस्था हो गई है कि रोज सुबह 5-7 टेलीफोन आते हैं कि आज मेरे एरिये में बिलकुल पानी नहीं आया; दो दिन हो गये, आज भी बिलकुल भी पानी नहीं आया; बूंद-बूंद करके पानी आ रहा है तो इस प्रकार से जवाबदेह सरकार कहलाने वाली, संवेदनशील सरकार, इस तरह से फेल हो रही है। आम जनता बहुत दुःखी है और मैं समझता हूं, आने वाले चुनाव में जनता के सामने जब हम सब जायेंगे, तो मालूम पड़ जायेगा कि जनता के अन्दर कितना असंतोष है। जनता की भावनाओं का आदर नहीं किया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012, यानी इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह किस उद्देश्य से लाये? यह अपने आप में उद्देश्य ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता। केवल एक तरह से राजस्थान की जनता के आक्रोश को एक कानूनी लवाजमा पहनाकर के, इस बारे में कि हमने कानून बना दिया, पर कानून ऐसा लगड़ा बनाया कि जिस कानून से कुछ भी मिलने वाला नहीं। अच्छा तो यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होता कि जिस आब्जेक्शन का था कि कम से कम इसमें फाइनेंशल मेमोरेंडम लगना चाहिये, कोई भी आज दिन तक, इस विधान सभा में 30-35 साल का जो कुछ भी हमारा अनुभव है और जो कुछ भी हमने यहां देखा है और अब तक जो पढ़ा है, उसके आधार पर, लेकिन उसको भी, इस बात को लेकर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति नहीं, फिर भी लाये, कोई बात नहीं, और जो लाये हैं, इसमें से निकलेगा क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपका स्वयं, जो आपने बनाया है, यह आपने सेक्शन दो के (बी) में जो लिखा है – " 'right to hearing' means an opportunity of hearing provided to the citizens on a complaint within the stipulated time limit .." यह स्टिपुलेटेड टाइम क्या है? यह कौनसा शब्द है, स्टिपुलेटेड टाइम? एक महीना, दो महीना, छह महीना, आठ महीना, एक साल, दो साल; दस साल, पन्द्रह साल, मतलब इस एक शब्द ने मानो, लोगों की भावना को ही एक तरह से रसातल में पहुंचा दिया। इस एक्ट में जगह-जगह, यह आपने टाइम की जगह स्टिपुलेटेड टाइम जो डाला ना, यह आपकी मंशा को शो कर रहा है कि यह आपकी मर्जी जो हो टाइम, जब आपकी इच्छा हो तो टाइम। बाकी तो, जिसको न्याय प्राप्त करना है, उसके लिये तो कोई समय सीमा नहीं है और इसके कारण से आपका परपज मुझे तो ठीक नहीं लगता।

फिर इसके बाद (सी) में " ' Public Hearing Officer' means a Public Hearing Officer notified under section 3." सेक्शन (सी) क्या कहता है, "Notification of Public Hearing Officers, first appellate authority, second appellate authority and revision authority and stipulated time limit." मतलब ये सब सुनवाई करेंगे, पहली अपील, सैकण्ड अपील, और यह सारा जो रिवीजन होगा, इसमें स्टिपुलेटेड टाइम है। मतलब, यह टाइम कभी होगा ही नहीं और उसको न्याय मिलेगा ही नहीं। और वह भी कानून के तहत यह अधिकार दे दिया, तो अब तो आपका कोई भी अधिकारी, जिसके पास वह जायेगा, अपनी दरख्वास्त लेकर न्याय प्राप्त करने के लिये, उसको सीधा कहेंगे कि इसमें समय सीमा नहीं है।

मैं नहीं समझ पाया कि समय सीमा डालने में क्या दिक्कत है? यह कानून अगर समय सीमा में नहीं है तो सूचना-के-अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं है, वह अर्थ बेकार है जिसके अन्दर किसी प्रकार का आपने समय नहीं डाला है।

इसी तरह से आपने, इसमें अब जो अपीलांट आथोरिटी का दिया है, यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किस क्वालिफिकेशन का आदमी होगा, कौन होगा? यह क्या चीज है, मतलब कहीं इसमें मेंशन नहीं है, आथोरिटी की क्वालिफिकेशन क्या है, अपीलांट आथोरिटी की क्वालिफिकेशन क्या है, यह इसमें कहीं भी, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मेरा तो यह निवेदन है कि न तो इसमें समय सीमा है, न इसमें जो भी आपका अधिकारी बन रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन, किस ग्रेड का होगा, कैसा आदमी होगा? आर ए एस होगा, आई ए एस होगा, या तहसीलदार होगा, नायब तहसीलदार होगा, कौन होगा, यह इस कानून से तो स्पष्ट नहीं होता कि आप यह अधिकार किस व्यक्ति को दे रहे हैं और किस व्यक्ति के पास इसको जाना है?

मैं सोचता हूं अब आपने भी इसमें सेक्शन 6 में जो किया है, अपील-कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, या जो लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, नियत समय सीमा की समाप्ति से..., नियत समय सीमा की समाप्ति कौनसी है? मतलब हमें तो यह लगता है कि केवल एक ऐसा झुनझुना हाथ में दे दिया जिससे यह लगे, ढपोर शंख, जैसा आपने कहा था ना, यह कानून ढपोर शंख तरीके से है, यह लोगों को दिखायेगा तो सही कि तुम्हें सुनवाई का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन परिणाम इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, यह मेरी गारण्टी है। अगर अपन दो-चार-छह महीने बाद इसका विश्लेषण करेंगे ना, तो अपने को इस बारे में अपने आप समझ में आ जायेगा कि वास्तव में इस कानून से किसी प्रकार का रिलीफ अपने को मिल रहा है क्या? क्योंकि न तो अपील के निस्तारण में समय है, मतलब समय सीमा कहीं भी नहीं रखी, स्टिपुलेटेड टाइम एक ऐसा शब्द पकड़ा है जिसका न कभी अंत होगा और न कभी प्रारम्भ होगा। सब कानून पढ़कर के और ताली बजाकर के यहां से जायेंगे कि अब तो हमको सुनवाई का अधिकार मिल गया, जैसे कोई बहुत ऐसा मिल गया कि अलाद्दीन का चिराग मिल गया जिसके कारण से जाते ही अपन को न्याय मिल जायेगा। मैं सोचता हूं, इसमें से कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला।

फिर यह सेक्शन 7 है, जिसमें आपने दंड का प्रावधान किया है, इसमें आपने लिखा है- 'जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से नियत समय-सीमा के भीतर...', यहां भी वह ही, नियत समय सीमा के अन्दर, '...भीतर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहा है, वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।' अगर वास्तव में जिस अधिकारी ने, यह सुनवाई का अधिकार था, जिस समय में उसको इसकी सुनवाई करनी थी, यह जो रुपये हैं, इस रुपये से क्या इस देश में सुधार होगा? अगर आपकी इसमें कोई सज़ा का प्रावधान डालने की हिम्मत हो, चाहे वह दस दिन ही हो, चाहे पन्द्रह दिन भी हो, तब तो सुनवाई के अधिकार का कोई मतलब निकलेगा। यह पैसे, पांच सौ और पांच हजार रुपया, यह पांच सौ रुपया तो आजकल जो अधिकारी सुनवाई करते हैं न, वे शाम को इतने नोट समेट कर ले जाते हैं कि वो तो जैसे धर्मादे खाते डालते हैं न नाली में, वैसे ही डालकर के आपको दे देंगे। कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इससे आपके कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं आने वाली है, केवल अपने मन को अपन धोखा दे रहे हैं। वास्तव में जिस अपील अधिकारी ने समय पर अगर सुनवाई नहीं की तो उसे दंड का प्रावधान क्यों नहीं करते हो? उसकी सर्विस बुक में रिमार्क क्यों नहीं मानते हो? और कुछ मत करो आप, कम से कम उसकी सर्विस बुक में तो रिमार्क मारो। कम से कम यह लगेगा, सर्विस बुक के रिमार्क के कारण से भी जिंदगी भर तक उसको लेकर उसको ढोना पड़ेगा तब तो उसे समझ में आयेगा, तब तो वह सीरियस होकर के इस काम को करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी मंशा इस प्रकार का कोई काम करने की है।

अब आपने इसमें एक और धारा 10 में जो अधिकार दिया है, वह अधिकार फर्स्ट अपील, सैकण्ड अपील, क्यों नहीं जा सकता सिविल में? क्या रोक है उसकी? मान लो, अगर वह किसी बात से व्यथित है तो उसे यह जाने का अधिकार क्यों नहीं है? आपने 10 में लिखा है, 'न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन', न्यायालय में जाने की रोक है। क्यों रोक है? आज दिन तक तो कभी भी नहीं है। आदमी को कहीं भी, किसी भी जगह अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम न्याय प्राप्त करने का, और अगर हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज हमारे यहां घूम कर के, हमारे सीना तान कर के दस-दस बातें सुनाते। अभी वो जेल में पड़े हैं न, तो आपके और मेरे चिल्लाने से नहीं पड़े हैं, कोर्ट के आदेश के कारण से वे आज जेल में पड़े हैं। कम से कम हिन्दुस्तान के न्यायालय के प्रति आज भी लोगों की आस्था और विश्वास है, उसको ही आप इस कानून के तहत समाप्त करना चाहते हैं। आपने लिखा- 'किसी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई, विनिश्चय या कार्यवाही करने या किसी भी मामले का अवधारण करने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारिता नहीं होगी...', बंद कर दिया आपने, '...जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सुने जाने, विनिश्चय किये जाने या कार्यवाही किये जाने या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित है।' मतलब आपकी सारी, जितनी भी हीयरिंग आपने एक, दो, तीन, चार, जितनी भी कर दीं, माने, वर्षों तक गुजार लो, आप इस प्रोसेस में चलो और अपनी सुनवाई लेकर के और साल-दो साल तक इधर-उधर घूमते रहो, बचा-खुचा जो पैसा जेब का हो, वह और खर्च कर दो, अपना समय बरबाद करो और एक तरह से दरवाजे-दरवाजे पर इस मुल्क का मालिक जो है, हम जो पहली तारीख को तनख्वाह लेते हैं उनके सामने भिखमंगे की तरह से एक के दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर ठोकरें खाता रहेगा और उसे न्याय मिलने की कहीं उम्मीद भी होगी तो कम से कम वह न्यायालय की शरण तो ले सकता है।

हमने तो इस कानून को इतना लचर बना दिया, इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सुनवाई का काम, आज भी कोई अधिकारी अगर अच्छा है न, तो निश्चित रूप से वह लोगों के कागज को लेकर सुनवाई करता है, न्याय भी देता है। चाहे वो एस.पी. के पास जायेगा, चाहे कलक्टर के पास जाए, चाहे तहसीलदार के पास जायेगा, जिसमें थोड़ी-बहुत भी इन्सानियत और ईमानदारी बची है वह तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की उस सुनवाई को जितनी गहनता से वह समझता है वह समझे, उसका कुछ न कुछ न्याय देने का प्रयास करेगा, लेकिन आपने यह कानून बना कर के इन सब लोगों को एक तरह से आपने एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तुम्हारा बाल भी बांका इस राजस्थान में कोई नहीं कर सकता। केवल यह कानून बना दिया, यह कानून ऐसा पोचा है और बेकार का है जिसका असर नीचे क्षेत्र में आ नहीं सकता, व्यक्ति को न्याय मिल नहीं सकता।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अगर कानून बनाना है तो आप जन मत जानने के लिए भेजिये और कानून को कुछ शक्ति के आधार पर समय सीमा में लाइये। किसी चीज में कोई समय सीमा नहीं, महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, तीस दिन, चालीस दिन, अपील के लिए तो समय दे दिया लेकिन न्याय के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उसको समय सीमा में लाएं, दंड में हम अधिक से अधिक उसको शक्ति लाएं ताकि उसको न्याय मिल सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जो बिल संविधान की भावना के प्रतिकूल आकर ही सदन में पारित हो, उस बिल से कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह बिल किसी भी आदमी की समस्या का समाधान करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, संसदीय कार्य मंत्रीजी को कि उन्होंने भावनाएं समझीं और सरकार की ओर से केवल जितनी दबी जबान से बोलना था, उतनी बात उन्होंने बोली। मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि अगर इसके उद्देश्य और कारण देखेंगे, बिल में उद्देश्य और कारण दिये जाते हैं, साफ लिखा है- 'नागरिकों की शिकायतों के निराकरण को सुकर बनाने के लिए सूचना और सुगम केन्द्रों, ग्राहक सेवा केन्द्रों, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की स्थापना के लिए उपबंध भी प्रस्तावित हैं। ये केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होंगे ताकि नागरिकों की शिकायतों का उनके निकटतम स्थानों पर त्वरित गति से निराकरण किया जा सके।'

एक बात तो माननीय मंत्रीजी ने कह दी कि अपील अधिकारी सरकारी अधिकारी हैं, मान लिया, उन पर तो पैसा नहीं लगा, तनख्वाह खा रहे हैं लेकिन आप जा रहे हो सूचना केन्द्र बनाने के लिए, आप जा रहे हो ग्राहक सेवा केन्द्र बनाने के लिए, आप जा रहे हो काल सेन्टर बनाने के लिए, आप जा रहे हैं हेल्प डेस्क बनाने के लिए, आप जा रहे हैं सहायता केन्द्रों की स्थापना करने के लिए, और यह सब बिना पैसे के नहीं होगा। इनमें पैसा लगेगा और जिस चीज में पैसा लगता है, वह बिल बिना राज्यपाल की स्वीकृति के और बिना फाइनेंशल मेमोरेंडम के आना संविधान के आर्टिकल 207 के खिलाफ है और यह जो कानून है वह संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है, इसलिए मैं पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि इस गैर-कानूनी विधेयक को माननीय मंत्रीजी पारित नहीं कराएं। अब वापस लेना चाहिए, ईमानदारी से वापस लेना चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। यह किस प्रकार से हम सारे सदन को करना चाहते हैं? कोई त्रुटि हमारे से हो गयी हो और उस त्रुटि को हम बचाकर रखना चाहते हैं, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। एक अध्यक्षीय व्यवस्था अगर यह आ गयी कि सरकार को हम फाइनेंशल मेमोरेंडम हेतु बाध्य नहीं कर सकते, तो फिर आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लगाने को ही बाध्य नहीं कर सकते, फिर आप राज्यपाल की स्वीकृति को नहीं कर सकते, फिर आप उद्देश्य और कारणों का कथन भी बाध्य नहीं कर सकते। इसके बाद तो कानून लाने की सीमाएं समाप्त हो जायेंगी। एक।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं है, इस कानून की आवश्यकता नहीं है। ये दो कानून राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर हमला कर रहे हैं, पहला कानून, लोक सेवा की गारंटी का कानून और दूसरा कानून, सुनवाई का कानून। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम किसको बचाना चाहते हैं? और यह मजाक क्यों बनना चाहते हैं? किस की सुनवाई करेगा, किस चीज की सुनवाई करेगा, कितने समय में करेगा, कौन से कानून के अन्तर्गत करेगा और क्या करेगा? मैं जाऊंगा, मुझे मेरे घर के आगे पान खाने की दुकान लगानी है, मैंने दे दिये पहले अपील अधिकारी को; वह कहता है, नहीं, यह तो नहीं होगी क्योंकि इसमें तो नगरपालिका से या नगर निगम से परमिशन लेकर आओ। मैं दूसरे अपील अधिकारी के पास जाऊंगा, साहब, उसने मुझे परमिशन नहीं दी, मुझे पान लगाने की दुकान की परमिशन दी जाए। मैं कोई राजस्व का कानून लेकर जाऊंगा? आप इसमें बताएं कि आप क्या सुनवाई करेंगे? सुनवाई करने का अधिकार हमने दे रखा है, अगर रेवेन्यू सम्बन्धी कोई कानून है तो राजस्व के न्यायालय ठेठ तक बने हुए हैं, अगर क्रिमिनल केसेज हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज कराने के हमारे कानून बने हुए हैं, अगर हमको छात्रवृत्ति चाहिए तो हमारे कानून बने हुए हैं। यह सुनवाई का अधिकार किस चीज का देना चाहती है सरकार, कौनसी ग्रीवेन्सेज का देना चाहती है, स्पष्ट नहीं है और इसका मतलब है कि सारी दुनिया जो नाराज है, सारी जो गलती है इन ब्यूरोक्रेट्स की है। सरकार सारा अपना पाप ब्यूरोक्रेट्स पर डालना चाहती है।

सभापति महोदय, अभी तो थोड़ा-बहुत काम चल रहा है, लोग अपने से मिलने अपने पास आते हैं न, तो हम फोन कर देते हैं कि एस.डी.एम. साहब, कलक्टर साहब, यह आदमी आ रहा है, जरा इसकी सुनना, बात करना, तो काम निकाल देते हैं, कह भी देते हैं। अब जब फोन करेंगे ना तो कि हां साहब, मेरे पास आ गया, अपील मैंने ले ली है, 30 तारीख तय कर दी, 30 तारीख को इसका फैसला होगा। थोड़ा बहुत जो पब्लिक का काम चल रहा है ना, उस पब्लिक के काम को भी आप समाप्त करना चाहते हैं। सभापति महोदय, हमारे पास लोग सुनाने के लिए आते हैं, हम सुनते हैं। रोज सुबह-सुबह जब धारीवाल जी घूम कर आते हैं तो उसी अपनी ड्रेस में ही सुनते हैं। सुनवाई का अधिकार है ना लोगों को, आते हैं ना आपके घर पर आप सुनते हो। (व्यवधान) एक ड्रेस बना देते हैं आपकी सुनवाई की, सुनवाई करते हैं। अब क्या सुनवाई करेंगे? अब यह कानून साठ साल बाद क्यों आ रहा है? इसका मतलब साठ साल में हमारी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

व्यवस्थाएं सारी खराब हो गयीं, हमने आज तक सुना नहीं किसी को। क्या बात है कानून ला रहे हैं। भारत सबसे बड़ा गणतंत्र है और गणतंत्र में विधान सभा और लोक सभा, ये सबसे बड़े सुनवाई के केन्द्र हैं और इनके आधार पर हम जाकर काम करते हैं। अब हमने इन सारी विधान सभाओं के सुनवाई के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।

अनकांस्टिट्यूशनल है यह कानून। लेकिन अब तो शौक हो गया है मुख्य मंत्रीजी को, पिछली बार हमारे मुख्य मंत्रीजी को शौक था कि कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखेंगे, सारे डिपार्टमेंट बांट दिये, क्योंकि उनको सब डिपार्टमेंट की निगरानी करनी थी। इस बार पता नहीं, कौन लगे हैं पास में, इलिट वर्ग के लोग, वे कहते हैं, साहब, सारे कानून आपके पास चाहिए, सारी शक्ति। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश; गृह, वित्त और सामान्य प्रशासन, तीनों केन्द्रित कर लिए। बाकी हेमारामजी बच गये हमारे पास, अब हेमारामजी से हम क्या काम कराएं? वे खड़े होकर कह देंगे, मेरे पास ट्रांसफर की पावर नहीं है।

दूसरा है कानून बनाने का। अब लो कानून, लोक सेवा की गारण्टी और लोक सेवकों की सम्पत्ति जब्त करने का लो और फिर राइट-आफ-हीयरिंग लो। उस लोक सेवा की गारंटी में भी आपने यह लिखा है कि यह दस दिन में काम नहीं करेगा तो इसके ऊपर का अधिकारी करेगा; इसके ऊपर का अधिकारी नहीं करेगा तो उसके ऊपर का अधिकारी करेगा। अब क्या होगा, अब सप्ताह में पांच दिन, आप दफ्तर में जायेंगे, पहला दिन आर टी आई के लिए, भई, हमको सूचनाएं देनी हैं; दूसरे दिन जायेंगे, देखो, भाई, लोक सेवा की गारंटी के लिए, आज तो मैं जो गारंटी है ना, उस पर सुनवाई करूंगा, तीसरे दिन आप जायेंगे तो यह, भई, मेरे सुनवाई-के-अधिकार के लिए है, चौथे दिन आप जायेंगे तो वह कहेगा, मुझे अपीलीय अधिकारी के यहां जाना है, वह पहला आदमी जो फैसला करेगा उसका, फिर अपीलीय अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, तो चौथे दिन वह अपीलीय अधिकारी के पास जाएगा। फिर पांच दिन का सप्ताह, दो दिन की छुट्टी; सरकार का काम, जयसियाराम, यह काम।

तो यह सारा काम। किसके लिए क्या कानून बना रहे हो? यह मजाक क्यों बना रहे हो इन कानूनों का? तो यह कानून इस प्रकार का लाया गया।

अब आप आगे देखिए, इसकी मैं दो-चार बातें बताऊं जिनको आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, साढ़े तीन साल हो गये, चौंसठ साल भी हो गये, साढ़े तीन साल में क्या जन सुनवाई नहीं हुई? यह आप स्वीकार करिए ईमानदारी से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि हमने कोई जन सुनवाई नहीं की। अगर आपने की तो कमी क्या रही? और किसको सुनवाओगे? यह विधेयक नहीं है, सभापति महोदय, यह सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। सरकारी दफ्तर पहले तो चलते थे सरकार के दफ्तरों की तरह से, अब सरकारी दफ्तर चलेंगे कोर्टों की तरह से। सारे सरकारी दफ्तरों को न्यायालय बनाने जा रहे हो। फर्स्ट अपीलीय अधिकारी, सेकण्ड अपीलीय अधिकारी, थर्ड अपीलीय अधिकारी; लोक सेवा गारंटी, द्वितीय लोक सेवा गारंटी, तृतीय लोक सेवा गारंटी; क्या बनाना चाहते हो? वह आज वकील खड़ा करेगा, पैसे लेकर आएगा आपके पास।

आप सामान्य रूप से मुख्य मंत्री के पास जाते वे सुनते; गृह मंत्री के पास जाते, वे सुनते; स्वायत्त शासन मंत्री सुनते; हम लोगों के पास, एम एल एज के पास आते, वे भी सुनते हैं; कलक्टर, एस पी भी सुनने का टाइम तय रखते हैं। किस बात को आप इसको व्यवस्थाबद्ध करना चाहते हैं? कोडिफाई क्या करना चाहते हो आप इसमें? यह कानून हमारी ब्यूरोक्रेसी को एकदम निकम्मा, अकर्मण्य बनाने का कानून है, साथ-साथ उनकी विश्वसनीयता को समाप्त करने का कानून है। हर कानून को आप इस प्रकार बनाना चाहते हो।

जन सुनवाई के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी तीस दिन की अवधि के अन्दर अपील ग्रहण करेगा। आज काम कराना है मुझे, पब्लिक को ग्रिवेन्सेज क्या होती हैं, कौनसी ग्रीवेन्स और किस प्रकार की ग्रीवेन्स? मुझे अगर हार्ट के इलाज के लिए पैसा लेना है और अधिकारियों ने नहीं दिया तो मैं ग्रीवेन्स करके शिकायत करूंगा और तीस दिन बाद सुनेंगे। उसने कहा, नहीं, आपने एक सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए आपका निरस्त किया जाता है। वह दूसरे के पास जाएगा। आज जाते हैं, फोन करते हैं, मुख्य मंत्री के उसको फोन करते हैं, काम होता है; जाकर उनका काम और बंद हो जाएगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकारी सुनवाई करेगा। उसको पुनः निरीक्षण अधिकारी देखेगा, तीसरा देख लेगा। किसी व्यक्ति को सम्मन करना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, यह कोर्ट नहीं तो और क्या है? यह कोर्ट ही बना दिया आपने। एक एस डी एम, एक ए डी एम, एक जे ई एन, एक ए ईएन, एक एक्स ईएन, एक एस ई, सारे के सारे लोग कोर्ट के रूप में बैठ जायेंगे। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए कहा।

मैंने सारा देखा, आजकल क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक जो है, ना वह कई प्रकार के करती रहती है, सुनवाई के अधिकार, कई लोगों ने एन जी ओ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बना रखी है पैसे खाने के लिए, तो कई के पत्र जारी कर सकती है। मैंने पढ़ा रात को सारा, काली की है मैंने, प्राकृतिक न्याय की निष्पक्ष सुनवाई और ये सारे अधिकार मैंने देखे कल कि यह है क्या? ये चोचलेबाजी है, यह उन लोगों की चोचलेबाजी है जो अपना पैसा कमाते हैं; साहब, हम आपको ऐसी ट्रिक बताते हैं कि सारी पिछली बाल गायब; यह कानून ले आओ, जनता मानेगी, वाह, गहलोत साहब, क्या कानून लाए, हमको सुनवाई का अधिकार प्रदान कर दिया, यह अधिकार प्रदान कर दिया। यह इसके अन्दर से निकला है।

यह आजकल वेबसाइट और इंटरनेट और फेसबुक और पास-बुक कई हैं ना, इनमें इस प्रकार के कई सर्च करते रहते हैं, उनके पेपर के आधार पर बना हुआ कानून है यह। कुछ नहीं है यथार्थ इस कानून में।

आगे चलिए, कल्याणकारी और विकास योजनाओं के लिए, आपको पानी का कनेक्शन चाहिए, आपको पाइपलाइन डलवानी है, आपको स्कूल खुलवानी है, आपको सड़क बनवानी है, अपीलीय अधिकारी। किसके पास जायेंगे? उसके विकास का रास्ता बंद कर रहे हैं। सड़क की मांग का जाकर प्रार्थना पत्र दे दिया, तीस दिन बाद आना, तारीख तय कर दी है और तीस दिन बाद कहेगा, इसका राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं है, अतः मैं निरस्त करता हूं। तो जाओ दूसरे अपीलीय अधिकारी के पास, जाओ तीसरे के पास।

फिर आपका यह है ना, एक लाइन यह बहुत खतरनाक है, आप कह रहे हैं कि in addition to all rules, all laws, all revenue laws, all criminal laws and all civil laws, उनके खिलाफ आप बनाने जा रहे हो। यह कल्याणकारी काम कौन करेगा? यह लोकतंत्र है, जन कल्याणकारी सरकार है, सामन्ती सरकार नहीं है; उस प्रकार की सरकार नहीं है कि सामन्ती व्यवस्था में आप जकड़ रहे हो, सामन्ती व्यवस्था का घटक है यह लोगों को परेशान करने का। तो यह आप लोक कल्याणकारी काम, किसको करेंगे? न्यायालय करेगा या सरकार करेगी लोक कल्याणकारी काम? न्यायालय भी क्या करती है, सभापति महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है, आम आदमी को तो उसी तरह पजाया जा रहा है, आज भी जो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी रिपोर्ट आयी हुई है, वे क्या करते है, भारत वर्ष के सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केवल एक परसेंट लोगों की सुनवाई करते हैं। सारा ढांचा यह है ना, एक परसेंट के लिए बना हुआ है; 99 परसेंट लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जाते हैं। हमारी रिजर्व बैंक भी किनके लिए काम करती है, हमारे बैंक और हमारा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मानिटरिंग सिस्टम भी अमीरों के लिए काम करते हैं क्योंकि भारत में जो नोट छपते हैं ना, वे 85 परसेंट नोट 500 से ऊपर वाले हैं। अब किसी के ब्याह शादी में जाते हैं तो 101 रुपये देने का काम अपन करते हैं लेकिन 500 से ऊपर के नोट 85 परसेंट छपते हैं; 500 से नीचे वाले 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, तो पन्द्रह परसेंट ही छपते हैं। तो 95 परसेंट पब्लिक जो है उसके लिए पन्द्रह परसेंट मानिटरिंग सिस्टम है और बाकी के लिए आपका वह सिस्टम है। इसी प्रकार से वह सारा पैसा ही ब्लैक मनी में जाता है क्योंकि वैसे तो सौ-सौ के नोटों का तो भरें तो ट्रक भरें, तो ट्रक भरकर जा नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, उसमें कोटा फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी ले लेंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यह सारा सिस्टम हमारा उनके लिए है।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, यह अधिकार नहीं चलेगा, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा; इसमें बिचौलिये पनपेंगे; लोकतन्त्र के अन्तर्गत जनता को स्वतः मिले हुए अधिकार इस कानून से समाप्त हो जायेंगे, जो स्वाभाविक रूप से मिले हुए हैं उनको आप समाप्त कर रहे हो।

मेरा जरा सवाल है कि इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? किसने दिये ज्ञापन आपको? कौन लोग आए आपके पास? पहले कहा था ना कि हमने वेबसाइट पर डाल दिया है, यह कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें कौन आएं आपके पास? कौनसा वर्ग आया आपके पास कि हमको सुनवाई का अधिकार चाहिये? उस गरीब आदमी के पास तो कहां टाइम पड़ा है, यह ज्ञापन देने का आपको? तो किसे आधार बनाया व्हिम्स का? तो व्हिम्स के आधार पर कानून नहीं बनने देंगे। यह व्हिम्स के आधार पर कानून बन रहा है। कागजी कार्यवाही होगी। इस कागजी कार्यवाही में सारा काम लालफीताशाही में दबा पड़ा है और आप यह कागजी कार्यवाही क्यों करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बिल का आखिर आधार क्या है? आप बता दें कि यह वर्ग बहुत पीड़ित है, उनकी किसी भी जगह, न कोर्ट में सुनवाई होती, न पुलिस में सुनवाई होती, न इनकी न्यायालय में सुनवाई होती, न इनकी पी एच ई डी का एक्स ईएन सुनता, न एस ई सुनता, न मंत्री सुनता, न एम एल ए सुनता; ये लोग ऐसे हैं जिनकी कोई सुनता ही नहीं है, इसलिये इन लोगों के सुनने के लिये यह अधिकार कायम कर दिया। वह अधिकार कोई नहीं है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, कितना दबाव डालेंगे? क्या काम करायेंगे हम? सारा बोझ कानून के दायरे में अगर हम ब्यूरोक्रेसी पर डालते जायेंगे, नौकरशाही पर डालते जायेंगे तो वह उसमें ही उलझे रहेंगे कि आपका काम करेंगे?

कितने आयोग बना दिये हमने। हमने मानवाधिकार आयोग बना दिया, वह भी सुनवाई नहीं कर सका, हमने महिला आयोग बना दिया, वह भी सुनवाई नहीं कर सका; हमने अनुसूचित जाति आयोग बना दिया, वह भी सुनवाई नहीं कर सका; हमने जनजाति का आयोग बना दिया, वह भी सुनवाई नहीं कर सका; हमने फिर लोक सेवा की गारण्टी का अधिनियम बना दिया, वह भी सुनवाई नहीं कर सका। हमने सारे कानून, संविधान बना दिये, वे भी सुनवाई नहीं कर सकें तो फिर यह पिद्दी कानून क्या करेगा? यह पिद्दी कानून क्या करेगा? इसका मतलब, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गयीं।

हम कानून बनाने की बात पर विचार करें। सदन कानून बनाने के लिये है, यह विधायिका है, यह कानून बनाने के लिये विधायिका बनी है। हमको यह फैसला करना पड़ेगा कि कौनसे हैं? मैं कह रहा हूं कि सारा काम अगर आपने फार्मल कर दिया, इनफार्मल काम रहा ही नहीं। मंत्रीजी, बड़ी मुश्किल हो जायेगी। हम कई बार कहते हैं, फोन करते हैं, आपको भी कहते हैं, गरीब आदमी है, इसके पास पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे भी नहीं हैं, डाक्टर साहब, आप कहीं व्यवस्था कर देना, या करा देना। फ्री में एक्सरे करा देता है, और करा देता है, सब कुछ कर देते हैं, काम हो जाता है, चल जाता है काम कहीं न कहीं से। सारा अगर फार्मेलिटी में डाल दिया, तो यह मुंह देखकर जो काम कर देते हैं ना, या आपके फोन सुनकर जो काम कर देते हैं, इस फार्मेलिटी के बाद में वे सारे काम भी आपके बन्द हो जायेंगे। किसी प्रकार का काम नहीं आयेगा, कोर्ट की तरह होगी, ऐसी सुनवाई होगी जैसे सुनवाई करने वाले ने कोई अपराध कर दिया। कोई आपसे कोई चीज मांगने आयेगा, प्यारेलाल एप्लिकेशन लगा दे और इस तारीख को आना, 25 तारीख को आना, अब 30 तारीख को आना। शाबास, ऐसा करके यह एक नयी परिभाषा है, साहब, गहलोत साहब की सरकार की और मैं समझता हूं कि लोक कल्याणकारी सरकार के लिये बिलकुल ठीक नहीं है। हमारे यहां सारी लोक अवधारणाओं को यह समाप्त करता है।

हमारे यहां बहुत पहले से हमारे पंच परमेश्वर की बात मानी जाती थी। पंचायती करते थे, बात होती थी। लोकतन्त्र में हम आ गये। उन सारी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बातों को भी छोड़ दिया। अब जन-प्रतिनिधियों को भी कोई नहीं सुनेगा। यह कानून जन-प्रतिनिधियों के भी खिलाफ है। हम रोज रिकमण्ड करते रहते हैं, रोज फोन करते रहते हैं, यह काम करना है, साहब। यह काम करना है, साहब। अब तो जवाब एक ही मिलेगा कलक्टर साहब का और एस डी एम साहब का कि आपका फोन आ गया, वह आदमी मुझसे मिल गया है, मैंने उससे कहा, एप्लिकेशन दे दो, मैंने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। उस सुनवाई की तारीख पर वे गायब रहेंगे, आपके मंत्रीजी मीटिंग बुला लेंगे तो वहां चले जायेंगे। जो कुछ काम होना था वह सारा होगा।

इसलिये मैं सोचता हूं कि यह कानून एक ऐसी मानसिकता का परिचायक है जो अपनी विफलता को स्वीकार नहीं करता है। विफलता कानून के द्वारा पूरी नहीं हो सकती। लोकतन्त्र में हमारी सबकी, पक्ष-विपक्ष की जो जिम्मेदारी है कि आम आदमी के ग्रीवेंसेज का हम समापन कर सकें, उनको लाभ पहुंचा सकें, वह कानून के द्वारा दूर नहीं होगा, वह राज के भय से दूर होगा। राज का तो भय ही समाप्त हो गया। सारी व्यवस्था को हम फार्मल करके भ्रष्टाचार के कंधे में डाल देंगे और कानूनों की, एक के बाद एक जितने स्टेट्यूट बुक पर कानून होंगे उतनी ही प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो गयी।

इसलिये मैं कहता हूं, मंत्रीजी, आप समझदार हैं, आप इसको पायलट कर रहे हो, मुझे पता है और आपको पायलट करना पड़ेगा। आपका मन भी नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आप पर है, मूली खाएं न मूली की फांस, पर काम तो आपको करना पड़ेगा और कर रहे हो आप मजबूरी में। मैं तो नहीं कह रहा, आपका काम, लेकिन आप देखो। आप देख सकते हैं और आप लिख सकते हैं मुख्य मंत्रीजी को कि इसमें फाइनेंशल मेमोरेंडम नहीं इसमें राज्यपाल की स्वीकृति नहीं, और जिस कानून में ये दोनों काम नहीं हो, एक बार आपके हाथ से गलत काम हो गया, भविष्य की परिपाटी पड़ जायेगी। यह कानून आज ही पारित करने से एकदम से सारे अधिकार प्राप्त होकर लोग जय, जय, जय कर देंगे, राम राज्य स्थापित हो जायेगा, वह भी नहीं होगा।

इसलिये इन दोनों-तीनों बातों को देखते हुए कि इससे ब्यूरोक्रेसी पर अविश्वास होगा, इससे ब्यूरोक्रेसी फार्मल हो जायेगी, इस कानून से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप जनमत जानने के लिये भेज दें। जनमत के लिये नहीं भेजें तो इसको आप स्वयं प्रस्ताव कर दें कि सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और सलेक्ट में, आप स्वयं कह रहे हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदन में आप छूट दे सकते हैं और सलेक्ट कमेटी में बैठकर हम इन बातों का विचार कर सकते हैं, इसलिये मैं चाहूंगा, मैंने जो संशोधन दिया है वह इस बात के लिये नहीं दिया है केवल मैं बोलूं, इसलिये नहीं दिया है कि बोलने की बात कहूं, मैंने इसलिये दिया है कि मैंने इसको पूरा पढ़ा, देखा, समझा, यह विसंगतियां भी पैदा करेगा।

फिर इसमें यह जो एक बात कहीं है, वह बात बहुत खराब है, यह जो अपीलीय अधिकार है यह किसी न्यायालय की सीमा में नहीं जायेंगे। अपन रोक सकते नहीं हैं, जाते हैं। अपन ने कई कानून बना दिये कि हम नाइंथ शिड्यूल में डाल देंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया कि नहीं, अब नाइंथ शिड्यूल भी हमारे विवेकाधीन है। कौनसी चीज नाइंथ शिड्यूल में जायेगी, नहीं जायेगी, इसका हम नहीं कर सकते।

पहले हमने कानून यहां बना दिया था, फिर दल-बदल वाला जो काम है वह अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा, हम नहीं मानेंगे। अध्यक्षों ने फैसले नहीं किये और अब कोर्ट उनका फैसला करने लग गयी और हम मानने लग गये। हमने कई बार यह फैसला किया कि हमारी जो कार्यवाही है वह स्वयं देखो, दूसरा कोई देखेगा नहीं। झारखंड की विधान सभा में अध्यक्ष ने ऐसा ही काम किया और कार्यवाही को मानिटर करने के लिये राज्यपाल ने दो आदमी भेज दिये और सदन की स्वायत्ता खतम कर दी।

हम इसी प्रकार की अगर व्यवस्थाएं देकर आसन से और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते रहे, तो ये प्रावधानों को लेकर कोई न कोई दिन लोग फिर कोर्ट में जायेंगे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, फिर इन उल्लंघनों के आधार पर फिर कोई न कोई कानून बन जायेगा। इसमें आसन की गरिमा भी गिरेगी और सदन की गरिमा भी गिरेगी।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह कानून इस समय न तो सदन में विचार करने लायक है, न कानून इसके योग्य है। अतः माननीय मंत्री महोदय से पुनः मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस कानून को या तो जनमत जानने के लिये भेज दें, अन्यथा इसकी वास्तव में ही जरूरत है जन सुनवाई की, तो आप सलेक्ट कमेटी के लिये प्रस्ताव लेकर आ जाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। हम जन ग्रीवेंसेज को दूर करने के लिये, जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार जो कदम उठायेगी, उसमें हम सहयोग देंगे। लेकिन इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कानून के द्वारा अगर इसको समाप्त करने का विचार हो, तो उसके हम साथ नहीं हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जनमत के लिये?

श्री सभापति: बोलना चाह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोल नहीं सकते, थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे। थर्ड में बोलेंगे।

श्री सभापति: विराज जाइये, माननीय सदस्य।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, यह कानून लाया जा रहा है, क्या हम यह महसूस नहीं करते कि लोगों की शिकायतों पर वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाता है? क्या हम यह महसूस नहीं करते कि उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये और उसकी कमी है? क्या हम यह महसूस नहीं करते कि जिस वक्त उसको न्याय मिलना चाहिए, वह न्याय वह नहीं प्राप्त कर पाता? जन-प्रतिनिधि को छोड़िये, अगर अधिकारीगण जिनको कि इसी बात के लिए अधिकार दिये गये हैं, या जिनको कि इसी बात के लिए पद पर बिठाया गया है, अगर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे? या जो कुछ व्यवस्थाएं आज व्याप्त हैं, वह क्या सफिशिएंट हैं? उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? अगर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई कानून लाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन, सभापति महोदय, जब यह देखा गया कि चारों तरफ इस प्रकार की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और उन शिकायतों को वक्त पर नहीं निपटाया जाता और अधिकारियों के द्वारा बाकायदा टाला जाता है, आपने अपने भाषण में अधिकारियों की वकालत तो की, लेकिन क्या आप मन से, अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि जिस अधिकारी को जिस वक्त पर जो काम करना चाहिए था और जिस वक्त पर राहत देनी चाहिए थी उस शिकायत कर्ता को, क्या वह दे पाता है? अगर वह नहीं दे पाता है तो क्या करेगी सरकार? अगर इस प्रकार का कानून नहीं लाकर के उनको बाध्य नहीं करेगी तो फिर क्या होगा?

सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि लोगों की शिकायतों

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

को और उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक, संवेदनशीलता के साथ अगर नहीं सुना गया तो, मैं फिर भी आपसे यह निवेदन करता हूं कि जहां-जहां पर भी इस प्रकार की उचित सुनवाई होती है, उचित तरीके से उस शिकायत कर्ता को राहत दी जाती है, वहां पर ऊर्जा की भी बचत होती है और व्यय की भी बचत होती है। इन बातों को देखते हुए नागरिकों की शिकायतों को प्रभावी रूप से, समयबद्ध तरीके से और निकटतम स्थान पर, ऐसे सुनिश्चित स्थान पर जहां पर कि उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो पहुंचने में और उसकी शिकायत पर अविलम्ब काम हो, समय सीमा के अन्दर-अन्दर काम हो, जिस निष्क्रियता के कारण वह दर-दर घूम रहा है, अगर वक्त पर उसको राहत दे दी जाये तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का कानून लाने की बहुत आवश्यकता है। लोक सुनवाई अधिकारियों पर शास्ति भी आरोपित की गयी है जिसका कि इसमें प्रावधान किया गया है।

आपने जो बात कही फाइनेंशल इम्प्लीकेशंस की और फाइनेंशल स्टेटमेंट की, मेमोरेंडम की, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जे डी ए को देखा होगा, वहां नागरिक सुविधा केन्द्र बना हुआ है। कोई अलग से खर्चा नहीं हुआ। आपके इसी तरह से हेल्प डेस्क भी बनी हुई है हर विभाग में। जहां-जहां पर ये हेल्प डेस्कें नहीं हैं, जहां-जहां पर जिन विभागों में ये काल सेंटर्स नहीं हैं, ग्राहक सेवा केन्द्र नहीं हैं, सुगम केन्द्र नहीं हैं, वहीं पर ही ये खोले जायेंगे। इसमें फाइनेंशल इंट्रोडक्शन की कहां आवश्यकता पड़ रही है। वही कर्मचारी, वही अधिकारी, वहीं काम करेंगे, उनको ही अलग से यह काम दे दिया जायेगा। इसमें कहां आवश्यकता पड़ रही है?

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ, जैसा कटारिया साहब ने फरमाया, सेक्शन 3, राज्य सरकार समय-समय पर लोक सुनवाई अधिकारी प्रथम, अपील अधिकारी द्वितीय, अपील अधिकारी और पुनर्निरीक्षण अधिकारी नियत समय सीमा को अधिसूचित करेगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हर चीज एक्ट में नहीं लिखी जाती है, उसके रूल्स बनते हैं। ये सब चीजें रूल्स में आयेंगी। क्या तो समय सीमा होगी, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से उसका निर्धारण होगा, ये सब चीजे प्रेस्क्राइब्ड हैं, ये एक्ट में नहीं देकर के वहीं दी जायेंगी। क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशंस भी इन रूल्स में आयेंगी, एक्ट में देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अपील अधिकारी की क्या क्वालिफिकेशन होगी, सैकण्ड अपील अधिकारी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

की क्या क्वालिफिकेशन होगी, हम सिर्फ इन एक्ट के प्रावधानों को देखकर के किसी भी प्रकार का संशय पैदा करें, मैं यह समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है, सेक्शन 7 का सब-सेक्शन (3) देखें आप, यदि कोई लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी युक्तियुक्त कारणों के बिना अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं करता तो सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अलग से की जा सकती है उसके विरुद्ध। सिविल कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन जो बार किया गया है, यह आप अच्छी तरह से समझते हैं कि यह क्यों किया गया है। अगर यह हर चीज कोर्ट में पहुंचने लग गयी तो क्या न्याय मिलने वाला है उसको? क्या उसकी सुनवाई होने वाली है?

सभापति महोदय, अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखिये, हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, हमारे पास रोज लोग सैकड़ों की तादाद में शिकायतें लेकर के आते हैं। यह एक अलग बात है, जैसा आपने कहा कि कोई आये और कहे कि यह सड़क बनाओ, उस पर फैसला नहीं हुआ, यह नहीं हुआ। यह इस प्रकार का नहीं है, इसमें नहीं है यह, यह दूसरा है। इसमें साफ-साफ यही है कि किसी परिवाद के फाइल होने पर लोक सुनवाई अधिकारी नियत समय पर करेंगे वाद का निस्तारण...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोक कल्याणकारी कार्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, लोक कल्याणकारी काम। लोक कल्याणकारी के साथ-साथ, परिवाद की व्याख्या की गयी है इसमें, सेक्शन 2 के सब सेक्शन (ए) में परिवाद की व्याख्या की गयी है कि परिवाद क्या होगा। मोटे तौर पर परिवाद के बाबत बताया है कि चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केन्द्र सरकार के द्वारा चलायी गयी किसी भी नीति या कार्यक्रम का हो, अगर वह नीति और कार्यक्रम के अंतर्गत या योजना में कोई फायदा या रिलीफ चाहता है और उसमें उसको विफलता मिलती है या देरी होने की संभावना होती है, तो फिर वह परिवाद माना जायेगा। परिवाद का मतलब यह नहीं है कि मैं यहां से सड़क बनवाना चाहता हूं या यह कराना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोक कल्याणकारी कार्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लोक कल्याणकारी नहीं, नीति के अंतर्गत। किसी नीति, कार्यक्रम या योजना के सम्बन्ध में कोई फायदा या रिलीफ चाहता हो। व्यक्तिगत फायदा या रिलीफ चाहने का मतलब यह नहीं है कि मैं पूरे शहर के लिए यह फायदा चाहता हूं कि हवामहल से लेकर के और ठेठ आमेर तक की सड़क बना दी जाये, यह फायदा नहीं हुआ। फायदे का मतलब यह है कि अगर मैं, मेरे मकान के बाहर ही यह देख रहा हूं कि नाली रुकी हुई है या मान लीजिये कि कोई पटान टूटा हुआ है तो वह व्यक्तिगत मेरा फायदा है, व्यक्तिगत ही मैं उससे परेशान हूं। उस फायदे को लेने के लिए मैं आपके पास दरख्वास्त लेकर के आ रहा हूं। वह कैसे आयेगा?

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि, सुनवाई का अधिकार, चार तरह की बात है, सुनवाई अधिकारी करेगा, प्रथम अपील अधिकारी अलग होगा, द्वितीय अपील अधिकारी अलग होगा और फिर रिविजन अथोरिटी अलग होगी। परिवादों के निस्तारण की समय सीमा भी रूल्स में प्रेस्क्राइब की जायेगी कि कितनी समय सीमा के अन्दर-अन्दर उसको फैसला देना है, कितनी समय सीमा में उसको अपील पर फैसला देना है, कितनी सीमा के अन्दर द्वितीय अपील अधिकारी उस पर अपना निर्णय सुनायेगा। परिवाद के फाइल होने पर, लोक सुनवाई तक, आपने एक सवाल यह उठाया कि कौनसी तारीख से क्या होगा? परिवाद के फाइल होने पर लोक सुनवाई अधिकारी नियत समय में परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और वाद का निस्तारण भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर करेगा। समय सीमा कहां से चालू होगी, समय सीमा वाद के दाखिल होने पर, वहां से शुरू होगी, उस तिथि से शुरू होगी जब वह वाद दाखिल करेगा। अगर परिवाद मैं दाखिल करता हूं 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से उसकी सीमा लागू होगी।

सभापति महोदय, ठीक इसी तरीके से, जैसा अभी बताया कि सूचना सुगम केन्द्रों की स्थापना, ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर्स, जन सहायता केन्द्रों की स्थापना, वगैरह-वगैरह होगी। व्यक्ति को नियत सीमा के अन्दर-अन्दर सुनवाई का अवसर अगर नहीं मिलता है, तो 30 दिन के अन्दर-अन्दर, 30 दिन का टाइम भी इसमें दिया गया है, 30 दिन के अन्दर-अन्दर प्रथम अपील अधिकारी के पास में वह अपील पेश कर सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी को 30 दिन का फिर टाइम दिया गया है, द्वितीय अपील अधिकारी भी 30 दिन के अन्दर-अन्दर उसका फैसला देगा। अपील अधिकारी को सी आर पी सी के तत्सम्बन्धी सारे अधिकार दिये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अधिकार दिये गये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बिलकुल दिये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोर्ट हो गयी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, हो गयी। वह इसलिए हो गयी कि अगर इन चीजों का फैसला वहां पर नहीं हुआ और अदालतों में लटका दिया गया तो हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में केसेज कोर्टों में पेंडिंग के पेंडिंग पड़े रहेंगे और उन पर कभी फैसला नहीं हो पायेगा, उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। इन चीजों को यह ना समझा जाये कि हम कोई न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं या न्यायालयों के अधिकारियों को किसी प्रकार से कर्टेल कर रहे हैं, यह नहीं समझा जाये। हमारा जो परपज है, हमारा जो मंतव्य है, वह मंतव्य मोटा-मोटा यह है कि शिकायतकर्ता जो परिवाद लेकर आया है, उसको वक्त के अन्दर-अन्दर सुनवाई होकर के उस पर फैसला हो जाये। उद्देश्य यह है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके से रिविजनल अथारिटी का है, रिविजनल अथारिटी को 60 डेज का टाइम दिया गया है। और जुर्माना, आपको बताया 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का और वह भी उसके वेतन से कटेगा। अगर अधिकारी की किसी प्रकार की अवमानना देखी गई या बदनीयती देखी गयी या जानकर उसने डिले किया है रिलीफ देने में, जो वाजिब रिलीफ थी वह उसको नहीं दी गई तो उसके वेतन से ही, 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का उसका वेतन कटेगा। इसके साथ-साथ यह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, गुड फेथ में, उसमें प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अगर सद् भावना में कोई अधिकारी काम करता है और सद् भावना देखी जाती है तो उसको सूट प्रोसीक्यूशन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी, उनको वह प्रोटेक्शन भी दिया गया है। जो अधिकारी ईमानदारी के साथ, अपनी लगन के साथ जिस प्रकार का काम करना चाहता है, तो उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

ठीक इसी तरह से, सिविल, यह मैंने आपको बता ही दिया, बार जूरिस्डिक्शन, कोर्ट का जूरिस्डिक्शन है। अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये ये सब बातें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

मैं यह समझता हूं कि यह जो एक्ट लाया जा रहा है, इसको यह न समझें कि आज तक सुनवाई होती ही नहीं थी। सरकार किसी की भी रही हो,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सरकार जनता के विश्वास पर बनाई जाती है और जनता अपने चहेतों को, जिनको यह समझ कर चलती है कि ये लोग हमें रिलीफ देंगे, उन्हीं को चुनकर भेजती है और उन्हीं के हाथ में राज सौंपती है। इसलिए मैं कभी यह नहीं कहता कि जन-प्रतिनिधियों के द्वारा जन सुनवाई नहीं होती है, लेकिन हम ही जन-प्रतिनिधि हजारों की तादाद में रोज इस बात के लिये शिकायत सुनते रहते हैं कि फलाने अधिकारी के पास हम लोग गये, लेकिन फलाने अधिकारी ने हमारी यह सुनवाई नहीं की और यह काम नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर ब्यूरोक्रेसी को एक समय सीमा के अन्दर-अन्दर काम निपटाने के लिए बांधना, मैं यह समझता हूं कि यह किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं है। अगर इस कानून को नहीं लाया गया, और बेलगाम कर दिया गया ब्यूरोक्रेसी को, तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि धक्के दे-देकर, जो परिवाद लेकर ब्यूरोक्रेट के पास जायेगा उसको धक्के दे-देकर बाहर निकाल दिया जायेगा, क्योंकि उसकी नौकरी 32 साल, 33 साल की है, वह 5 साल के लिये नहीं चुना जाता है। हमको इस बात को भी देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जन मत जानने के लिये जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है, उस पर आप हां-ना का...

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 13 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13 स्वीकार किये जायें?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें? (व्यवधान) आप बोलेंगे? (व्यवधान) श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, पहले इनको प्रस्ताव रखने दो, फिर बोलेंगे। सीखो कुछ।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पारित किया जाये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खड़े हो जाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हां, अब बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नहीं, नहीं, यह नहीं होगा। अभी तो जो बोलना चाहें, वे बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी बोलना चाह रहे हैं क्या? आप अभी कह रहे थे उनके लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, नियम है, थर्ड रीडिंग है, जब माननीय मंत्रीजी यह प्रस्ताव करते हैं कि इसको पारित किया जाये तो पक्ष, प्रतिपक्ष, दोनों में से जो भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें, अपने विचार रख सकते हैं।

श्री सभापति: किसी ने कहा ही नहीं। प्रतापसिंह खाचरियावास का नाम लिया, वे बैठ गये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं बोल रहा हूं न।

श्री सभापति: श्री मोहन लालजी गुप्ता। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मंत्रीजी बोल लें, उसके बाद ही मुझे बोलना है।

श्री सभापति : आपने कहा था न कि हो जाने दो पारित, तो फिर?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो मैं तो खड़ा हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: अब आप विराजो। (व्यवधान) पहले आप विराजो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने मेरा नाम लिया है पहले।

श्री सभापति: पहले मैं इनका नाम पुकार चुका हूं, इनको बोलने दो, फिर आप भी बोल लेना।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह गये।

श्री सभापति: आप भी बोल लेना, आपको भी अनुमति दूंगा मैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान की सरकार लाई है। जब अधिकार देने की बात आई तो लोक सेवा गारण्टी कानून लेकर आई सरकार; यही नहीं सरकार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 भी लेकर आई है। सरकार ने अपने आप को कानून में, सरकार के लेकर आई, चीफ मिनिस्टर को लेकर आई, मंत्री, एम एल ए, सब लोक सेवकों पर, सबका कानून के प्रति बंधन है। इसी तरह से सुनवाई का अधिकार भी आम आदमी को दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, सुनवाई दो प्रकार की होती है। एक आदमी वह है जिसकी न घर में सुनवाई होती है, न आफिस में सुनवाई होती है और मंदिर में सुनवाई होती है। एक आदमी वह है जिसकी घर में भी सुनवाई हो रही है, आफिस में भी सुनवाई हो रही है और मंदिर में भी सुनवाई हो रही है। ऐसे में सरकार ने उस आदमी की चिंता की जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।

जहां तक अधिकारियों का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, यह बात हमें जरूर देखने की है कि अब सरकार, विधायिका, विधायिका के मंत्री खुद यह मानते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हुआ?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): बैनर, वगैरह माननीय सदस्य सदन के अन्दर लेकर आये हैं। इस सदन की गरिमा के विरुद्ध है। आप माननीय सदस्य को इस तरह की परमिशन दे रहे हैं, यह गलत है, सदन की परम्पराओं के विरुद्ध है। माननीय सदस्य जो भी बैनर लेकर पधारे हैं, वह बिलकुल सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): किसानों का पानी जो लिया जा रहा है...

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): बोलने का अधिकार हर माननीय सदस्य को है। परन्तु इस तरह की जो अव्यावहारिकता है...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): किसानों के बारे में और क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हो, आप ही अगर प्रोत्साहन देते हो, यह सदन के नियमों, परम्पराओं और गरिमा के विरुद्ध है। माननीय सदस्य, मैं आपका सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सरकार ध्यान ही नहीं दे, सरकार गूंगी-बहरी हो गई तो माननीय सदस्य के पास इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। (व्यवधान) जब सरकार गूंगी हो गई हो, बहरी हो गई हो, संवेदनहीन हो गई हो, सरकार माननीय सदस्य की सुनती नहीं, तो माननीय सदस्य को तरीका बतायें कि क्या करें?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है। (व्यवधान) आपको बोलने का अधिकार है, सदन में बोल सकते हो, बोलने के अधिकार के साथ में इस तरीके से बैनर लाते हैं, यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मतलब सरकार सुनती ही नहीं हो, सरकार को सुनाई नहीं देता हो, सरकार संवेदनहीन हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप तो विराजो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब किसान मर रहे हैं, किसानों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो माननीय सदस्य और क्या करें? माननीय सदस्य किसान हैं, किसानों के लिये माननीय सदस्य कुछ भी कर सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो आप यह बैनर पहनकर पधारे हैं सदन में, आप बाहर पधार कर, यह खोलकर फिर पधारें सदन में। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पहनना तो गुनाह नहीं है, भारत माता का...

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: यह तो आप वरिष्ठ सदस्य हो, क्या यह उपयुक्त है? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: मैं किसी माननीय सदस्य को अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सदन से बाहर पधारें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फूलचन्द जी भिण्डा, आप बाहर पधारें। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य, आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए। आसन पांवों पर है, विराजो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: फूलचन्द जी भिण्डा साहब, मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। आप सदन से बाहर चले जाएं, यह अंतिम चेतावनी है आपको।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। आप विराजिए।

(माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द भिण्डा सदन से बाहर गये)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं आज आपको बधाई देता हूं, जो आज आपने हिम्मत दिखाकर, आज मैंने देखा कि सभापति महोदय भी डांट लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा।

सभापति महोदय, राइट-टू-हीयरिंग बिल सरकार लेकर आई और मैं आज इस चर्चा में एक बात जरूर कहूंगा, बिल पास भी होगा, इस बिल से आम आदमी को अधिकार मिलेगा, आम आदमी जो सुनवाई के लिए किसी भी दफ्तर में जाता है, काम की उम्मीद लेकर जाता है, न्याय की उम्मीद लेकर जाता है और यह तय करके जाता है कि मुझे मेरी तकलीफ दूर करने के लिए मैं जिस अधिकारी के पास जाऊंगा, कर्मचारी के पास जाऊंगा, वह मेरे साथ न्याय करेगा, मेरा काम हो सकेगा लेकिन जिस व्यक्ति की कहीं भी सुनवाई नहीं होती, जिसकी अप्रोच नहीं होगी, उसको जब कानून में अधिकार मिलता है तो, उस कानून को समझने में समय लग सकता है लेकिन जब वह कानून को समझता है तो अधिकारी और कर्मचारी उसका काम भी करते हैं, कानून के दायरे में आकर वे डरते भी हैं।

आज मुझे एक बात अच्छी लगी कि खुद मंत्रीजी ने यह माना कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के लिए अब हमें ये कानून लाने पड़ रहे हैं। आपकी मंशा अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है लेकिन अब हमको एक बात तय कर लेनी चाहिए, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जब खुद मंत्री ही यह मान लें सदन में कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के लिए हम यह बिल ला रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इतना बढ़िया बजट लेकर आए हैं, हमारी योजनाएं अच्छी हैं और अब हम अधिकारियों और कर्मचारियों पर कंट्रोल करने के लिए बिल लेकर आए हैं और हम खुद यह मानते हैं कि हम यह बिल लेकर आए हैं तो ऐसे में, कानून लेकर आए हैं ...(व्यवधान) तो ऐसे में ...(व्यवधान) अब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बाद में बता देना, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझे पता है। ऐसे में, मैं यह कहूंगा, सभापति महोदय, जब विधायिका में यह चर्चा हो रही हो और इस सीरियस राइट-टू-हीयरिंग एक्ट की जब बात हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मंशा सरकार की अच्छी है, सरकार जनता को न्याय देना चाहती है। आम आदमी जब अख़बार में पढ़ता है दूसरे दिन, तो उसको लगता है कि मुझे अधिकार मिला और इस अधिकार का मुझे फायदा मिलेगा।

हमको एक बात तय कर लेनी चाहिए, सभापति महोदय, हम राइट-टू-हीयरिंग लेकर आए हैं तो इसका प्रचार-प्रसार इतना जबरदस्त होना चाहिए लोगों में, हमेशा अखबारों में विज्ञापन हों, टीवी पर और हर आफिस के बाहर आप प्रावधान कीजिए जो अधिकारी राइट-टू-हीयरिंग, लोक सेवा गारंटी और बाकी जितने भी एक्ट हैं, उनको यदि जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करता है, बोर्ड लगाकर, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अधिकारी यह समझ ले कि लोक सेवा गारंटी बिल आ गया, विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 आ गया, राइट-टू-हीयरिंग लेकर आ गये। इससे क्या हो जाएगा? हम तो जैसे हैं, वैसे ही चलेंगे। यह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि विधायिका की मंशा साफ है, आम आदमी को न्याय मिले, उसकी सुनवाई हो, ऐसी सोच इस सरकार की है और वह सोच सरकार कामयाब भी करना चाहती है, मेसेज लोगों में जा भी रहा है लेकिन इसका मखौल नहीं बने, लोग इसको मजाक में नहीं लें, अधिकारी और कर्मचारी, इसमें सीरियसनेस आनी चाहिए, यह सिर्फ इसलिए एक्ट नहीं होना चाहिए कि राइट-टू-हीयरिंग हम लेकर आ गये। ठीक है, उधर से बुराई हो गई लेकिन यह इस सदन की मोरल ड्यूटी है। इस सदन में राइट-टू-हीयरिंग पास हो जाए, लागू हो जाए, लागू होने के बाद उसके रिजल्ट लाना भी विधायिका की ड्यूटी है, इस सदन की ड्यूटी है। यदि हम उसके रिजल्ट नहीं ला सकते तो कल इस डेमोक्रेसी में जो हम लोग बिल लेकर आ रहे हैं, हम जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, लोग यह कहेंगे कि विधायिका लाती है, मेसेज अच्छा देती है लेकिन जब कार्यवाही की बारी आती है तो पीछे हट जाती है हमारी मंशा साफ है, मैं मान रहा हूं कि मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत और गहलोत सरकार की मंशा है, लोगों में यह चर्चा है, आप ले आए, आप लेकर आ गये, क्या लोक सेवा गारंटी के आज तक एक भी बोर्ड हमने लगा दिये? हम लेकर आए हैं, अभी लाए हैं यह बिल, अभी कोई जरूरी नहीं है लेकिन हम टाइम बाउण्ड करें कि हां, इतने अखबारों में हमने विज्ञापन

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

दिये, लोग अख़बार पढ़ते हैं, लोग टीवी देखते हैं, लोग रेडियो सुनते हैं, बार-बार प्रचार हो।

राइट-टू-इंफोर्मेशन, फायदा हुआ; राइट-टू-एजुकेशन, इतना बड़ा फायदा हुआ। लोग आज प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी को, पूरी यू पी ए गवर्नमेंट को बधाई देते हैं। आप सेंट जेवियर के बाहर जाओ, आपको पोंछा लगाने वाली बाई खड़ी हुई मिलेगी; उसका बच्चा यूनिफार्म पहन कर आ रहा है, उसकी आंखों में आप चमक देखो। आप बड़े पब्लिक स्कूलों में जाओ, आप खुद मानोगे। सब जगह राइट-टू-एजुकेशन का अधिकार मिला, ऐसा नहीं है, लागू हो गया, स्कूलों में स्वीकार कर दिया, गवर्नमेंट एडामेंट हो गई, यह बड़ा धर्म का काम हुआ। आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून आया, लोगों को अधिकार मिला; शाम को जिसको रोटी नहीं मिलती थी, उसकी रोटी की व्यवस्था हो गई।

हम यह कहकर राइट-टू-हीयरिंग को नहीं उड़ा सकते कि इससे वह जो काम करने वाला है, उसको हम रोक रहे हैं; उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी देकर यह सरकार कह रही है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, काम करना पड़ेगा। इसमें सरकार को मन बनाकर रखना चाहिए कि कोई विपक्ष के अच्छे सुझाव आए हैं तो, सभापति महोदय, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आज नहीं तो कल, हमें ये सुधार भी करने चाहिए। कई बार होता क्या है, मंशा लीडर की बहुत अच्छी होती है, लीडर का डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, लीडर कहता है, इसमें मेरी स्टेट का भला होना चाहिए, मेरे आम आदमी को अधिकार मिलना चाहिए लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी उसको तैयार करके लाती है तो घुमाना और फिराना तो उनको आता ही है। वह घुमा- फिरा कर एंड में कोई रास्ता ऐसा निकाल कर लाते हैं। मैंने देखा, एक जगह सब दे रखा है, रोड का सब कुछ दे रखा है, 24 मीटर से ज्यादा इतना होगा, 24 मीटर से कम इतना होगा लेकिन 24 मीटर की रोड पर क्या रूल होगा, यह स्पष्ट नहीं है। उसके लिए अधिकारी कहते हैं गवर्नमेंट में फाइल जाएगी। मुझे कहा जयपुर के लोगों ने कि यह आपकी सरकार है, 24 मीटर पर क्या होगा यह क्लियर नहीं है, 24 मीटर की रोड पर एफ ए आर क्या होगा, मुझे यहां के बिल्डर्स ने कहा, एक गली छोड़ दी; कम और ज्यादा का है लेकिन उसका नहीं है। ऐसे में कई गलियां ये निकाल लेते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

राइट-टू-हीयरिंग, आम आदमी को लगता है, राइट-टू-हीयरिंग वैसे ही होगा, जैसा राइट-टू-एजुकेशन है, जैसा राइट-टू-इंफार्मेशन है। ये बड़े बिल, ये अधिकार, बड़े एक्ट, जो कानून में प्रावधान किया गया, आज पूरे देश में चर्चा हुई, लोगों ने कहा लोकपाल पास हुआ लोक सभा में, राज्य सभा में पिट गया। लोकपाल को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ। आज पूरा देश, रोज अखबारों में खबर आती है, एंटी-करप्शन ब्यूरो ने बाबू को पकड़ा, एंटी-करप्शन ब्यूरो ने इंजीनियर को पकड़ा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने थाना अधिकारी को पकड़ा, आर ए एस आफिसर को पकड़ा, रोज पकड़ में आ रहा है। इन दिनों में तो लगातार अखबारों में आ रही है और आप उसको कितना ही समझा दो, ऐसे-ऐसे लोग पकड़ में आये जिनको एम एल एज, मंत्रियों ने 4 दिन पहले कहा होगा, यह काम है, आप लोगों को तंग मत करो, लेकिन उनको इतनी ज्यादा गलतफहमी हो गई है।

कार्यपालिका पर कंट्रोल करने की जरूरत है, कंट्रोल करना पड़ेगा। यह कार्यपालिका कोई बी जे पी या कांग्रेस के हिसाब से बंटकर हम चर्चा कर लें, सिर्फ उससे पार नहीं पड़ेगी, आज सबसे ज्यादा जवाबदेही विधायिका की है। लोग विधायक के पास आते हैं, यदि आप उनको कह दें, मेरी एस डी एम नहीं मानता; वह कहता है, आपको किसलिए जिताया है, दिमाग खराब कर दिया, ऐसा एम एल ए जिसकी एस डी एम नहीं मानता है, पटवारी नहीं मानता है, सिपाही नहीं मानता, थानेदार नहीं मानता है। तो अंत में वह कहता है, एम एल ए साहब को एम एल ए किसलिये बनाया? वह तो यह सोचकर उस विधायक को चुनता है कि यह मेरा विधायक है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है। वह यह मानता है कि लोक सभा और विधान सभा इस देश के सबसे बड़े दो सदन हैं, ये पावरफुल लोग हैं, यदि कांस्टेबल मेरे साथ जुल्म करेगा, पटवारी मेरा तकासमा नहीं करेगा, नगर निगम में मेरी सुनवाई नहीं होगी, जे डी ए में मेरी सुनवाई नहीं होगी, स्कूल में मेरी सुनवाई नहीं होगी, जलदाय विभाग या विद्युत विभाग में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं मेरे विधायक के पास जाऊंगा, वह फोन करेगा और मेरा बिल ठीक हो जाएगा।

ऐसे में राइट-टू-हीयरिंग बिल इनके लिए जीवनदायिनी का काम करेगा। जब उसको लगेगा, आज मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जब उसको यह अधिकार मिल जाएगा तो वह उस अधिकार के जरिये उसके खिलाफ अपील कर सकेगा। इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। हम किसी भी बिल पर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

एक्ट में यह कह दें कि राइट-टू-हीयरिंग तो बिलकुल बेकार है; बेकार नहीं है; कोई न कोई जितने भी एक्ट आये, लोक सेवा गारंटी कानून आया, इसमें लोगों ने कार्यवाही करना चालू कर दिया, लोगों ने अपील करना चालू कर दिया, लोग शिकायत लेकर पहुंच गये, लोगों को कहीं न कहीं जब एक के खिलाफ एक्शन होता है तो कई लोग संभालते हैं। ऐसे में सिर्फ यह कहकर कि सरकार इनकी है, हम यह कह देंगे कि आप काम अच्छा कर रहे हो, तो फिर कहीं न कहीं ये हो जाएगा कि सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार हमारे सामने वाली पार्टी की है। यदि सरकार सही काम भी कर रही है, आज कौन कह सकता है इस सरकार के लिए, एक आदमी यह नहीं कह सकता, शुरू-शुरू में माहौल बनाया गया, दवाई फ्री हो गई, लोगों को मामला पसंद आया; जानवरों की दवाई फ्री हो गई, लोगों को मामला पसंद आया; 81 रुपये में 20 किलो आटा सरकार दे रही है और मुझे लोगों ने कहा कि यह आटा बढ़िया है। (व्यवधान) सारी 10 किलो। 81 रुपये में 10 किलो आटा, 8 रुपये 10 पैसे किलो पर सरकार दे रही है, फोर्टिफाइड आटा दे रहे हैं और मैं सच कह रहा हूं आप खुद मानेंगे, मैंने तो जयपुर में देखा, बाकी जगह का मुझे पता नहीं, जयपुर में आटा लेने के लिए लाइन लगती है। मुझ परसों फोन आया, एक महिला ने फोन किया कि डेयरी वाला आटा नहीं दे रहा है, आप इससे बात कर लो, आप मुझे आटा दिलाओ; मैंने कहा कि दे दो; उसने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया; मैंने कहा, दे दो, जरूरत है; उसको दे दिया, लेकिन मैंने लोगों से पूछा कि क्या आटा बंद कर दें, उन्होंने कहा कि नहीं। 8 रुपये 10 पैसे में यह सरकार आटा दे रही है, उसके कारण जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वे अदर स्टेट्स में महंगा आटा बेच रही हैं, यहां सस्ता आटा बेच रही हैं। आज बड़ा काम यदि सरकार कोई हाथ में लेती है तो उसकी दहशत पैदा होती है। जो चोर है वह ऐसे कानून से डरता है, उसको लगता है कि अब मैं यदि जेब काटूंगा तो मेरे पीछे कानून लगा हुआ है, मेरा हाथ पकड़ लेगा, मेरे लिए सज़ा तैयार है।

ऐसे में मैं यह मानता हूं कि यह राइट-टू-हीयरिंग बहुत बड़ा काम करेगा राजस्थान में जनता को सुविधा देने में, जनता को न्याय देने में। मैं इतना ही कहूंगा, यह राइट-टू-हीयरिंग का प्रचार-प्रसार जबरदस्त होना चाहिए। एक दिन कल अख़बार में खबर आ जाए, टीवी पर खबर आ जाए, उससे काम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नहीं चलेगा। एक्ट सरकार की उन आलमारियों में बंद होने के लिए नहीं हैं, लोगों तक पहुंचें, लोग समझें और लोगों को समझाने का प्रयास करें। आज मुझे अच्छा लगा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी पर हम लगाम लगाना चाहते हैं। कल तक जब विधायक कहते थे तो बुरा लगता था, लीडर्स जो आगे आ जाते हैं उनको लगता है विधायक क्या कह रहे हैं, आज जब मंत्री खुद बोलें, मुझे बड़ी खुशी हुई, खुलकर माना कि हम लगाम लगाना चाहते हैं, हम हमारी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, हम जनता की सुनवाई करना चाहते हैं, आम आदमी के सुनवाई के दर्द को सुनाना चाहते हैं, उसका जो दर्द नहीं सुनेंगे, उस कर्मचारी, अधिकारी का हम इलाज करना चाहते हैं। यह जो संदेश सरकार ने दिया है, यह बहुत बड़ा संदेश है, यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा, ब्यूरोक्रेसी को ताकत देगा, आम आदमी को अधिकार देगा। आम आदमी को अधिकार देने में सरकार ने जो यह पहल की है, इसके लिए मैं राइट-टू-हीयरिंग का स्वागत करता हूं और भरोसा करता हूं कि निश्चित रूप से आम आदमी को इससे अधिकार मिलेंगे और आम आदमी को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, सुनवाई का अधिकार सरकार लेकर आयी है...

श्री सभापति: पहले काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप मेरे राइट को कैसे खतम कर सकते हैं?

श्री सभापति: आप बोलो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप औरों को चांस देते हैं, क्या मुझ पर कृपा नहीं है? मेरे पर भी कृपा रखो।

सरकार अधिकार ले आयी, अच्छी बात है, मेरी सुनवाई कर लो आप। अभी मंत्रीजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हम नौकरशाही पर लगाम लगाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन यह जितने राइट आप दे रहे हैं, उन राइट्स का बोझ आम जनता पर इतना हो गया कि वह बोझ के तले दबा जा रहा है कि कितने राइट हैं मेरे पास? क्या बात है। संविधान ने राइट दे दिया, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार दे दिया, गहलोतजी की सरकार ने राइट

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

दे दिया, मनमोहनजी की सरकार ने राइट दे दिया; आर टी ई दे दिया, खाद्यान्न का देने वाले हैं और न जाने क्या-क्या देंगे, सुनवाई का आज दे दिया, बड़ा बोझ है। अब तो राम राज्य आ गया और स्वर्ग की कल्पना में आम आदमी जीने लग गया। राइट-टू-एजुकेशन दे दिया, मेयो कालेज में गरीबों के बच्चे कितने पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप-बाई-स्टेप में कितने जा रहे हैं? कितने लोगों को एडमिशन दिया? सरकार का नियंत्रण भी नहीं है, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। आज राइट है वृद्धजनों को पैदल चलने का, कहां हैं फुटपाथ चलने के लिए? सारी जगह सड़कें बन गई। आपने देखा है, जयपुर शहर में कहां-कहां फुटपाथ हैं? सारे फुटपाथों पर चौड़ा कर दिया। (व्यवधान) मैं भी मेयर था, इसलिए कह रहा हूं। राइट है वृद्धजनों को चलने का, बच्चों को सड़क पार करने का राइट है और महिलाओं को सड़क पार करने का राइट है। मैं कोई मेरी बात नहीं कर रहा हूं, राइट की बात कर रहा हूं और जब आप यह कहेंगे, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, तो फिर उस पर अलग बहस हो जाएगी। उस मुद्दे को अलग कीजिए। वृद्धों का राइट है सड़क पार करने का। क्या वृद्ध अकेला सड़क पार करता है जयपुर शहर में? क्या गांव का आदमी अकेला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर सड़क पार कर सकता है? क्या बच्चे अपनी मां के साथ जा रहे हैं, क्या वे सड़क पार कर सकते हैं? उनका राइट है। वह पुलिस वाला खड़ा रहता है वह केवल चालान देखता है, वह यह नहीं देखता है कि किसी वृद्ध की सहायता कर दूं, किसी महिला की सहायता कर दूं। उस कार वाले को शर्म नहीं आती है जो गाड़ी को नहीं रोकता है। वृद्ध महिला जा रही है, बच्चा जा रहा है, गाड़ी को रोकेगा नहीं और कहेगा, बुढ़िया, क्या तुम्हें दिखता नहीं? जब कार को लेकर जाएगा तो हार्न पर हार्न बजाएगा। स्कूलों में नो हार्न है, हास्पिटल्स में नो हार्न है, इस राइट को लागू कर रखा है। हार्न बजाता है, उसको खिलाफ क्या कार्यवाही करते हो आप? रात को 10 बजे आप म्यूजिक बंद कराते हो? सारे काम होते हैं म्युजिक के।

राइट्स बहुत ज्यादा दे दिये आपने। वृद्धों को दे दिये, बालकों को दे दिये, हास्पिटल को दे दिये, विकलांगों को दे दिये। क्या विकलांग कोई सरकारी दफ्तर में जा सकता है, सीढिया चढ सकता है, क्या उसके लिए ऐसी सीढ़ियां बनायी हैं? उसके लिए कोई सीढ़ियां नहीं बनायीं? क्या उसके लिए विकलांग टायलेट बनाये हैं सरकारी हास्पिटल्स में या सरकारी दफ्तरों में? नहीं बनाये गये।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

राइट दे रहे हैं, हम सबको राइट दे रहे हैं, बहुत राइट दे रहे हैं और दे दीजिए राइट्स। उसके साथ-साथ उस अधिकारी को कुछ फाइनेंशल पावर्स भी दीजिए। घनश्यामजी भाई साहब ने सही कहा है कि आप बिना फाइनेंशल सेंक्शन के इसको ले आये, केवल कागजों में अधिकार देने से अधिकार मिलने वाला नहीं है, उस अधिकारी को भी अधिकार होने चाहिए, फाइनेंशल पावर्स होनी चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए कि किसी अधिकारी ने गलत काम किया है तो वह स्वयं अपने स्तर पर फाइनेंशल स्वीकृति दे सके, अपने स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति दे सके और उस व्यक्ति को न्याय प्रदान कर सके। न्याय प्रदान कर नहीं रहे और केवल राइट, राइट, राइट।

धारीवाल जी, आपने कुछ कानून बनाए थे, आपके पास कानून बनाने वाले बहुत सारे लोग अच्छे हैं, अभी 40 साल के कब्जे वालों को जे डी ए या नगर निगम ने सबको पट्टे दे दिए क्या? कानून बना हुआ है कि 40 साल से जिसका कब्जा होगा उसको पट्टा मिलेगा। आपने कानून को मान्यता दी है न? मिल गया क्या सबको पट्टा? प्रतापसिंह जी, आप भी देख लो, आप भी लोगों के लिए बहुत आवाज उठाते हो, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को, 1971, 1981 के सर्वे वालों को पट्टा देने की बात है, कितने पट्टे मिल गए? फिर कानूनी अड़चनों में, कानूनी झंझटों में गरीब व्यक्ति घिसता रहेगा।

आवश्यकता अधिकार देने की नहीं है, आवश्यकता यह है कि सरकार कानूनों में संशोधन करे, आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से संशोधन करे, उसके संशोधनों को लाकर नौकरशाही को मजबूर करे कि वह काम करे। नौकरशाही का तो काम एक ही है कि – ''आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों; इतनी जल्दी क्या है प्यारे, नौकरी करनी है बरसों।'' हमको कहे, जन प्रतिनिधि को कि – ''काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरि करेगो कब।'' सारे जन प्रतिनिधि चाहते हैं कि जनता को त्वरित न्याय मिले, हमारे वोटर्स को बैठे-बैठे न्याय मिल जाए लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। (व्यवधान) भंवरी नहीं है, बहुरि करेगो कब। भंवरी की बाद में करना। श्रवणजी, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, आप डिस्टर्ब मत करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भंवरी को तो जो कुछ करना था वह कर दिया, अब तो आप करो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): प्लीज। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह जो अधिकारों का बोझ जनता पर देना चाहते हो, उस बोझ को थोड़ा कम करो। उसके कर्तव्य भी सिखाओ, जनता को भी अपने कर्तव्य सिखाओ। राइट तो खूब दे दिए लेकिन जनता भी तो अनुशासन में रहे न, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसकी भी ड्यूटीज होनी चाहिए न। लेफ्ट चले, राइट चले, हेलमेट चलाकर चले, कानून का पालन करे, उसके लिए कुछ नहीं है। अपने कांस्टिट्यूशन में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। जनता के भी अपने कर्तव्य हैं। हम सब राइट देते जाएंगे, विधायिका सारे राइट दे देगी, सारे कानून बना देगी और उसके बाद में राम राज्य आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम राज्य अगर लाना है तो जनता को भी ठीक करना होगा, जनता स्वयं भी अपने आपको ठीक करे। आज घर पर सफाई कर्मचारी सफाई करके जा रहा है और ऊपर से फिर कचरा डाल दिया। दस बजे सफाई कर्मचारी सफाई करके जाएगा और व्यापारी ने फिर कचरा डाल दिया। यह जनता अपने आपको भी ठीक करे न।

इन सब बातों पर एक व्यापक बहस, हम सब को, विधायिका को एक व्यापक चुनौती है कि हम क्या केवल वोटर्स के लिए लोक-लुभावनी बात करते हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): एक दिन अलग से बहस के लिए निश्चित कर दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मंत्रीजी, प्लीज, let me speak, let me finish.

मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सब विधायिका के लोग आपस में बैठकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप कहो कि हम जनता के सबसे बड़े सेवक, हम कहेंगे कि हम जनता के सबसे बड़े सेवक, सारे सेवक ही सेवक, फिर जनता को क्या रिलीफ मिला? सब लोग मिलकर, बैठकर क्या कानून लाना है, क्या कानून नहीं लाना है, यह विचार करना चाहिए।

अभी घनश्यामजी कह रहे थे कि आप 15 मिनट के लिए विधान सभा स्थगित कर दो, देख लो, बात कर लो, इसके फाइनेंशल इम्प्लीकेशंस हैं, हम भी चाहते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, पहले माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): प्लीज, दो मिनट में कर रहा हूं। हम यह कहते हैं कि 15 मिनट स्थगित कर दो, आप बात कर लीजिए, फाइनेंशल इम्प्लीकेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव-फाइनेंशल पावर तो दीजिए।

श्री सभापति: अब आपकी बात आ गई, आपकी मूल भावना मंत्रीजी समझ गये, विराजो।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 पारित किया गया।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 । श्री हेमाराम चौधरी।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.56 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

परबतसर (नागौर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

523. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर जिला नागौर में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर पद भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्ररोग)	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	—
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक सीएमओ)	1	—
चिकित्सा अधिकारी	2	1
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	—
नर्स श्रेणी प्रथम	3	—
नर्स श्रेणी द्वितीय	7	1
रेडियोग्राफर	1	—
वरिष्ठ लैब टेक्निशियन	1	—
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—
वरिष्ठ लिपिक	1	—
कनिष्ठ लिपिक	1	—
वार्डबाय	9	2
सफाई कमचारी	3	2

फुलेरा की ढाणियों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

524. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत कोरसीना, हबसपुरा, नरायना, आकोदा, रोजड़ी, हिरनोदा, बरडोटी एवं श्रीरामपुरा की किन-किन ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु सम्बन्धित कार्यालयों में कब से पत्रावलियां जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ढाणियों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ढाणियों में विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन पंचायतों में इस समय घरेलू कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन बकाया नहीं है।

(2) 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वींकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में उक्त में से निम्न ढाणियों को विद्युतीकरण करने का प्रावधान था जो लगभग पूर्ण हो चुका है:-

क्रम सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	ढाणी का नाम
1	हबसपुरा	हचकुडा	बलाइयों का ढाणी
			यादवों की ढाणी
		सिंगला	गुजरों की ढाणी
		सीतारामपुरा	तिगरियों की ढाणी
2	आकोदा	आकोदा	मावतों की ढाणी
			हांकलो की ढाणी
3	कोरसीना	जावली	बलाइयों का ढाणी
			गुजरों की ढाणी
		कोरसीना	नाका की ढाणी
4	बरडोती	गेपालपुरा	अटलपुरा की ढाणी

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त ढाणियों के अतिरिक्त शेष ढाणियों का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका। अत: कोई कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं था।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत उक्त विद्युतिकृत ढाणियों में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। उक्त ग्राम पंचायतों में स्थित 100 से अधिक व 300 तक आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है। उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतिकृत कर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

जबकि 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में योजना अनुसार पांच आवेदकों के ग्रुप में आवेदन पर घरेलू कनेक्शन "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना" (संशोधित) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में दिये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक महानरेगा योजनान्तर्गत व्यय राशि

525. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों की वर्ष 2008-09 से 2011-12 में महानरेगा की वार्षिक योजना कितनी-कितनी राशि की थी? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) महानरेगा के अन्तर्गत गत 4 वर्षों की वार्षिक योजनानुसार कितनी राशि का व्यय हुआ? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 4 वर्षों में महानरेगा के अन्तर्गत कुल कितने श्रमिक लगे व उन्हें कुल कितना भुगतान किया गया? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत 4 वर्षों में महानरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता, गबन व घोटालों के कुल कितने प्रकरण सामने आये तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 में महानरेगा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये श्रम बजट की वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 में जिलेवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के स्थान पर रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या का विवरण संधारित किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्षवार रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या, मानव दिवस सृजन एवं अकुशल श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) गत 4 वर्षों में महानरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता, गबन एवं घोटाले के कुल 601 प्रकरण सामने आये। इन प्रकरणों में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों अथवा संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 534 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, 553 दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई तथा रु. 2.16 करोड़ की वसूली की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी अतिरिक्त जिला मुख्यालय का जिला मुख्यालय में क्रमोन्नयन

526. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति एवं अन्य समुचित विभिन्न कारणों से नये जिलों के गठन करने का विचार रखती है तथा क्या इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रतिवेदन तैयार करवाये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि फलौदी अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर पर्याप्त आधार पर विभिन्न उचित कारणों से सीमान्त जिला बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है? क्या सरकार फलौदी को समग्र विकास एवं जनहित में सीमान्त जिला गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ने फलौदी को जिला मुख्यालय बनाने के दृष्टिकोण

(श्री ओम जोशी)

से 10 किलोमीटर परिक्षेत्र की करीब 20 हजार बीघा सिवाय चक भूमि आरक्षित करने के आदेश कर सेट अपार्ट करवाई है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति एवं अन्य समुचित विभिन्न कारणों से नये जिलों का गठन किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रतिवेदन भी तैयार करवाये गये हैं।

(2) मा. मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2012-13 अनुसार प्रदेश में नये जिले स्थापित करने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करना प्रस्तावित किया है, जो इस विषय में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 6 माह की अवधि में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नये जिले स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) फलौदी में भविष्य में राजकीय प्रायोजनार्थ एवं जन उपयोगी कार्यों हेतु राजकीय भूमि सेट अपार्ट की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : प.12(3-) राजस्व/आरक्षण/2011/7063 दिनांक 24.8.2011

आदेश

तहसीलदार, फलौदी की अनुशंसा अनुसार उपखण्ड अधिकारी, फलौदी ने पत्रांक राज/11/599 दिनांक 22.07.11 द्वारा फलौदी के विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की मांग एवं अनुशंसा के आधार पर भविष्य में फलौदी के विकास हेतु आधारभूत ढांचे की आवश्यकता रहेगी जिसमें जिला एवं संभाग स्तरीय राज्य एवं भारत सरकार के कार्यालय, जनोपयोगी स्थल आदि स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, जिससे भविष्य में विकास सम्भव हो सके।

अत: फलौदी के विकास हेतु फलौदी मुख्यालय से 20 कि.मी. परिधि में स्थित निम्नलिखित ग्रामों (संलग्न:-ग्राम-खसरा-वार रकबा की विस्तृत सूची अनुसार) की समस्त सिवायचक भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत/

आरक्षित किया जाना उपयुक्त मानते हुए आरक्षित (सेट अपार्ट) की जाती है। अतः तहसीलदार, फलौदी आरक्षित भूमियों का राजस्व रिकार्ड में आवश्यक इन्द्राज अंकित करेंगे।

क्र. सं.	स्थान का विवरण	खसरा की संख्या	कुल रकबा (बीघा में)
1	फलौदी	127	18489.03
2	लोर्डिया	4	57.02
3	जुनेजों की ढाणी	4	102.04
4	कचेटों की ढाणी	9	5.11
5	कचोलिया नाडा	1	1.00
6	मोहरा	11	817.10
7	गोदरली	12	1846.14
8	मलार	86	4062.13
9	डेडिसरा	4	69.13
10	जागरिया	16	1593.01
11	भोजका	1	1.05
12	बग्गा	1	31.11
13	सदावता	3	111.00
14	खींचन	13	473.16
15	एका भाटियान	5	4.03
16	मौखेरी	1	0.02
17	ह्नोपारड़ी	4	3.00
18	कुण्डल	56	1440.07
19	बापिणी	18	1444.07
20	बिठडी	31	399.04

जिला कलक्टर, जोधपुर

कोटा विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कार्मिकों का स्थायीकरण

527. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा विश्वविद्यालय में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जा रहा है? यदि हां, तो किस नियम के आधार पर और कितने वेतन पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा विश्वविद्यालय द्वारा भेजी जाने वाली टीमों के मैनेजर विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारी होते हैं? क्या उन्हें कोई अग्रिम भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो कितना और किस नियम के आधार पर? गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा विश्वविद्यालय में पद सृजित करने के मामले में सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में त्रुटि हुई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के कारण 8-9 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थाई होने से वंचित रहना पड़ा है? क्या उक्त में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय द्वारा कार्य संचालन की दृष्टि से प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्त/कार्मिक विभाग के परिपत्रों के अनुसार स्थिर मानदेय पर रखा जा रहा है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उनको देय मानदेय सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी जाने वाली टीमों के मैनेजर विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों के शिक्षक एवं खेल अधिकारी भी होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर खेल विशेष के विशेषज्ञों को भी टीम मैनेजर के रूप में भेजा जाता है। टीम मैनेजर को कोई अग्रिम भत्ता नहीं दिया जाता है परन्तु टीम के खिलाड़ियों पर खर्च होने वाले विभिन्न प्रकार के व्यायों यथा खिलाड़ियों का परिवहन व्यय, दैनिक भत्ता, स्पोर्टस किट, मेडिकल व्यय, खेल उपकरण खरीद व्यय, प्रविष्टि शुल्क, आफिशियेटिंग शुल्क इत्यादि टीम मैनेजर

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

एवं कोच, सहायक मैनेजर तथा सहायक कोच के परिवहन व्यय एवं दैनिक भत्तों हेतु टीम मैनेजर को अग्रिम राशि प्रदान की जाती है। यह राशि स्पोर्टस बोर्ड, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अंतर महाविद्यालय एवं अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता नियम एवं परिनियम बाबत हैण्ड बुक (2004-05) के नियमानुसार अग्रिम दिया जाता है। वर्ष 2009-10 में रु. 2,92,200 एवं वर्ष 2010-11 में राशि रु. 6,33,020 उक्त व्ययों के पेटे अग्रिम राशि दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	पद/कार्य जिसके लिये संविदा पर रखा गया	देय मासिक मानदेय	तिथि जिससे संविदा पर रखा गया
1.	डा. गोपाल सिंह	अकादमिक कार्यों एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के कार्यों के लिये	42937/-	17.4.2010
2.	श्री एस. एन. डोबवाल	सहायक लेखाधिकारी	6500/-	1.9.2008
3.	श्री भगवान सिंह	सहायक लेखाधिकारी	6500/-	1.9.2008

सिरोही जिले में मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत आबंटित राशि

528. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि विभाग की मेक्रो-मैनैजमेंट कार्य योजनान्तर्गत अनुदान के क्या प्रावधान हैं एवं कौन-कौन से यंत्र के लिए अनुदान की प्रक्रिया है और उक्त योजना राज्य में कब से लागू हुई है? उक्त योजना के लागू होने से वर्ष 2011-12 तक प्रत्येक जिले को कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? वर्षवार, योजनावार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओटाराम देवासी)

(2) उक्त योजना में राज्य में प्रत्येक जिले से बजट की कितनी मांग प्राप्त हुई? वर्षवार, योजनावार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला सिरोही में उक्त योजना में मांग अनुसार बजट का आबंटन नहीं किये जाने के कारण जिले में कई पात्र आवेदनकर्ता इस योजना से वंचित हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक उक्त जिले में कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान हेतु कितनी पत्रावलियां प्राप्त हुई और उनमें से कितनों को अनुदान दिया गया व कितनी बकाया हैं तथा बकाया रहने के क्या कारण हैं? वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कृषि निदेशालय के द्वारा दिनांक 12-09-2011 से अनुदान की पत्रावलियों को स्वीकार नहीं करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान प्रक्रिया चालू करते हुए पत्रावलियां स्वीकार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत अनुदान के प्रावधान परिशिष्ट-1 पर तथा चयनित कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त योजना राज्य में वर्ष 2000-01 में लागू हुई और लागू होने से 2011-12 तक मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजना का वर्षवार, जिलेवार आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) राज्य में कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत बजट की मांग जिलों से प्राप्त नहीं की जाती बल्कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार एवं सम्बन्धित जिले के लिए निर्धारित की गई गतिविधियों के अनुसार निदेशालय स्तर से बजट का आबंटन किया जाता है।

(3) जी नहीं। सिरोही जिले में मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत समस्त पात्र आवेदनकर्ताओं को लाभान्वित कर दिया गया है एवं इस जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजना के तहत अनुदान हेतु कोई पत्रावली लम्बित नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(4) वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक सिरोही जिले में कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान हेतु प्राप्त पत्रावलियों, निस्तारित पत्रावलियों एवं लम्बित पत्रावलियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त पत्रावलियां	पत्रावलियों पर अनुदान दिया
2008-09	133	133
2009-10	241	241
2010-11	148	118
2011-12	351	431
योग	**873**	**923**

वर्ष 2010-11 की कार्य योजना की 30 एवं एन.एफ.एस.एम. की 50 कुल 80 लम्बित (बजट अभाव में) पत्रावलियों का निस्तारण वर्ष 2011-12 में मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजना मद से किया गया ।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक सिरोही जिले में कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजनान्तमर्गत कृषि यंत्र अनुदान से लाभान्वित कृषकों की सूचियां वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट-4 (पृष्ठ संख्या 1 से 55 तक) पर संलग्न है। सिरोही जिले में कृषि यंत्र अनुदान हेतु कोई पत्रावली बकाया नहीं है।

(5) जी नहीं। कार्य योजनान्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग प्राथमिकता से वित्तीय वर्ष 2010-11 की कृषि यंत्रों की लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण तथा राशि शेष रहने पर वर्ष 2011-12 की गतिविधि में उपयोग करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र जारी करते समय यह निश्चित नहीं था कि भारत सरकार द्वारा मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजना को अगले वित्तीय वर्ष में भी चालू रखा जायेगा या नहीं। अत: इस योजना के वित्तीय वर्ष 2012-13 में चालू नहीं रहने की दशा में देनदारियां सृजित नहीं हो, के दृष्टिगत कोई देनदारी लम्बित नहीं रखने हेतु पत्र जारी किया गया था। पत्र की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(6) कृषि विभाग की मेक्रो-मैनेजमेंट कार्य योजना भारत सरकार की योजना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति में वर्ष 2011-12 इस योजना का अंतिम वर्ष होने का संकेत दिया था। परन्तु भारत

(कृषि मंत्री)

सरकार द्वारा पुनः वर्ष 2012-13 में भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसकी अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। भारत सरकार से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने पर योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा ।

(विवरण, सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

गढ़ी में केन्द्रीय सड़क निधि से नवीनीकृत सड़कें

529. श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बांसवाड़ा) से गुजरने वाले बांसवाड़ा-डूंगरपुर राज्य मार्ग संख्या 10, पालोदा-गढ़ी-आनन्दपुरी जिला सड़क संख्या 22 का नवीनीकरण कार्य कब-कब किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों सडकों पर गत दस वर्षों में सीआरएफ योजना के अन्तर्गत कोई नवीनीकरण कार्य नहीं किया गया है?

(3) सीआरएफ योजना से प्राप्त राशि को किस प्रकार की सडकों पर व्यय करने का प्रावधान है एवं उक्त योजना में सड़कों की स्वीकृति प्रदान करते समय किन मानदण्डों का पालन किया जाता है और किस तरह स्वीकृति प्रदान की जाती है?

(4) क्या सरकार उक्त दोनों सडकों पर सीआरएफ योजना के तहत नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बांसवाड़ा) से गुजरने वाले बांसवाड़ा-डूंगरपुर राज्य राजमार्ग संख्या-10 व पालोदा-गढ़ी-आनन्दपुरी मुख्य जिला सड़क संख्या-22 का विभिन्न योजनाओं में कराये गये नवीनीकरण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उक्त दोनों सड़कों में से राज्य राजमार्ग संख्या-10 के 13 कि.मी. लम्बाई सड़क पर वर्ष 2005-06 में सी.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य राजमार्ग संख्या-10 के कि.मी. 102 पर स्थित पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2002-03 में, कि.मी. 91

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर स्थित सतूनी उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में तथा मुख्य जिला सड़क संख्या-22 के कि.मी. 30 पर स्थित खोड़न उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में सी.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत कराया गया है।

(3) सी.आर.एफ. योजना से प्राप्त राशि को राज्य के राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और महत्व की अन्य सड़कों हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय करने का प्रावधान है। उक्त योजना में सड़कों की स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार द्वारा सी.आर.एफ. योजना हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई, 2007 के अन्तर्गत वर्णित नियमों का पालन किया जाता है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इन नियमों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं जिन पर स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(4) उक्त दोनों सड़कों पर सी.आर.एफ. योजना के तहत नवीनीकरण कार्य स्वीकृत किया जाना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमाओं एवं राज्य की अन्य सड़कों के मध्य इन सड़कों के प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था में अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारी

530. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ठहराये गये होटल का खाना परोसने वाले होटल के पास फूड लाइसेंस नहीं था? यदि हां, तो सम्बन्धित होटल के विरुद्ध अब तक क्या कारवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही की जिम्मेदारी तय की गई? यदि हां, तो किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आये महामहिम राष्ट्रपति महोदया तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को राजभवन में ठहराया गया था। जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय का राजकीय निवास स्थान है। जिसके लिये फूड लाइसेन्स जारी नहीं किया जाता हैं। अतिविशिष्ट व्यक्तियों को राजभवन के रसोईघर में तैयार खाना ही परोसा गया था तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को खाना होटल रामबाग द्वारा परोसा गया था, होटल के पास वैध फूड लाइसेन्स था।

(2) प्रश्न लागू नहीं होता है।

विद्युत निगमों द्वारा लगाये गये खराब मीटरों के कारण उपभोक्ताओं को औसत बिल में छूट

531. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में बिजली कम्पनियों के नियमानुसार खराब मीटर होने पर उपभोक्ता को भेजे जाने वाले औसत बिल में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान है? यदि हां, तो मीटर खराब होने पर औसत बिल किस आधार पर भेजा जाता है और उसमें कितनी छूट का प्रावधान है?

(2) गत एक वर्ष में राज्य में कितने उपभोक्ताओं को औसत राशि के बिल भेजे गये व उनकी कुल राशि क्या है और इन बिलों में कुल कितनी छूट प्रदान की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत मीटर ठीक नहीं कर उनके स्थान पर नये मीटर लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी सरकारी विद्युत प्रयोगशालाएं हैं?

(4) गत तीन वर्षों में राज्य में कितने विद्युत मीटर खराब हुए व उनमें से कितने ठीक करवाये गये और विद्युत कम्पनियों द्वारा कितने नये मीटर खरीदे गये तथा पुराने मीटर दुरूस्त करवाने के बजाय नये मीटर लगाने से सरकार को कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औसत बिलिंग दो आधारों पर की जाती है। विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के क्लाज 37 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम प्रकार की औसत बिलिंग में किन्हीं विशेष कारणों से मीटर पठन दिवस पर उपभोक्ताओं

(ऊर्जा मंत्री)

का विद्युत उपभोग पता नहीं लगने के कारण औसत बिल जारी किया जाता है तथा इस प्रकार का औसत बिल आगामी माहों में वास्तविक उपभोग के बिलों में समायोजन के अधीन होता है। विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के क्लाज 27 के प्रावधानों के अनुसार दूसरे प्रकार के औसत बिलिंग का कारण मीटर की खराबी है एवं औसत बिल नियमानुसार पूर्व उपभोग के आधारों पर ही जारी किये जा सकते हैं। विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के पैरा 30(2) के अनुसार बन्द/खराब विद्युत मीटर को दो माह की अवधि में ना बदलने पर तीसरे माह से (मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को छोडकर जिन्हें फ्लैट रेट के हिसाब से भेजे जाने हैं।) 5 प्रतिशत रियायत, विद्युत बिल जो कि विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के पैरा 27 के अनुसार बनाया गया है, में देने का प्रावधान है।

(2) गत वर्ष 2011-12 में तीनों वितरण कम्पनियों द्वारा औसत राशि के बिल भेजे गये उपभोक्ताओं की संख्या व राशि निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2011-12	जयपुर डिस्काम	अजमेर डिस्काम	जोधपुर डिस्काम	कुल
उपभोक्ताओं की संख्या	785977	449387	428229	16,63,593
राशि (रु. करोड़ में)	719.82	546.71	666.80	1933.33

उपभोक्ताओं को प्रदान की गई छूट के सम्बन्ध में लेख है कि पूर्व में छूट प्रदान नहीं हो पाई है, अतः अब आदेश संख्या JPD/6-347/D 664 दिनांक 20.03.2012 द्वारा उपभोक्ताओं को छूट हेतु सख्त आदेश जारी किए जा चुके हैं। आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में विद्युत मीटरों की गारंटी अवधि 5 वर्ष की होती है एवं इस अवधि में खराब हुए मीटरों को संबंधित फर्म द्वारा नि:शुल्क ठीक किया या बदला जाता है। लेकिन जिन मीटर कम्पनियों को जयपुर डिस्काम द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है उनके ही विद्युत मीटर तीनों डिस्कामों में, गारण्टी अवधि में खराब होने पर, ठीक नहीं करवाकर उनके स्थान पर नए मीटर लगाए जा रहे हैं। तीनों डिस्कामों की विद्युत प्रयोगशालाओं में मीटरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति से पूर्व एवं आपूर्ति के पश्चात जांच की जाती है ना कि विद्युत मीटर ठीक किए जाते हैं। डिस्कामों में कार्यरत प्रयोगशालाओं का विवरण परिशिष्ट प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) गत तीन वर्षों में विद्युत मीटर खराब हुए उनमें से ठीक करवाये गए एवं विद्युत कम्पनियों द्वारा नये खरीदे गए मीटरों का निगमवार विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

खरीदे गए मीटरों की गारंटी 5 वर्ष की होती है एवं इस अवधि में खराब हुए मीटरों को सम्बन्धित फर्म द्वारा निःशुल्क ठीक किया/बदला जाता है। अतः गारण्टी अवधि में खराब मीटरों के स्थान पर फर्म द्वारा उपलब्ध मीटरों के कारण निगमों को कोई हानि नहीं हुई है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रायसिंहनगर में मनरेगा कार्यों की प्राप्त शिकायतें

532. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में विधानसभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नरेगा के तहत कितने और कितनी राशि के कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नरेगा कार्यों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हां, तो कितनी और कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कुल 692 कार्य करवाये गये जिनमें से 461 कार्य प्रगतिरत एवं 241 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों पर 18.73 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लाक को-आर्डिनेटर के यहां 33 शिकायतें एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मार गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर के यहां से 32 शिकायतें कुल 65 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिनमें से 64 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है तथा 1 शिकायत का निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

बाली की ग्राम पंचायत नाणा को उप तहसील का दर्जा

533. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत नाणा, आमलिया, भीमाणा, कोयलवाव, कूरण, काकराडी, मालनूं, लुन्दाडा, चामुण्डेरी, कोठार, बेडा व भन्दर के मुख्यालय एवं उक्त पंचायतों के दूरदराज के गांवों से तहसील मुख्यालय बाली की दूरी एवं उक्त पंचायत समेत इनके गांवों की आबादी तथा उक्ता गांवों से प्रतिदिन तहसील कार्यालय बाली में पहुंचने वाले नागरिक बंधुओं की औसतन संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों एवं इनसे लगते गांवों में लगभग 15 से 20 हजार बीपीएल परिवार हैं तथा इसके अतिरिक्त एस सी/ एसटी, माडा एवं बिखरी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, जिनको 80 से 90 किलोमीटर दूरी तय करके तहसील स्तर के अपने कार्य निपटाने हेतु जाने में बहुत परेशानी होती है?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालय नाणा पर उप तहसील खोलकर उक्त क्षेत्र के नागरिकों को तहसील स्तर के कार्य नाणा मुख्यालय पर ही निपटाकर इन्हें राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत नाणा 46 कि.मी., आमलिया 58 कि.मी., भीमाणा 60 कि.मी., कोयलवाव 48 कि.मी., कुरण 38 कि.मी., काकराडी 32 कि.मी., मालनु 50 कि.मी., लुन्दाडा 55 कि.मी., चामुण्डेरी 45 कि.मी., कोठार 38 कि.मी., बेडा 32 कि.मी., भन्दर 40 कि.मी. बाली मुख्यालय से दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत नाणा की 10298, आमलिया की 4465, भीमाना की 7066, कोयलवाव की 4138, कुरण की 4618, काकराडी की 3799, मालनु की 3284, लुन्दाडा की 3551, चामुण्डेरी की 6573, कोठार की 3227, बेडा की 9853, भन्दर की 5982 की वर्ष 2001 की आबादी है। इन गांवो से प्रतिदिन 90 से 100 नागरिक बन्धु विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में आते-जाते हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायतों एवं इनके लगते गावों में लगभग 15 से 20 हजार बीपीएल परिवार हैं तथा इसके अतिरिक्त एससी,

(राजस्व मंत्री)

एसटी, माण्डा एंव बिखरी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। गावों की दूरी बिन्दु संख्या-1 में अंकित है। बाली तहसील मुख्यालय पर कार्य निपटाने हेतु आने-जाने के लिये पर्याप्त आवागमन सुविधा उपलब्ध है।

(3) ग्राम पंचायत मुख्यालय नाणा पर उप तहसील खोले जाने के कोई प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन नही है और न ही वर्तमान बजट वर्ष 2012-13 में इस हेतु कोई प्रावधान किया गया है।

धौलपुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता

534. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के एक मात्र सरकारी कालेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को यू.जी.सी. से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त1 नहीं हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि यू.जी.सी. ग्राण्ट प्राप्त करने हेतु बैंक संस्था में पंजीयन कराना अनिवार्य है?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक सरकारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को ग्रेड नहीं मिला है? इसके न मिलने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के पत्र दिनांक 20-1-2009 को ग्रेडिंग हेतु राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में निम्न कमियां बताई गई :-

1. संस्था द्वारा सहशैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
2. संस्था में कम्प्यूटर विद्यार्थी अनुपात।
3. यू.जी.सी. द्वारा संकाय सदस्यों का लाभान्वित होने का प्रतिशत।
4. संस्था में विद्यार्थी-व्याख्याता अनुपात।
5. संस्था द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का आयोजन न करना।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

6. संस्था में छात्रों द्वारा खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्राप्त पारितोषिकों का विवरण।

7. संस्था द्वारा आयोजित सेमीनार/कान्फ्रेस/कार्यशालाओं की संख्या।

अब उक्त संसाधन व सुविधा कालेज में उपलब्ध है व ग्रेडिंग हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेरगढ़ में आयोजित पशु चिकित्सा शिविर

535. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुधन विकास हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में कौन-कौनसी योजना व कार्यक्रम संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशुधन विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के अंतर्गत तहसील शेरगढ में किस प्रकार, कब व कितने पशुओं को लाभान्वित किया गया?

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ में उन्नत नस्ल के सांड, गाय, भैंस, बकरी व अन्य पशु उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना में, किस प्रकार?

(4) क्या यह सही है कि सरकार पशु चिकित्सा शिविरों का ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजन कर रही है? यदि हां, तो तहसील शेरगढ़ की ग्राम पंचायतों में उक्त शिविर कहां-कहां, कब-कब चलाये गये व इससे कितने पशुओं व पशुपालकों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुधन विकास हेतु निम्नांकित योजनायें व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:-

1. पशु चिकित्सा कार्य
2. रोगो से बचाव हेतु पशुओं में टीकाकरण
3. प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उन्नत नस्ल के सांडों का वितरण
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य
5. नकारा पशुओं का बधियाकरण
6. गर्भ परीक्षण

(पशुपालन मंत्री)

7. दुग्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन

8. पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना

9. पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

10. डेयरी फेडरेशन द्वारा संतुलित सरस पशुआहार/सरस गोल्ड पशु आहार/मिनरल मिक्सचर/यूरिया मोलासेस ब्रिक ।

(2) तहसील शेरगढ़ में पशुधन विकास योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभान्वित किया गया:- (2011-12)

1. बांझपन निवारण शिविरों के द्वारा पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण कार्य अन्तर्गत नि:शुल्क चिकित्सा द्वारा 963 पशुओं की चिकित्सा के साथ पशुपालक गोष्ठी का आयोजन कर पशुपालकों को प्रबन्धन की नवीन तकनीक, टीकाकरण, उन्नत नस्ल का रख-रखाव का प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया।

2. दुग्ध अक्षत योजना अन्तर्गत 59 गाय व भैंसों का बीमा तथा स्विस योजना के तहत 107 मेडों का बीमा करवाकर लाभान्वित किया गया।

3. मिल्क रिकार्डिंग योजना अन्तर्गत 25 थारपारकर गायों को चिन्हित कर क्षेत्र गुढा तहसील शेरगढ़ में चयन कर मिल्क रिकार्डिंग व स्वास्थ्य संरक्षण सुविधा उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया।

4. थारपारकर नस्ल के 7 नर बछड़ों का चयन कर उनके पालन हेतु योजना अनुरूप नकद राशि पशुपालकों को उपलब्ध करवायी गई।

5. स्विस योजना अन्तर्गत शेरगढ़ तहसील की बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र में 50 हजार भेडों का चयन कर स्वास्थ्य संरक्षण सुविधा एवं उन्नत नस्ल के 107 मेढे नि:शुल्क भेड़पालकों को उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

(3) जी हां। तहसील शेरगढ़ क्षेत्र से इस वर्ष मांग प्राप्त होने पर उन्नत नस्ल के नर पशु वितरित किये जा सकेंगे।

(4) जी हां। पशु चिकित्सा शिविरों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

शेरगढ़ तहसील के गांव के नाम जिसमें पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत शिविर आयोजित किये गये

क्र. सं.	गांव के नाम	शिविर दिनांक	वार्षिक पशु चिकित्सा	वार्षिक पशुपालक लाभान्वित
1	2	3	4	5
1.	तिबना खीरजा	प्रत्येक माह की 11 तारीख	413	132
2.	साई	प्रत्येक माह की 11 तारीख	391	131
3.	गुमानसिंहपुरा	प्रत्येक माह की 11 तारीख	713	158
4.	पाबूसर	प्रत्येक माह की 11 तारीख	687	147
5.	जाटीभाण्डू	प्रत्येक माह की 11 तारीख	436	165
6.	साबरसर	प्रत्येक माह की 11 तारीख	354	130
7.	उटाम्बर	प्रत्येक माह की 11 तारीख	535	130
8.	डेरिया	प्रत्येक माह की 11 तारीख	460	189
9.	सेखाला	प्रत्येक माह की 11 तारीख	380	153
10.	देडा	प्रत्येक माह की 11 तारीख	474	194
11.	बेलवा राणाजी	प्रत्येक माह की 11 तारीख	364	183
12.	ढाढनिया सासण	प्रत्येक माह की 11 तारीख	399	175
13.	उटवालिया	प्रत्येक माह की 11 तारीख	270	144
14.	बारनाउ	प्रत्येक माह की 11 तारीख	470	190
15.	जेतसर	प्रत्येक माह की 17 तारीख	529	145
16.	गुमानपुरा	प्रत्येक माह की 17 तारीख	468	156
17.	गडा	प्रत्येक माह की 17 तारीख	570	146
18.	बिराई	प्रत्येक माह की 17 तारीख	383	158

1	2	3	4	5
19.	गोपालसर	प्रत्येक माह की 17 तारीख	334	180
20.	भालू अनोपगढ़	प्रत्येक माह की 17 तारीख	362	125
21.	केतू कलां	प्रत्येक माह की 17 तारीख	369	166
22.	बेलवा खतरीयान	प्रत्येक माह की 17 तारीख	382	146
23.	दुगर	प्रत्येक माह की 17 तारीख	341	204
24.	चाबा	प्रत्येक माह की 17 तारीख	512	166
25.	भोमसागर	प्रत्येक माह की 19 तारीख	440	155
26.	सोलंकियातला	प्रत्येक माह की 19 तारीख	795	149
27.	सियादा	प्रत्येक माह की 19 तारीख	454	147
28.	निम्बो का गांव	प्रत्येक माह की 19 तारीख	441	154
29.	कुई इन्दा	प्रत्येक माह की 19 तारीख	408	182
30.	भाटेलाई	प्रत्येक माह की 19 तारीख	239	209
31.	चतुरपुरा	प्रत्येक माह की 21 तारीख	474	128
32.	सुवालिया	प्रत्येक माह की 21 तारीख	724	144
33.	हिम्मतपुरा	प्रत्येक माह की 21 तारीख	600	132
34.	देवराजगढ़	प्रत्येक माह की 24 तारीख	682	135
35.	खारी बेरी	प्रत्येक माह की 24 तारीख	474	179
	योग		**16327**	**5527**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में तहसील शेरगढ़ में पांच पशु बांझ निवारण शिविरों का आयोजन कर पशुओं एवं पशुपालकों को लाभान्वित किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	अवधि	लाभान्वित पशु संख्या	लाभान्वित पशुपालक संख्या
1.	सेतरावा	23 व 24.9.11	130	34
2.	देचू	19 व 20.9.11	401	38
3.	खुडियाला	26 व 27.9.11	180	48
4.	केतूमदा	19 व 20.9.11	141	53
5.	बालेसर	23 व 24.9.11	111	28

बामनवास की निर्माणाधीन सड़कें

536. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र की बोरदा से पीपल्दा व बास की पुलिया से वाया पीपलवाडा होते हुए हिन्दुपुरा की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं तो क्यों और अब उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में निर्माणाधीन सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। बोरदा से पीपल्दा सड़क उन्नयन कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. में स्वीकृत है। इस कार्य का कार्यादेश मैसर्स इन्द्रजीत सिंह जादौन को जारी किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ दिनांक 19.05.2010 व पूर्ण करने की दिनांक 18.03.2011 नियत थी। संवेदक द्वारा 8.8 कि.मी. लम्बाई में बी.टी. कार्य पूर्ण करने के पश्चात् माह मार्च, 2011 से कार्य बन्द कर रखा है। उक्त निर्माण कार्य हेतु संवेदक से अनुबन्ध, दिनांक 30.09.2011 को

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

टर्मिनेट कर दिया गया है एवं शेष कार्य हेतु तकनीकी निविदा दिनांक 10.04.2012 एवं वित्तीय निविदा दिनांक 12.04.2012 को प्राप्त कर ली गई है। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा स्वीकृति एवं कार्यादेश दिये जाने के पश्चात्, शेष कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बास की पुलिया से वाया पीपलवाड़ा होते हुए हिन्दुपुरा सड़क उन्नयन कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत गंगवाड़ा से जोलन्दा (जिसमें बहनोली, हिन्दुपुरा, जटावती, डिडवाड़ी, बडेदिया आदि गांव आते हैं) के नाम से स्वीकृत है। इस कार्य का कार्यादेश मैसर्स पी.आर.एल. प्रोजेक्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली को जारी किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ दिनांक 29.05.2010 व पूर्ण करने की दिनांक 28.03.2011 नियत थी। संवेदक द्वारा वाईडनिंग हेतु सड़क के दोनों ओर ग्रेवल व डब्यू.बी.एम. स्तर तक आंशिक कार्य करने के पश्चात् माह सितम्बर, 2011 से कार्य बन्द कर रखा है। संवेदक से अनुबन्ध, दिनांक 28.03.2012 को टर्मिनेट कर दिया गया है एवं शेष कार्य हेतु पुनः निविदा, अतिरिक्त मुख्य। अभियन्ता, सम्भाग भरतपुर द्वारा दिनांक 30.05.2012 को प्राप्त की जावेगी। निविदा प्राप्ति एवं कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् शेष कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में निर्माणाधीन सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	विशेष विवरण
1.	गालद सड़क से माताजी मंदिर कोडयाई	धार्मिक स्थल/ आर.आई.डी.एफ.- सोलह/2010-11	20.06	1.00	कार्य प्रगति पर
2.	भेडोली से सेवानन्द आश्रम		38.62	1.50	कार्य प्रगति पर
3.	सडक निर्माण कार्य जस्टाना से सुन्दरपुर तेजाजी के स्थान तक		210.68	8.00	कार्य प्रगति पर
4.	बोरदा से पीपल्दा सड़क	पीएमजीएसवाई	496.61	22.00	संवेदक द्वारा 8.8 किमी. बी.टी. कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च, 2011 से कार्य बंद है एवं दिनांक 30.09.2011 को मूल संवेदक से अनुबंध को टर्मिनेट कर दिया गया है। शेष कार्य हेतु पुनः निविदा प्राप्त कर ली गई है एवं निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	विशेष विवरण
5.	गंगवाडा से जोलन्दा सड़क		345.43	15.00	संवेदक द्वारा वाइडनिंग हेतु सड़क के दोनों ओर ग्रेवल व डब्लयू.बी.एम. स्तर तक कार्य करने के पश्चात माह सितम्बर, 2011 से कार्य बंद है। मूल संवेदक से अनुबंध को दिनांक 28.03.12 को टर्मिनेट कर दिया गया है एवं शेष कार्य हेतु पुन: निविदा आमंत्रित कर ली गई है, जो कि दिनांक 30.05.12 को प्राप्त की जावेगी।

जैसलमेर जिले के जवाहिर चिकित्सालय का अपूर्ण चारदीवारी निर्माण कार्य

537. **श्री छोटूसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के एक मात्र सरकारी चिकित्सालय जवाहिर चिकित्सालय के परिसर क्षेत्र में चारों ओर पूर्ण चारदीवारी नहीं है इसलिये आये दिन आवारा पशुओं का आतंक रहता है?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय की चारदीवारी पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर की चारदीवारी की लम्बाई लगभग 1100 मीटर एवं ऊंचाई 4 फीट है। जो पुरानी एवं जगह-जगह से टूटी हुई है तथा सडक ऊंची होने के कारण पशु कूदकर चिकित्सालय के परिसर में अन्दर आ जाते हैं।

(2) नगरपालिका जैसलमेर ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में उक्त चिकित्सालय की चारदीवारी को ऊंचा करने के लिए 20 लाख रुपये प्रस्तावित किये हुए हैं। प्रस्ताव परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, जैसलमेर

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम वार्षिक योजना वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	वार्ड सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	कुल राशि	एससी/ एसटी क्षेत्र में विकास कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	1	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र जैसलमेर की चारदीवारी निर्माण कार्य	5.00		

1	2	3	4	5	6
2.	1	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र जैसलमेर में विकलांगों के अंग उपकरण निर्माण हेतु वर्कशाप हेतु ऊपरी मंजिल विस्तार कार्य	30.00		
3.	1	श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर की चारदीवारी को ऊंचा करने कार्य	20.00		
4.	1	श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर में शौचालय मरम्मत कार्य	40.00		
5.	1	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर परिसर में डामरीकरण कार्य	10.00		
6.	1	रा.उ.प्रा.वि. नं. 04 में हाल, टायलेट एवं फर्श निर्माण कार्य	15.00		
7.	1	रा.उ.प्रा.वि. पुलिस लाइन में कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	10.00	197.00	
8.	1	रा.उ.श.सा. गोपा सी. सै. वि. जैसलमेर में सुलभ काम्पलेक्स निर्माण कार्य	20.00		
9.	1	डा. के. एल. अचलवंशी कालोनी में रा.बा.उ.म.वि. लौहारवास में प्रधानाध्यापक कार्यालय निर्माण कार्य	10.00		
10.	1	रा.अ.श.सा. गोपा सी. सै. वि. जैसलमेर की चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने एवं अन्य विकास कार्य	10.00		
11.	1	रा.उ.प्रा.वि. पुलिस लाइन जैसलमेर की चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने एवं अन्य विकास कार्य	10.00		

1	2	3	4	5	6
12.	1	जीएडी कालोनी में रिकारपेटिंग कार्य	10.00		
13.	1	जिला पुस्तकालय भवन का आवश्यक मरम्मत कार्य	7.00		
14.	2	एयरफोर्स रोड पर फुटपाथ निर्माण कार्य	15.00	35.00	
15.	2	एयरफोर्स रोड पर रिकारपेटिंग कार्य	20.00		
16.	3	गडीसर पोल के अन्दर हाई मास्क लाइट लगाने का कार्य	10.00		

सहायक अभियन्ता

नगरपालिका जैसलमेर

माहेलावास (जालोर) में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

538. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माहेलावास (जालोर) में करीब 35 किलोमीटर दूरी से विद्युत लाइन आने के कारण बोल्टेज बहुत ही कम आती है, जिस कारण विद्यार्थी रात को नहीं पढ़ सकते हैं?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम में 33/11 के वी ग्रिड सब-स्टेशन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम माहेलावास की विद्युत सप्लाई 15 किलोमीटर दूर स्थित 33/11 केवी सब-स्टेशन दीगांव से की जा रही है। वोल्टेज की कोई शिकायत नहीं है।

(2) ग्राम माहेलावास में 33/11 के वी ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया जाना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से वर्तमान में साध्य नहीं है।

बस्सी (जयपुर) में ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य

539. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(1) तहसील बस्सी, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2010 तक ग्राम पंचायत द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों की निर्माण सामग्री बिल सहित एवं एम.बी. रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2010 तक ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जारी किये गये पूर्णता प्रमाण पत्र एवं जारी करने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त कार्यों के निर्माण सामग्री के बिल एवं एम.बी. रिपोर्ट की प्रतियों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

रावला (अनूपगढ़) में उप-तहसील की स्थापना

540. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला को उप-तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित तहसील घड़साना के रावला कस्बा को माननीय मुख्यीमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में नवीन उप-तहसील के सृजन की घोषणा की गई है।

बूंदी जिले में पशु चिकित्सा कार्मिकों के रिक्त पद

541. श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं

(श्री सी.एल. प्रेमी)

व उक्त में चिकित्सकों एवं अन्य वर्गों के कितने पद स्वीकृत/रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला पशुपालन अधिकारी बूंदी में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बूंदी जिले में 28 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों की चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला स्तरीय कार्यालय उपनिदेशक पशुपालन विभाग, बूंदी में निम्नांकित पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं :-

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	उपनिदेशक	1	0
2	भेड़ बकरी विकास अधिकारी	1	1
3	सहायक भेड़ बकरी अधिकारी	1	1
4	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	1	0
5	पशुधन सहायक	1	1
6	वरिष्ठ लिपिक	1	0
7	कनिष्ठ लेखाकार	1	1
8	कनिष्ठ लिपिक	2	0
9	वाहन चालक	1	0
10	सहायक कर्मचारी	2	0

परिशिष्ट-1

बूंदी जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालय एवं उनमें स्वीकृत तथा रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम चिकित्सालय	व. पशु चिकित्सक		पशु चिकित्सक		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		जलधारी		सफाईकर्ता		गडरिया	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1.	प्र. श्रे. पशु चिकि. बूंदी	1	1	1	0	1	1	4	2	3	0	0	0	1	0	1	0
2.	प्र. श्रे. पशु चिकि. हिण्डोली	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
3.	प्र. श्रे. पशु चिकि. केशोराय पाटन	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4.	पशु चिकित्सालय नैंनवा	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5.	पशु चिकित्सालय इन्द्रगढ़	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	प्र.श्रे. पशु चिकि. तालेडा	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
7	पशु चिकित्सालय बसोली	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
8	पशु चिकित्सालय बाजड	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
9	पशु चिकित्सालय देहीत	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10	पशु चिकित्सालय गामछ	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	पशु चिकित्सालय कापरेन	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
12	पशु चिकित्सालय बड़ाखेड़ा	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	पशु चिकित्सालय देहीखेडा	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
14	पशु चिकित्सालय गेण्डोली	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
15	पशु चिकित्सालय बांसी	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
16	पशु चिकित्सालय समिधी	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
17	पशु चिकित्सालय देई	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
18	पशु चिकित्सालय अजेता	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
19	पशु चिकित्सालय दबलाना	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	पशु चिकित्सालय गोठडा	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
21	पशु चिकित्सालय नमाना	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
22	पशु चिकित्सालय डाबी	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
23	पशु चिकित्सालय लाखेरी	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
24	पशु चिकित्सालय जयस्थल	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
25	पशु चिकित्सालय अरनेठा	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
26	पशु चिकित्सालय करवर	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	पशु चिकित्सालय गरड़दा	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
28	पशु चिकित्सालय रायथल	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**6**	**4**	**23**	**4**	**6**	**6**	**33**	**11**	**29**	**4**	**9**	**0**	**19**	**1**	**1**	**0**

अलवर जिले की निर्माणाधीन सड़कों की भौतिक स्थिति

542. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में जिला अलवर में सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किन-किन कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच/शिकायत/अभियोग विचाराधीन है? सम्बन्धित कार्य तकनीकी अधिकारी, फर्म, कार्य का तखमीना, माप पुस्तिका में इन्द्राज की प्रति व दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के अधीन जिले में संचालित कार्यों पर संवेदकों द्वारा कार्य के प्रारम्भ कराये जाने तक कार्य का नाम, लागत, संवेदक का नाम एवं अन्य तकनीकी मानदण्डों का प्रदर्शन हेतु संवेदकों द्वारा बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य पहलुओं की जानकारी से क्षेत्र के निवासी अनभिज्ञ रहते हैं और कार्य की गुणवत्ता संवेदक मनमर्जी से न्यूनतम स्तर की करते हैं? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता है? भविष्य में सरकार की तकनीकी बिन्दुओं के प्रदर्शन एवं संवेदकों की मनमर्जी के संबंध में क्या कार्य योजना है?

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जिला अलवर में गत दो वर्षो (वर्ष 2010-11 व 2011-12) में स्वीकृत कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) अलवर जिले में कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धित जांच/शिकायत का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है। शिकायतों से सम्बन्धित कार्यों के तकमीना, माप पुस्तिका आदि की प्रति एक भारी दस्तावेज है, अतः माननीय विधायक द्वारा कार्य विशेष की प्रति चाहने पर अविलम्ब उपलब्ध करा दी जावेगी।

(3) जी नहीं। भविष्य में भी सरकार की तकनीकी बिन्दुओं के प्रदर्शन

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं संवेदकों को मनमर्जी न करने देने हेतु निर्माण कार्य की सम्पूर्ण जानकारी दीवार/बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी तथा संवेदक व अधिकारियों के मोबाइल नम्बर भी लिखे जावेंगे तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में विभाग की सड़कों की वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। अधिकांशतः क्षतिग्रस्त सड़कों पर नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत हैं तथा प्रगतिरत हैं। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धरता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रींगस नगरपालिका के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विद्युत दर पर वसूली

543. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की नगरपालिका रींगस का एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका रींगस के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आमजन को घरेलू बिजली नगरीय दर पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि बिजली मिलती है ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगरपालिका रींगस के समस्त ग्रामीण क्षेत्र को सिटी लाइन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जब तक सिटी लाइन से विद्युत की उपलब्धता नहीं हो, तब तक बिजली की दर ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगरपालिका रींगस के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ढाणियां, रींगस कस्बे से दूरदराज में छितरी हुई होने के कारण यहां शहरी क्षेत्र के समान विद्युत

(ऊर्जा मंत्री)

आपूर्ति देने हेतु विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे इन ढाणियों में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्र के अनुरूप विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है एवं नगरीय दर पर ग्रामीण फीडरों से ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) नगरपालिका रींगस का अधिकांश क्षेत्र सिटी फीडर से जुडा हुआ है परन्तु शेष रहे क्षेत्र को तकनीकी कारणों से सिटी फीडर से जोडा जाना सम्भव नहीं है।

(4) सिटी लाइन से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं दे पाने तक इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 881 घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रामीण दर से ही बिलिंग करवाने हेतु सम्बन्धित बिलिंग एजेंसी को निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही बिलिंग चक्रानुसार ग्रामीण दर से विद्युत विपत्र जारी करवा दिये जायेंगे। जो राशि अधिक चार्ज कर ली गई है वह वापस समायोजित करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम

918. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति रूपवास के गांव बहरावली, मदरियापुरा, पागी का नगला, दौलतगढ़ एवं गहनौजी पेयजल समस्याग्रस्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों हेतु पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक बनाकर पूर्ण करा दी जावेगी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, नदबई (भरतपुर) के वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) ग्राम बहरावली: हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित ग्राम बहरावली (जनसंख्या वर्ष 2001-1502) में स्थापित एवं क्रियाशील 8 हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में समस्या नहीं है।

(ब) ग्राम मदरियापुरा: हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम मदरियापुरा (जनसंख्या वर्ष 2001-366) में स्थापित एवं क्रियाशील 6 हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में समस्या नहीं है ।

(स) जंगी का नगला (ग्राम दौलतगढ़ की अन्य हैबिटेशन), दौलतगढ़ एवं गहनौली: क्षेत्रीय जल योजना, गहनोली-दौलतगढ़ से लाभान्वित जंगी का नगला (जनसंख्या वर्ष 2001-253) में स्थापित एवं चालू एक नलकूप से जंगी का नगला तथा ग्राम गहनौली में निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त जंगी का नगला एवं गहनौली ग्राम में क्रमश: स्थापित एवं क्रियाशील 4 एवं 9 हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जंगी का नगला में उक्तानुसार स्थापित नलकूप में पानी की आवक कम होने के कारण ग्राम दौलतगढ़ (जनसंख्या वर्ष 2001-1173) में नलकूप से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है परन्तु ग्राम में विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा आबादी अनुरूप पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील क्रमश: 8

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

एवं 4, कुल 12 हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में कोई समस्या नहीं है ।

उक्तानुसार नलकूप से जल उत्पादन में हुई कमी को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम दौलतगढ़ में एक अन्य नलकूप एवं इससे सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं । सक्षम स्तर पर प्राप्त होने पर इनकी स्वीकृति जारी करने के उपरांत इसी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन पूर्ण करना प्रस्तातवित है।

(2) उपरोक्तानुसार ।

जोधपुर शहर के घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध व्यावसायिक दर से वसूली

919. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के घर के बाहर कोई व्यावसायिक दुकान है, तो उसका पानी का बिल व्यावसायिक श्रेणी से वसूल किया जा रहा है, चाहे व्यवसायी उस पानी का उपयोग ही नहीं कर रहा हो? यदि हां, तो जोधपुर में ऐसे कितने व्यवसायी हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय उपभोक्ता मंच का फैसला दिनांक 20 अप्रैल, 2005 के तहत जिसमें मकान के बाहर मात्र कोई दुकान होने से व्यावसायिक श्रेणी की दर से शुल्क वसूल करना अवैध करार दिया गया है? यदि हां, तो जोधपुर में ऐसे कितने कनेक्शन हैं, जिनकी दुकान है एवं व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं और बिल व्यावसायिक दर का दे रहे हैं? संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में जल सम्बन्धों से की जा रही पेयजल आपूर्ति दरों के सम्बन्ध में मई, 1998 में जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर तदनुसार ही जल शुल्क की वसूली की जा रही है। इस अधिसूचना में ऐसे रिहायशी परिसर जिसमें दुकान आदि संचालित हो रही है, में दुकान हेतु पृथक जल सम्बन्ध लेने की सुविधा उपभोक्ता को प्रदान की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जोधपुर शहर में वर्तमान में कुल 162014 जल सम्बन्ध हैं जिनमें से 12314 जल सम्बन्ध अघरेलू श्रेणी के हैं । वर्तमान में इन अघरेलू जल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सम्बन्धों में से लगभग 1100 जल सम्बन्ध घरों में दुकान आदि होने के कारण इस श्रेणी में परिवर्तित किये गये हैं ।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार । माननीय न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2005 एवं समय-समय पर दिये गये न्यायिक निर्णयों के अन्तर्गत प्रकरण विशेषों में निर्णयानुसार श्रेणी परिवर्तन के आदेशों की पालना की जा रही है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

आमेट (राजसमन्द) कस्बे को बाघेरी नाका से पेयजल आपूर्ति हेतु नवीन पाइप लाइन की स्वीकृति

920. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 में विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के आमेट कस्बे को बाघेरी नाका से नई पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइप लाइन का तखमीना 3.22 करोड का बनाकर सरकार को भिजवाया गया है? क्या उक्त कार्य की सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं देने के कारण अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि बाघेरी नाका का पानी सरदारगढ़ से आमेट को पूर्व में सरदारगढ़ कुए से आमेट कस्बे को पानी देने वाली बहुत पुरानी व जर्जर लाइन को जोड़कर दिया जा रहा है? क्या उक्त पानी की लाइन कम क्षमता व पुरानी तथा जर्जर होने के कारण आये दिन फूटकर पानी बिखर जाता है? क्या उक्त कारण आमेट कस्बे को जलापूर्ति में भारी समस्या उत्पन्न हो रही है?

(4) क्या सरकार नई पाइप लाइन बिछाकर आमेट कस्बे को बाघेरी नाका का पानी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विभागीय वित्त समिति द्वारा माह जनवरी, 2012 में उक्त प्रस्तावों में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालय से अतिरिक्त

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सूचना का समावेश करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में प्राप्त संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में हैं।

(3) विभाग द्वारा सरदारगढ़ स्थित स्वच्छ जलाशय से आमेट कस्बे स्थित स्वच्छ जलाशय तक विद्यमान पाइप लाइन का उचित तरीके से नियमित संधारण करते हुए आमेट कस्बे को वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद रूप से पेयजल आपूर्ति करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार ।

वर्षा जल संरक्षण हेतु कार्य योजना

921. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू नहीं होने के कारण बरसात का लाखों लीटर पानी प्रति वर्ष व्यर्थ बह जाता है?

(2) क्या सरकार राज्य में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नहीं यह सही नहीं है, कि प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू नहीं है। राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश क्र. एफ55(4)पीऐ/एसई/डीएलबी/10/व.जलपुनर्भ/2081-2277 दिनांक 17.05.2010 (संलग्न परिशिष्ट-अ) के तहत शहरी क्षेत्र में स्थित 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर बनने वाले निजी एवं राजकीय भवनों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली बनवाया जाना आवश्यक है । यह प्रक्रिया सम्बन्धित विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप में लागू की जा रही है।

(2) इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार से हैं।

सडकों/चौराहों व फुटपाथ क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त क्षेत्रों में Storm Rain Water Harvesting Structure का निर्माण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करवाया जा रहा है ।

भू-जल विभाग द्वारा राज्य में कुल 287 स्थलों का चयन कर कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसका क्रियान्वयन मनरेगा के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(भू-जल मंत्री)

राज्य में कूप द्वारा भू जल पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत 4615 पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।

राज्य में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय प्लान (2007-12) में भूजल अति दोहित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में "ग्राउण्ड वाटर मेनेजमेन्ट एवं रेगुलेशन" प्लान में वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है ।

केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश क्र.28-7/ CGWA/2011-1302 दिनांक 06.09.2011 से सभी राजकीय एवं केन्द्रीय भवनों पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा भी परिपत्र दिनांक 01.11.2011 को जारी कर पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु समस्त विभागों को आदेशित किया गया है ।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल दिनांकः 17/05/10 पुनर्भ/2081-2277

1. आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधुपर।
3. सचिव
नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

<u>आदेश</u>

विभाग के समसंख्यक आदेश सं.: एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व. जल पुनर्भ./2132-2390 दिनांकः 16.04.10 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. शहरी क्षेत्र में स्थित 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित/नये बनने वाले निजी भवनों में ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली'' (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) बनवाया जाना सुनिश्चित करते हुये इन प्रावधानों को कड़ाई व प्रभावी तरीके से लागू किया जावे।
2. यह सुनिश्चित किया जावे कि शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों/भूखण्डों का वर्षा जल सीवर लाइन में नहीं डाला जाये। उक्त भवनों का वर्षा जल सीवर लाइन में नहीं जाकर खुली नाला-नाली में बहाया जावे। ऐसे वर्षा जल एवं सड़कों, चौराहों व फुटपाथ क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु क्षेत्र के किसी निचले इलाकों (Low Lying Area) में स्थित खाली सथान पर ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली'' (Storm Rain Water Harvesting Structure) का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करवाया जावे।

3. शहरी क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक भवन के सम्पूर्ण भूखण्ड के क्षेत्र, खाली पड़ी भूमि, खेल मैदानों, प्रदर्शनी स्थलों इत्यादि के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु इलाके के किसी उपयुक्त स्थान पर ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली'' (Storm Rain Water Harvesting Structure) का भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. निजी भवनों में एवं खुले स्थानों के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण के लिये ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली'' (Roof top & Storm Rain Water Harvesting Structure) निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिये निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम शहरी स्थानीय निकाय	निजी भवनों में निर्मित की जाने वाली ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.	खुले स्थानों पर निर्मित की जाने वाली ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं'' (Storm Rain Water Harvesting Structure) की सं.	विशेष विवरण
1.	राजस्थान आवासन मण्डल	500	30	
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण	50	30	
3.	नगर विकास न्यास (प्रत्येक)	25	10	
4.	नगर निगम जयपुर	50	10	
5.	नगर निगम (अन्य प्रत्येक)	30	5	
6.	नगर परिषद (प्रत्येक)	20	3	
7.	नगरपालिका (जिला मुख्यालय) (प्रत्येक)	10	2	
8.	नगरपालिका (अन्य)	5	1	

5. उक्त आबंटित लक्ष्यों के अनुसार ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली'' (Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) का निर्माण मानसून आने से पूर्व हर स्थिति में 30 जून, 2010 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त कार्यों की निगरानी हेतु जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिये आयुक्त, नगर विकास न्यास के लिये सचिव व नगर निकायों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। ''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना'' (Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के निर्माण हेतु उक्त प्रावधानों को कड़ाई एवं प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये तथा उपरोक्तानुसार लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी होंगे एवं उक्त प्रावधानों की सूचना प्रतिमाह नोडल अधिकारी को भिजवाई जावे।

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर न्यास के लिये उप शासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास विभाग व नगर निकायों के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा कार्य की सुपरविजन, मानिटरिंग व सूचना संकलित करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा संकलित की गई सूचनायें प्रतिमाह में निदेशालय स्थानीय निकाय को प्रेषित की जावेगी।

''वर्षा जल पुनर्भरण संरचना (Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के प्रावधान यदि लागू नहीं होते हैं, तो निगरानी के लिये जिम्मेदार अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

जी.एस. संधू
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

सीकर जिले की नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु कार्य योजना

922. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या सम्पदा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी नजूल सम्पत्तियां हैं एवं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है तथा आज के बाजार भाव के अनुसार उनका मूल्य कितना है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में कौन-कौनसी नजूल सम्पत्ति कहां-कहां स्थित है एवं उनमें से कौन-कौनसी सम्पत्तियां अनुपयोगी हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुपयोगी नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 3028 नजूल सम्पत्तियां हैं। वर्तमान में कुछ नजूल सम्पत्तियां राजकीय विभागों के कार्य उपयोग में आ रही हैं। अधिकांश नजूल सम्पत्तियों पर किरायेदार/अतिक्रमी काबिज है। कुछ नजूल सम्पत्तियां रिक्त हैं, जिन्हें नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। चूंकि नजूल सम्पत्ति की बाजार दर (डी.एल.सी. दर) समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है, अत: नजूल सम्पत्तियों के मूल्यांकन का कार्य नियमानुसार नजूल सम्पत्तियों के विक्रय/नीलामी के समय प्रचलित बाजार दर पर किया जाता है। जिलेवार नजूल सम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला सीकर से सम्बन्धित नजूल सम्पत्तियों की सूची मय विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) अनुपयोगी नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम 1971 के अन्तर्गत किया जाता है। नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है, अत: सम्पत्तियों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-अ

प्रदेश में कुल नजूल सम्पत्तियों की संख्या का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल नजूल सम्पत्तियां	मूल्यांकन
1	2	3	4
1.	अजमेर	280	—
2.	अलवर	154	—
3.	बांसवाड़ा	0	—
4.	बारां	30	—
5.	बाड़मेर	0	—
6.	भरतपुर	472	—
7.	भीलवाड़ा	15	—
8.	बीकानेर	11	—
9.	बून्दी	328	—
10.	चित्तौड़गढ़	19	—
11.	चूरू	101	—
12.	दौसा	138	—
13.	धौलपुर	79	—
14.	डूंगरपुर	7	—
15.	गंगानगर	7	—
16.	हनुमानगढ़	22	—
17.	जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर	203 290	—
18.	जैसलमेर	136	—
19.	जालोर	5	—
20.	झालावाड़	55	—

1	2	3	4
21.	झुंझुनूं	12	—
22.	जोधपुर	142	—
23.	करौली	159	—
24.	कोटा	140	—
25.	नागौर	44	—
26.	पाली	11	—
27.	प्रतापगढ़	1	—
28.	राजसमन्द	3	—
29.	सवाईमाधोपुर	72	—
30.	सीकर	4	—
31.	सिरोही	13	—
32.	टोंक	65	—
33.	उदयपुर	10	—
	कुल	**3028**	

परिशिष्ट-ब

सीकर जिले में अवस्थित नजूल सम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	नजूल सम्पत्ति का विवरण	अवस्थित ग्राम का नाम	वर्तमान स्थिति	वर्तमान बाजार दर (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	पटवार घर थोई (श्रीमाधोपुर) के दक्षिण में बाजार की दुकानों के बीच दुकान (490 वर्गफुट)	थोई	दिनांक 04.12.1992 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर कोषाधिकारी, सीकर, कनिष्ठ अभियंता, सा.नि.वि. कांवट द्वारा नीलामी की कार्यवाही मौके पर की गई, जिसमें नीलामी की अंतिम बोली श्री राधेश्याम गुप्ता, कोषाध्यक्ष, रामलीला परिषद् थोई के पक्ष में रु. 5121/- रही थी, जो सम्पूर्ण राशि जमा है।	3,65,952
2.	पटवार घर थोई (श्रीमाधोपुर) के पूर्व में बाजार की दुकानों के बीच दुकान (318 वर्गमीटर)	थोई	दिनांक 04.12.1992 को मौके पर नीलामी आयोजित की गई। अंतिम बोली प्रभातीलाल पुत्र जगदीश नि. थोई के पक्ष में रु. 21800/- रही, जिसे अंतिम बोली के रूप में स्वीकार कर बोलीदाता से नियमानुसार बोली राशि का 1/4 भाग रु. 5500/- जमा किये गये।	2,33,282

1	2	3	4	5
			क्र. सं. 1 व 2 पर अंकित दोनों ही भू-खण्डों की राशि जमा होने पर जमा राशि की जीए 55 की रसीद 9 व 10 काटी जाकर राशि राजकोष में जमा है। परन्तु उक्त नीलामी का अंतिम निस्तारण नहीं हो सका है। इसके पश्चात् दिनांक 28.7.1993 एवं 03.11.1995 को ग्राम थोई में उक्त दोनों भू-खण्डों की नीलामी आयोजित की गई, जिसमें कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 13.12.2000 एवं दिनांक 03.04.2001 को भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तहसील कार्यालय में ही नीलामी की कार्यवाही की गई, लेकिन कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ।	
3.	ग्राम अजीतगढ़ (श्रीमाधोपुर) में एक दुकान	अजीतगढ़	सामान्य स्थिति में है।	7,01,730
4.	ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ में पुरानी पुलिस चौकी	पाटोदा	भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, जिसका क्षेत्रफल 1265 वर्गमीटर है।	4,35,000

सीकर जिले में अवस्थित नजूल सम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	नजूल सम्पत्ति का विवरण	अवस्थित ग्राम का नाम	उपयोगी/अनुपयोगी सम्बन्धी विवरण
1.	पटवार घर थोई (श्रीमाधोपुर) के दक्षिण में बाजार की दुकानों के बीच दुकान (490 वर्गफीट)	थोई	दुकान बंद पड़ी है।
2.	पटवार घर थोई (श्रीमाधोपुर) के पूर्व में बाजार की दुकानों के बीच दुकान (318 वर्गफुट)	थोई	दुकान बंद पड़ी है।
3.	ग्राम अजीतगढ़ (श्रीमाधोपुर) में एक दुकान	अजीतगढ़	दुकान बंद पड़ी है।
4.	ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ में पुरानी पुलिस चौकी	पाटोदा	जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

चौमूं तहसील के राजस्व ग्राम

923. श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तहसील चौमूं के राजस्व ग्रामों की जनसंख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्व ग्रामों की जनसंख्या अभी तैयार नहीं हो पायी है। अतः प्रश्नगत सूचना अभी उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

जोधपुर के राजस्व ग्रामों के नियमन हेतु करवाया गया सर्वे

924. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में 16 राजस्व गांवों के नियमन हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा दल गठित कर सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो उक्त सर्वे कब करवाया गया? उक्त समस्त प्रक्रिया हेतु जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों की प्रति सहित उसकी पालना में बनाई गई सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सर्वे कार्य की विडियोग्राफी भी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करवाई गई थी? यदि हां, तो उक्त विडियोग्राफी की सोफ्ट कापी सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नियमन प्रक्रिया के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कुल कितनी बार परिवर्तन किया गया और प्रत्येक क्रमागत परिवर्तित नियमन आदेश द्वारा कितने-कितने नियमन किये गये?

(4) उक्त नियमन हेतु 31 दिसम्बर, 1980 तक की तहसील कार्यालय से हल्का पटवारी द्वारा 16 राजस्व गांवों की अतिक्रमी की टी.पी. सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त 16 राजस्वए गांवों किन-किन खसरा नम्बरों पर बसे हुए हैं, प्रत्येक राजस्व गांव वार बसावट के खसरों का विवरण सदन के मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला कलक्टर जोधपुर ने जोधपुर में 16 राजस्वो गांवों के नियमन हेतु दल गठित कर माह फरवरी, 1986 में सर्वे करवाया गया था। उक्त समस्त प्रक्रिया हेतु जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों एवं इसकी पालना में बनाई गई सूची की छायाप्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त नियमन प्रक्रिया के लिये जारी दिशा-निर्देशों में कुल 9 बार परिवर्तन किया गया। प्रत्येक क्रमागत परिवर्तित नियमन आदेश द्वारा किये गये नियमानों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	आदेश का विवरण	नियमन आदेशों की संख्या
1	2	3
1	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 7/9/01	4975
2	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनाक 29/11/01	
3	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 28/12/01	
4	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनाक 11/1/02	

(राजस्व मंत्री)

1	2	3
5	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 15/4/02	
6	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 6/10/03	4975
7	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 4/1/08	268
8	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 3/7/09	4
9	प. 8 (264) नविवि/88 पार्ट जयपुर दिनांक 30/6/10	-

(4) तहसील कार्यालय के रेकार्ड में ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है।

(5) 16 राजस्व गांव जिन खसरों पर बसे हुए हैं, उनकी सूची व 16 गावों में से 15 गांवों के लट्ठा नक्शें की छायाप्रति संलग्न है।

एक गांव गैंवा का लट्ठा नक्शा अत्यन्त जीर्णशीर्ण अवस्था में होने से छायाप्रति कराने योग्य नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर जिले के राजस्व शिविरों में आबंटित कृषि भूमि का नियमन

925. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर के ग्रामों में गत 5 वर्षो के दौरान आयोजित राजस्व शिविरों में कृषि प्रयोजनार्थ कितनी भूमि आबंटन/नियमन की गई तथा उक्त शिविरों में आवंटित/नियमित हुई कितनी भूमि का रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है? प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के उप खण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गैर खातेदारी से खातेदारी देकर म्यूटेशन खोलने में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर प्रकरणों को लम्बित किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्रवार, उप खण्डवार ऐसे लम्बित प्रकरणों एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम डूडी)

(3) क्या सरकार उक्त जिले में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन करने हेतु तहसील स्तर पर नियमन कमेटी की बैठक आयोजित कर किसानों को राहत देने एवं अब तक गैर खातेदारी अधिकार पा चुके किसानों को खातेदारी अधिकार देते हुए प्रत्येक कृषक खातेदार का म्यूटेशन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले 5 वर्षो में आयोजित राजस्व शिविरों में तहसील नागौर, मेड़ता, डीडवाना, लाडनूं, जायल, परबतसर, मकराना व नावां में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन/नियमन नहीं किया गया है। तहसील खींवसर के विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में चेनाराम पुत्र लिछमणराम व चम्पा पत्नी चेनाराम जाट निवासी रामसर को 15 बीघा भूमि आबंटन किया गया, जिसका म्यूटेशन सं. 235/27.3.12 दर्ज कर राजस्वम रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। तहसील डेगाना विधान सभा डेगाना में 90 प्रकरणों में 102 काश्तकारों को 650.04 बीघा भूमि का नियमन किया गया तथा 2 काश्तकारों को 15 बीघा भूमि आबंटन किया गया तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया। आबंटित व नियमन किये गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(2) जिले में 5 वर्षों के दौरान तहसील परबतसर में एक गैर खातेदार था, जिसको खातेदारी अधिकार दे दिया गया। कोई प्रकरण शेष नहीं है। किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध इस बीना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) जी नहीं। गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान करने की प्रक्रिया राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आबंटन) नियम, 1970 के नियम 18 में वर्णित है। इस हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नसीराबाद में घटिया बीज आपूर्ति से प्रभावित किसानों को मुआवजा

926. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीज रथ यात्रा (खरीफ 2011) के दौरान वितरित किये गये बीज उच्च श्रेणी (गुणवत्ता) का नहीं होने से फसल में

(श्री महेन्द्र सिंह)

किसानों को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में इससे कितने किसान प्रभावित हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ 2011 में बीज रथ यात्रा के दौरान वितरित किये गये बीज की गुणवत्ता के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार श्री गुमान सिंह वर्मा पुत्र श्री कुन्दनमल, ग्राम कानपुरा, पंचायत समिति, श्रीनगर ने राजस्थान स्टेट सीडस कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्वार की किस्म RGC-1066 का बीज क्रय कर बोया गया था, जिसमें अधिक बढवार एवं कम फलियां लगने की शिकायत की गई थी। प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में जलवायुवीय परिस्थितियों (लगातार एवं अत्यधिक वर्षा) को मुख्य कारण माना गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति सलंग्न है।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

(3) जी नहीं। जांच में कम पैदावार होना, जलवायुवीय परिस्थितियों (लगातार एवं अत्यधिक वर्षा) को मुख्य कारण माना है।

संलग्नक

ग्राम कानपुरा पंचायत समिति श्रीनगर के श्री गुमान सिंह पुत्र श्री कुन्दनभल द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

1. कृषि निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ 24 (11) आ. कृ./09-10 2688-2846 दि. 23.6.09 द्वारा गठित स्टेण्डिंग कमेटी के सदस्यों ने ग्राम कानपुरा, पंचायत समिति श्रीनगर शिकायतकर्ता किसान के यहां दि. 4.11.2011 को अवलोकन किया। कमेटी के समक्ष शिकायतकर्ता किसान ने बीज की खाली थैलियां व मूलचन्द भगवानसहाय, केसरगंज, अजमेर के यहां से बीज क्रय की रसीद प्रस्तुत की गई, जिस पर ग्वार आर.जी.सी.-1066 राजस्थान राज्य बीज निगम लि. नामांकित है।
2. कमेटी ने मौके पर किसान के खेत पर जाकर पाया कि बोयी गई

ग्वार की फसल की कटाई हो चुकी थी तथा फसल वहां से हटाकर किसान ने अपने नौहरे में रख दिया है।

3. कमेटी ने नौहरे में जाकर कटी हुई ग्वार की फसल का अवलोकन किया तथा पाया कि पौधे बिना शाखाओं वाले जिनकी ऊंचाई 100 से 120 से.मी. है तथा पौधों में 30 से 40 से.मी. के बाद फलियां लगी हुई थीं, पाये गये।

निष्कर्ष:-

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए स्टैण्डिंग कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्वार का बीज जो कि राज. राज्य बीज निगम लि. द्वारा उपलब्ध कराया गया, वह आर.जी.सी.-1066 किस्म के गुणों से मेल खाता है। ग्वार की आर.जी.सी.-1066 किस्म के पौधों के वानस्पतिक वर्णन निम्न प्रकार है:-

1. बिना शाखाओं वाली किस्म।
2. ऊंचाई लगभग 80-100 से.मी.।
3. फूल हल्के गुलाबी कलर के 30-35 दिन बाद आते हैं।
4. पौधों में फूलों/फलियों के गुच्छे 5 से.मी. के बाद शुरू हो जाते हैं।

कृषक ने कम फलियां लगना एवं कम पैदावार प्राप्त होने की शिकायत की गई है जिसके लिए माह अगस्त एवं सितम्बर 2011 की जलवायुवीय पारिस्थितियों (लगातार एवं अत्यधिक वर्षा) को मुख्य कारण माना जा सकता है।

रामवतार गुप्ता
उपनिदेशक कृषि (शस्य)
कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि
जयपुर खण्ड जयपुर

भंवर सिंह राठौड़
सहायक प्राध्यापक (शस्य)
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र
तबीजी, अजमेर

एस.बी. माथुर
संयंत्र प्रबन्धक
राज. राज्य बीज निगम लि.
तबीजी, अजमेर

पी.सी. शर्मा
कृषि अनुसंधान अधि. (शस्य)
कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद, अजमेर

बारां जिले की चम्बल की दायीं मुख्य नहर से सिंचित भूमि

927. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर से बारां जिले की किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांवों की भूमि सिंचित हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में कितने-कितने कृषकों की कितनी-कितनी भूमि वर्ष 2001 से 2011 तक सिंचित हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में चम्बल की दायीं मुख्य नहर व इसकी वितरिकायें कितनी-कितनी लम्बाई में किस-किस गांव से होकर निकल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र की दायीं मुख्य नहर से बारां जिले के 116 ग्रामों की भूमि सिंचित होती है। विवरण सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्षवार कृषकों की संख्या व सिंचित क्षेत्र का विवरण सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बारां जिले के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर 64 किमी, तीन ब्रांच-पलायथा सब ब्रांच, इटावा ब्रांच एवं अयाना ब्रांच जिनकी लम्बाई 55.30 किमी एवं 7 वितरिकायें-धतुरियां, सरकन्या, नवलपुरा, शाहपुरा, जलोदा, मऊ एवं किशनपुरा जिनकी लम्बाई 44.79 किमी. है। वितरिका प्रणाली से निकलने वाली समस्त नहरों की लम्बाई एवं ग्रामों का विवरण सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में स्थापित ट्रोमा सेन्टर का संचालन

928. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में ट्रोमा सेन्टर का उदघाटन किया गया था? यदि हां, तो उक्त ट्रोमा सेन्टर पर कुल कितनी राशि व्यय हुई?

(2) उक्त ट्रोमा सेन्टर में कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(3) क्या उक्त ट्रोमा सेन्टर वर्तमान में संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त ट्रोमा सेन्टर को अब विधिवत प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय जिला चिकित्सालय, बाड़मेर के ट्रोमा सेन्टर के निर्माण कार्य पर राशि रुपये 72.29 लाख व्यय हुये हैं।

(2) उक्त ट्रोमा सेन्टर में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव के कारण उक्त ट्रोमा सेन्टर चालू नहीं हो पाया है।

(4) जी हां। राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के ट्रोमा सेन्टर यूनिट को प्रारम्भ करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

राजकीय जिला चिकित्सालय, बाड़मेर के ट्रोमा सेन्टर में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	—	—
2	चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर सर्जरी)	2	1	1	राजकीय चिकित्सालय बालोतरा में कार्य सम्पादन हेतु लगा रखा है।
3	चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर अस्थि रोग)	3	—	3	—
4	नर्स श्रेणी द्वितीय	10	10	—	—

दांतारामगढ़ के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र

929. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम पृथ्वीपुरा, खण्डेलसर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय नयाबास, राड की ढाणी में 5 किलोमीटर तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार उक्त गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) अब दांतारामगढ़ के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दातांरामगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पृथ्वीपुरा से उप स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल एवं अभयपुरा लगभग 4 किलोमीटर, ग्राम खण्डेलसर से उप स्वास्थ्य केन्द्र, सवाईपुरा लगभग 4 किलोमीटर, ग्राम नयाबास से उप स्वास्थ्य केन्द्र, दुधवा लगभग 4 किलोमीटर एवं ग्राम राड की ढाणी से उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुडियावास लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पृथ्वीपुरा पंचायत समिति पिपराली तथा ग्राम खण्डेलसर, नयाबास एवं राड की ढाणी पंचायत समिति दांतारामगढ़ के अन्तर्गत आते हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2012-2013 में 3 हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र आगामी 2 वर्षों में खोले जाने की घोषणा की गयी है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार उक्त ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जावेंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के अन्तर्गत वर्तमान में 23 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित है, जिनमें से 6 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जारी हो गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चूरू जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को आबंटित राशि

930. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार की ओर से संचालित एन. आर. एच. एम. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को राशि का विभिन्न मदों में आबंटन किया जाता है? यदि हां, तो चूरू जिले को उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में एन आर एच एम योजना के तहत परिवार कल्याण कार्यालय एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा आबंटित राशि का उपयोग उक्त कार्यालयों द्वारा किन-किन कार्यों में किया गया? वर्षवार आबंटन एवं कार्यवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आबंटित राशि का अंकेक्षण करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक कब-कब अंकेक्षण किया गया और अंकेक्षण में क्या कमियां पाई गई? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अंकेक्षण में गम्भीर अनियमिततायें पाई गई हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध अनियमितताओं हेतु कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत चूरू जिले को वर्ष 2009-2010 से फरवरी, 2012 तक आबंटित की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चूरू जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत परिवार कल्याण कार्यालय एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2009-2010 से फरवरी, 2012 तक आबंटित की गई राशि तथा इसमें से व्यय की गई राशि का वर्षवार आबंटन एवं कार्यवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। आबंटित राशि का सनदी अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण मिशन के प्रारम्भ से अर्थात वर्ष 2005-2006 से ही कराया जा रहा है तथा वर्ष 2010 से आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था भी प्रारम्भ की गई है।

अप्रैल 2009 से मार्च 2011 तक का आंतरिक अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है जिसमें पाई गई कमियां निम्नानुसार हैं :-

1. भुगतान की प्राप्ति रसीद का अभाव
2. प्राप्त राशि के उपयोग का अभाव
3. मिठाई एवं नाश्ते पर अनियमित व्यय।
4. मेडिकल मोबाईल यूनिट को अनियमित भुगतान।
5. (I) मोबिलीटी मद में बरती गई अनियमितताऐं।
   (II) मोबिलीटी मद में संदिग्ध यात्रायें।
6. डीप बुरीयल पिट्स पर अनियमितता।
7. आकस्मिक व्यय बिलों में सामान्य अनियमिततायें।
8. स्टाक पंजिका में सामग्री अंकन का अभाव।
9. रिकार्ड प्रस्तुत करने का अभाव।
10. यात्रा बिलों में अनियमित भुगतान।
11. आईडीएसपी योजना के यात्रा बिलों में अनियमित भुगतान।

उक्त. अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

सनदी लेखाकार द्वारा भी वर्ष 2005-2006 से अब तक नियमानुसार वैधानिक अंकेक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2009 के उपरान्त सनदी लेखाकार द्वारा किये गये अंकेक्षण के प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 की प्रतियां परिशिष्ट-द एवं य पर प्रस्तुत है।

(4) अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति, चूरू से प्रथम अनुपालना चाही गई है। प्रथम अनुपालना प्राप्त होते ही नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

भोपालगढ़ के चिकित्सालयों में वार्ड ब्वॉयों हेतु आवास व्यवस्था

931. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के भोपालगढ़, आसोप, रतकूडिया एवं खांगटा के चिकित्सालयों में वार्ड बाय के आवास नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में वार्ड बायों के लिए आवास बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ़ एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खांगटा में वार्ड बाय के क्रमशः 1 एवं 2 आवास गृह निर्मित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसोप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतकूंडिया में वार्ड बाय के आवास गृह निर्मित नहीं हैं।

(2) चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/आवश्यक्तानुसार उक्त चिकित्सा संस्थानो में वार्ड बाय की आवास गृह निर्मित करवाये जाने के प्रयास किये जावेंगे।

नोहर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वरिष्ठ चिकित्सकों के रिक्त पद

932. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जन, महिला चिकित्सक आदि नहीं होने के कारण मरीजों को बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण मरीजों को सिरसा, हिसार, हनुमानगढ़ आदि जगहों पर जाकर इलाज करवाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार जिला मुख्यालय के बाद सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शय्याओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(4) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर में कनिष्ट विशेषज्ञ सर्जरी एवं स्त्री रोग के पद रिक्त हैं। पृथक से महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है।

पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(3) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर में वर्तमान में 50 शय्याऐं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2011 में 57.55 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर की शय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्चच न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर पद भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथासम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र नोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती अवधि	विशेष विवरण
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	12/2009	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	1	3/2011	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	5/2010	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	—	—	—
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक सीएमओ)	1	—	—	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत
चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	2	2	05/2010 (2)	—
चिकित्सा अधिकारी	3	—		—
नर्स श्रेणी प्रथम	4	1	10/2011	—
नर्स श्रेणी द्वितीय	8	—	—	—
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—	—
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	—	—	—
लैब टेक्नीशियन	1	—	—	—
सहायक रेडियोग्राफर	1	—	—	—
वार्डबाय	5	2	5/2010 (2)	—
सफाई कर्मचारी	2	1	1/2011	—

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में रोग जांच की दरों में वृद्धि

933. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समस्त राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं? यदि हां तो कब से तथा नि:शुल्क दी जाने वाली दवाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय चिकित्सालयों में की जाने वाली समस्त जांचें भी नि:शुल्क करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में की जाने वाली समस्त जांचों की दरें बढ़ाई गई हैं? यदि हां, तो कब तथा समस्त जांचों की पूर्व में ली जाने वाली राशि एवं वर्तमान में ली जाने वाली राशि की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में की जाने वाली जांचों की दरें बढ़ाने का क्या कारण रहा तथा उसका आधार क्या रहा?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा समस्त राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं। दिनांक 02 अक्टूबर, 2011 से ''मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना'' प्रदेश भर में लागू की गई हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क दी जाने वाली दवाइयों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा एड्स, टी.बी., कुष्ठ रोग, अन्धता निवारण आदि में भी दवाइयां नि:शुल्क वितरित की जा रही हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(2) मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में शामिल बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, एड्स रोग से पीड़ित, जोधपुर शहर की चार नट व सांसी बस्तियां, विधवा, विकलांग, वृद्वावस्था, पेन्शनधारी, अन्तोदय अन्न योजना (सहरिया एपीएल परिवार) अन्नपूर्णा योजना, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनाथालय व नारी निकेतन आवासी, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दु:खान्तिका के पीड़ित परिवार व हीमोफिलिया व थैलेसीमिया रोग से पीड़ित मरीजों को नि:शुल्क जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20.04.2012 को विधान सभा में पोस्ट बजट अनाउसमेन्ट के दौरान निम्न श्रेणियों को भी मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है भोपा, बागरिया, बंजारा, गाडिया-लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव-मिरासी, जागा, जोगी, बाल्मिकी-हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख व भिश्ती।

अतः योजना के तहत इन श्रेणियों को भी निःशुल्क जांच सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष को राजकीय चिकित्सालयों में की जाने वाली जांच निःशुल्क किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

(3) राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में दिनांक 12.03.2012 से चिकित्सालय में की जाने वाली विभिन्न जांचों की दरें बढाई गई हैं ।

उक्त चिकित्सालय में की जाने वाली विभिन्न जांचों के लिये पूर्व में एवं वर्तमान में निर्धारित दर का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है ।

(4) राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में कई वर्षो से विभिन्न जांचों की दरें नहीं बढ़ाई गई थीं, जबकि जांचों के उपयोग में लिये जाने वाले किट्स एवं रिएजेन्ट्स की दरों में काफी बढ़ोत्तरी होने के कारण जांचों को पुरानी दरों पर सुचारू रखने में काफी कठिनाई हो रही थी, अतः किट्स एवं रिएजेन्टस की दरों में बढ़ोत्तरी होने के कारण ही आर.एम.आर.एस. की बैठक में निर्णय होने के उपरान्त जांच दरें दिनांक 12.03.2012 से बढ़ाई गई जो कि बाजार में प्रचलित दरों से कम हैं ।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कुपोषण उपचार केन्द्रों को आबंटित राशि

934. डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु सरकारी चिकित्सा

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

संस्थानों में कुपोषण उपचार केन्द्र खोलने की योजना कब से लागू की गई? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कहां से की जाती है? योजना के प्रारम्भ होने से 31 मार्च, 2012 तक प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि कब-कब उपलब्ध करवायी गई? केन्द्रवार उपलब्ध करवायी गई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपलब्ध करवायी गई धनराशि को किस-किस मद में व्यय करना था तथा कुपोषण उपचार केन्द्र द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? केन्द्रवार व्यय की गई राशि का वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कुपोषण उपचार केन्द्र खोलने की योजना वर्ष 2005-2006 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत अतिकुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं चिकित्सा विभाग के एएनएम तथा अस्पतालों के ओपीडी के माध्यम से चिन्हित कर कुपोषण उपचार केन्द्रों पर भेजा जाता है। वर्तमान में राज्य में 40 छः बिस्तंरीय एवं 100 तीन बिस्त रीय कुपोषण उपचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर अतिकुपोषित बच्चों के साथ रूकने वाले संरक्षक को रुपये 30 प्रतिदिन वेज कम्पनसेशन दिये जाते हैं। साथ ही अतिकुपोषित बच्चों को प्रतिदिन विशेष पोषण आहार (थेरापेटिक आहार) प्रदान किया जाता है। एवं चिकित्सकीय जटिलताओं के उपचार का प्रावधान है।

पीआईपी वर्ष 2012-2013 के कुपोषण उपचार केन्द्रों में भर्ती बच्चों के संरक्षकों को रुपये 135 प्रतिदिन वेज कम्पनसेशन देने का प्रस्ताव भिजवाया गया है।

(2) उक्त योजना के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम से की जा रही है। केन्द्र वार उपलब्धत करवाई गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) केन्द्रवार व्यय की गई राशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में सड़क पेच/निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

935. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सड़कों का रख-रखाव कार्य (पेचवर्क) किन नियमों के आधार पर किया जाता है? क्या पेचवर्क हेतु कोई गुणवत्ता मानक तय किये हुए हैं? यदि हां, तो नियमों एवं गुणवत्ता मानकों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पेचवर्क कार्य के लिए भी सरकार द्वारा कोई गारण्टी अवधि तय की हुई हैं? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित संवेदकों द्वारा सड़कों पर किये गये पेचवर्क गारंटी अवधि में खराब हो जाने पर पुनः नहीं किये जाते हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जिला अलवर में कितने पेचवर्क खराब होने की शिकायत पर पुनः पेचवर्क कार्य किये गये?

(4) क्या पेचवर्क कार्य को गारण्टी अवधि पूर्ण होने से पूर्व जांच किया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त जिले में कौन-कौन से पेचवर्क की जांच किस-किस अभियंता द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि गारण्टी अवधि में खराब हुए पेचवर्क को सम्बन्धित संवेदकों से पुनः गारण्टी में करवाने के स्थान पर सरकार द्वारा नवीन लागत से करवाने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो उक्त जिले में कहां-कहां इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

(1) राज्य के सड़कों का रखरखाव (पेच वर्क) आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय संसाधनानुसार किया जाता है। जी हां, पेच वर्क हेतु मानक सड़क व परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा तय किये हुए हैं। मानकों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। पेचवर्क कार्य साधारण मरम्मत की श्रेणी में आता है तथा इनके लिये गारण्टी अवधि तय की हुई नहीं है। गारण्टी अवधि तय किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। जिला अलवर में गत तीन वर्षों में शिकायत/अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पेचवर्क खराब पाये जाने की स्थिति में पुनः मूल संवेदक से ही ठीक कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। पेचवर्क कार्यों की जांच विशेष रूप से भुगतान पूर्व तथा सुरक्षा राशि लौटाने से पूर्व की जाती है। गत 3 वर्षों के पेच कार्यों की सुरक्षा राशि लौटाने से पूर्व जांच का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिवाना-कल्याणपुर स्टेट हाइवे का सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण

936. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना स्टेट हाइवे संख्या 66 सिवाना से कल्याणपुर तक क्षतिग्रस्त है? क्या उक्त स्टेट हाइवे की डामर सड़क के नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टेट हाइवे संख्या 66 के नवीनीकरण व चौड़ाईकरण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुये उक्त स्टेट हाइवे सिवाना से कल्याणपुर तक की डामर की सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्टेट हाइवे-66 के कि.मी. 0/0 से 10/0 एवं कि.मी. 27/0 से 30/0 तथा कि.मी. 43/0 से 80/0 तक कुल 50.0 कि.मी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य विद्यमान डामर सड़क की चौड़ाई 3.66 मीटर में रुपये 7.50 करोड़ के स्वीकृत एवं प्रगतिरत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। स्टेट हाइवे संख्या-66 सिवाना से कल्याणपुर तक डामर सड़क पर नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत हैं, उक्त सड़क के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीरय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

खारिया मोड़-रूदावल (बयाना) सड़क का नवीनीकरण

937. **श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से 2011 में खारिया मोड़ से रूदावल सड़क का नवीनीकरण करवाया गया था? यदि हां, तो किस सहायक अभियन्ता द्वारा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क नवीनीकरण के ठीक छह महीने में ही घटिया सामग्री का उपयोग करने के कारण टूट गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की पूरी राशि के बिल बनाकर राशि उठा ली गई?

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य के दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। खारिया मोड़ से रूदावल सड़क का नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2009-2011 में कराया गया था, उक्त अवधि में श्री नवल सिंह सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड रूदावल में कार्यरत थे।

(2) जी नहीं। वर्षाकाल में अत्यधिक वर्षा से उक्त नवीनीकरण कार्य क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी सम्बन्धित संवेदक से अनुबन्धानुसार मरम्मत कराई जा रही है।

(3) जी नहीं। संवेदक को केवल किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है।

(4) जी हां। उक्त नवीनीकरण कार्य अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे अभी तक संवेदक से ठीक नहीं करवाने के कारण सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है।

भीम-डासरिमा क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण

938. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत भीम से डासरिया ग्राम पंचायत जाने के लिये वाया टाडगढ़ रोड का निर्माण हाल ही में किया गया है? यदि हां, तो कब तथा किस योजना के द्वारा तथा इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग वर्तमान में पूरी तरह क्षतिग्रस्त है?

(3) क्या सरकार सम्बन्धित दोषी ठेकेदार का अनुज्ञापत्र रद्द कर एवं सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करते हुये उक्त सड़क का पुनः नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सम्पर्क सड़क डासरिया के 2 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य 13वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2011 में कराया गया था। कार्य के रखरखाव की जिम्मेदारी कार्य पूर्ण होने की तिथि से 5 वर्ष तक संवेदक की है।

(2) जी नहीं। सड़क के मोड़ पर कुछ भाग में सीलकोट खराब हो गया था। जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा पुनः सही कर दिया गया है।

(3) संवेदक द्वारा खराब सीलकोट को पुनः सही कर दिया गया है, अतः संवेदक व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम, नैनवां (बूंदी) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

939. **श्री प्रभुलाल सैनी** (हिण्डौली) व **बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 में सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम, नैनवां (बूंदी) के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी द्वारा क्षेत्र में अनेक ट्रांसफार्मर बिना बिजली कनेक्शन के लोगों को दे रखे थे, जिसकी विद्युत निगम की सतर्कता शाखा बूंदी द्वारा जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभूलाल सैनी)

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009-10 व 2010-11 में निगम द्वारा कृषि कनेक्शन जारी करने के पश्चात् स्वयं किसानों के द्वारा लाइन का काम, जिसमें पोल व तार खिंचाई आदि कार्य करवाए गए थे, लेकिन सहायक अभियंता द्वारा मैसर्स हनी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से उस कार्य का बिल उठाकर अनियमितता की गई है? यदि हां, तो उक्त वर्षों में उक्त फर्म द्वारा कितना-कितना बिल बनाकर भुगतान उठाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2011-12 में सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्काम, नैनवां जिला बूंदी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त शिकायत की जांच उप अधीक्षण पुलिस (सतर्कता), जयपुर डिस्काम, कोटा एवं सहायक अभियन्ता (सतर्कता), बूंदी से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। वर्ष 2009-10 में निगम द्वारा मै. हनी इलैक्ट्रिकल्स (हनी एन्टरप्राइजेज) को कार्य आदेश सं. 4384 दिनांक 26.08.09 से 150 कनेक्शनों एवं कार्यआदेश सं. 4385 दिनांक 26.08.09 से 150 कनेक्शनों के जारी किये गये थे। वर्ष 2010-11 में मै. हनी इलैक्ट्रिकल्स को कोई आदेश नहीं दिया गया था। मै. हनी इलैक्ट्रिकल्स को वर्ष 2009-10 के आदेश के विरुद्ध भुगतान किया गया था। जिसके बिल सत्यापन रिकार्ड के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बिल बनाकर सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापन किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियमानुसार निरीक्षण कर (कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार) बिलों का भुगतान निम्नानुसार किया गया:-

पत्र क्रमांक संख्या	**राशि**
1788/09.09.09	374691/-
1788/09.09.09	386479/-

(ऊर्जा मंत्री)

स्वयं किसानों द्वारा लाइन का कार्य जिसमें पोल व तार खिंचाई आदि कार्य करवाये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत जिला उपखण्ड स्तर पर प्राप्त न होने से कोई अलग से जांच नहीं करवाई गई है।

(4) प्रश्न संख्या 2 में वर्णित जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 15.02.12 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। प्रति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पीपल्दा में स्वीकृत 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना

940. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में 33 के. वी. के कितने ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां एवं कब-कब स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशनों की स्वीकृति के बाद लम्बे समय पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशनों के कार्य को प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में क्षेत्र पीपल्दा तहसील में वर्ष 2010-11 में 33/11 के. वी. के कुल 9 ग्रिड सब-स्टेशन निम्नानुसार स्वीकृत किये गये हैं-

1. विनायका 2. लुहावदा 3. गेंता 4. डूंगरली 5. सनमानपुरा 6. छापोल 7. मोरपा 8. कोटडा दीपसिंह 9. मनसावरा

(2) जी हां। वर्ष 2011-12 में प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों को भारी वित्तीय संकट से गुजरना पड़ा है जिसके चलते उक्त सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

(3) ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उक्त सभी 33/11 केवी के सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की

(ऊर्जा मंत्री)

उपलब्धतानुसार चरणबद्ध प्रकार से वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में पूर्ण करना लक्षित है।

भरतपुर के लम्बित कृषि कनेक्शन

941. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कब तक के विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से 2011 तक कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ताओं को सरकार कब तक विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के कृषि विद्युत कनेक्शन दिनांक 31.12.2007 तक के आवेदकों को दे दिये गये हैं तथा वर्ष 2011-12 में माह सितम्बर, 2008 तक के जारी किये गये मांग पत्रों में से जमा मांग पत्र वाले 150 कृषि आवेदकों में से 74 आवेदकों को कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से दिनांक 30 सितम्बर, 2008 तक सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन आवेदन करने वाले आवेदकों सहित दिनांक 31.03.2011 तक तुरन्त प्राथमिकता के पात्रता रखने वाले आवेदकों के मांग पत्र वर्ष 2010-11 में जारी कर दिये गये थे एवं कुल 150 आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा कराने जाने पर 74 आवेदकों को दिनांक 31.03.2012 तक कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष दिनांक 01.10.2008 से 2011 तक प्राप्त आवेदकों के मांग पत्र आगामी वर्षों में विद्युत एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार चरणबद्ध दिये जाना प्रस्तावित है।

बड़ी सादड़ी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की जांच/भौतिक सत्यापन

942. **श्री प्रकाश चन्द चौधरी** (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण किया गया है? यदि हां, तो कब,

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

कितनी लागत से, कौनसी कम्पनी द्वारा, किन अधिकारियों की देखरेख में, कौन से गांव, ढाणी, फला, मगरे में? निर्धारित संधारण प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक गांव, ढाणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं आवेदकों को कब-कब कनेक्शन देकर कितनी लागत के व कौनसी कम्पनी के कितनी क्षमता के विद्युत उपकरण व बल्व आदि दिये गये? निर्धारित संधारण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पंचायत समिति के गांव-ढाणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही से उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्य तय समय सीमा एवं निर्धारित मानदण्ड, गुणवत्ता तथा तय शर्तों के अनुसार नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? तथा कम्पनी एवं अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण का भौतिक सत्यापन एवं जांच करवाकर दोषी कम्पनी, सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने तथा क्षेत्र में अब तक बकाया राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्य को गुणवत्ता के साथ भौतिक रूप से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले की उक्त योजना दिनांक 13.03.08 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई। योजना की लागत 59.84 करोड़ रुपये है एवं उक्त योजना के अन्तोर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के विद्युतीकरण का कार्य मै. जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., जयपुर द्वारा सम्पादित किया गया है एवं उक्त कार्य निगम के संबंधित खण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, निम्बाहेड़ा के अधीन सहायक अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, बड़ी सादड़ी, सहायक अभियन्ता (पवस), अविविलिनि, डूंगला, सहायक अभियन्ता (पवस) अविविलिनि, भदेसर एवं अधिशासी अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, प्रतापगढ़ के अधीन सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), अविविनिलि, प्रतापगढ़ की देखरेख में सम्पादित किया गया। योजना में सम्मिलित गांव, ढाणी, फला, मजरे आदि का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त योजना में किसी से आवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उक्त योजना की स्वीकृति के पश्चात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशानुसार फिलिप्स कम्पनी की एक सीएफएल 14 वाट की तथा एक बीपीएल किट लगाकर 2002 की गणना के अनुसार योजना में सम्मिलित चयनित बीपीएल परिवारों को निःशुल्क घरेलू कनेक्शन जारी किये गये। प्रत्येक बीपीएल परिवार को कनेक्शन देने हेतु सम्पूर्ण उपकरणों की औसत लागत 2200 रूपये है। जारी किये गये कनेक्शनों का पंचायत समितिवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के मापदण्डों के अनुसार किया गया है एवं समय-समय पर योजना के कार्यों का विभिन्न स्वतंत्र केन्द्रीय सरकारी एजेन्सियों द्वारा तीन स्तरों पर गुणवत्ता मूल्यांकन/निगरानी की गई है।

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किये जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं निगरानी विभिन्न स्वतंत्र केन्द्रीय सरकारी एजेन्सियों द्वारा तीन स्तरों पर किया गया है/किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर

943. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में विद्युत डीपी व ट्रांसफार्मर जलने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में डीपी व ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य समय पर किया गया है? यदि हां, तो किस-किस डीपी व ट्रांसफार्मर को कितने-कितने समय में बदला गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में 357 ट्रांसफार्मर विभिन्न स्थानों पर जले हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में 357 ट्रांसफार्मर जलने के प्रकरण सामने आये हैं। उनको सामान्यतया निर्धारित अवधि में एवं ट्रांसफार्मर की उपलब्धता के आधार पर बदला गया है जिसका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले के पंचायतीराज कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

944. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में पंचायती राज के अधीन कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में पंचायती राज में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की स्थाई एवं अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का कब तक का प्रकाशन किया जा चुका है एवं कब से निर्धारण होना शेष है?

(3) क्या सरकार कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चूरू जिले में कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में पंचायती राज के अधीन कार्यालयों में (जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में) वरिष्ठ लिपिकों के 18 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 7 पद रिक्त है। पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	जि.प. चूरू	3	2	1
2	प.स. चूरू	3	0	3
3	प.स. राजगढ़	3	2	1

(पंचायतीराज मंत्री)

1	2	3	4	5
4	प.स. तारानगर	2	2	0
5	प.स. सरदारशहर	3	1	2
6	प.स. सुजानगढ़	2	2	0
7	प.स. रतनगढ़	2	2	0
	योग	**18**	**11**	**7**

(2) जिला चूरू में पंचायती राज में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की स्थाई एवं अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन वर्ष 2005-2006 तक किया जा चुका है।

वर्ष 2005-2006 के बाद वरिष्ठता का निर्धारण होना शेष है। अस्थाई वरिष्ठता सूचियां जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। कनिष्ठ लिपिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूचियां जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है। सूचियां तैयार होते ही प्रकाशन कर दी जावेगी।

(4) जी हां। कनिष्ठ लिपिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूचियां जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है। सूचियां प्रकाशन के उपरान्त कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

सहाड़ा के अल्पसंख्यक समुदाय क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं

945. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामों/मोहल्लों में हैण्डपम्प, सी सी रोड, नालियां एवं सामुदायिक भवनों का अभाव है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों/मोहल्लों में?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में वांछित सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामों/मौहल्लों में हैण्ड पम्प सी.सी. रोड, नालियां एवं सामुदायिक भवनों का अभाव है। उनकी पंचायतवार सूची परिशिष्ट 1, 2, 3 पर संलग्न है।

(2) पंचायती राज संस्थाओं को तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/निर्बन्ध राशि योजना (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसमें से ग्राम पंचायत ग्राम विकास के कार्य करवा सकती है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिरोही जिला परिषद में वाहन क्रय हेतु जारी स्वीकृतियां

946. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद सिरोही हेतु सरकार द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के जिला प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रधानों को कुल कितने वाहनों की स्वीकृति प्रदान की है? सरकार ने वाहन कार/जीप कौनसा माडल क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है?

(2) क्या जिला परिषद सिरोही द्वारा वर्ष 2010-2011 एवं 2011-12 में राज्यध सरकार से अधिकृत वाहन को ही क्रय किया जाता है अथवा क्रयादेश जारी किया है? क्या इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली गई है? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो इसकी अन्तर राशि का भुगतान किस मद से किया जायेगा और इस अधिक अन्तर राशि को स्वीकृति देने के लिये कौन अधिकृत है?

(3) क्या जिला परिषद की साधारण सभा अथवा सक्षम समिति से उक्त स्वीकृति का अनुमोदन लिया गया है? यदि हां, तो अनुमोदन बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम समिति के अनुमोदन के वाहन क्रय करने अथवा क्रय आदेश जारी करने में किस अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सरकार ने जिला परिषद, सिरोही हेतु विभागीय आदेश एफ 951 (21) (29) ग्राविपरा/लेखा/नि.अ./वाहन/सिरोही/06/13849 दिनांक 29.06.2010 एवं

(पंचायतीराज मंत्री)

विभागीय आदेश एफ 951 (21) (39) बजट घोषणा/जि.प.वा./1567-73 दिनांक 05.05.2011 के द्वारा वाहन क्रय करने हेतु एवं प्रत्येक पंचायत समितियों को विभागीय आदेश एफ 951 (21) (7) लेखा/ नि.अ./वाहन/06/1349 दिनांक 11.04.2011 के द्वारा प्रधानगणों के उपयोग हेतु एक डीजल वाहन डी.जी.एस.एन.डी. द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(2) जी हां। जिला परिषद सिरोही ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में किये गये अधिकृत वाहन ही क्रय किये गये हैं। विभागीय आदेश एफ 951 (21) (29) ग्राविपरा/लेखा/नि.अ./वाहन/सिरोही/06/ 13849 दिनांक 29.06.2010 एवं विभागीय आदेश एफ 951 (21) (39) बजट घोषणा/जि.प.वा./1567-73 दिनांक 05.05.2011 के द्वारा जिला परिषद सिरोही हेतु वाहन क्रय करने की स्वीकृति जारी की गयी है । प्रति संलग्न परिशिष्ट-अ पर है ।

(3) जी हां। वाहन क्रय करने हेतु दिनांक 08-05-2010 को आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में उक्त स्वीकृति से वाहन क्रय करने का अनुमोदन लिया गया है। जिला परिषद सिरोही बैठक कार्यवाही विवरण 08.05.2010 संलग्न परिशिष्ट-ब पर है ।

(4) जी नहीं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु मानदण्ड

947. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्य के लिये सामान क्रय करने हेतु क्या नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 174 से 192 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों हेतु सामग्री क्रय किये जाने का प्रावधान है। (नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाली के किसानों को मुआवजा

948. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में वर्ष 2011-12 के दौरान सर्दी/पाला से अरंडी, सरसों, जीरा व सभी प्रकार की सब्जियों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बाली में हुए नुकसान का ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार बाली क्षेत्र के उक्त फसलों के नुकसान से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली में हुए नुकसान का ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा राज्य में पाला एवं शीतलहर से प्रभावित कृषकों को सहायता देने हेतु 25.03.2012 को राहत पैकेज जारी कर दिया गया है जिसके तहत प्रभावित पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उक्तज पैकेज की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बान्ता (पाली) ग्राम पंचायत में बी.पी.एल. परिवार के चयन में अनियमितता

949. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बान्ता में श्री कानसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत के नाम कृषि भूमि, मोटर साइकिल व गुजरात में व्यवसाय है और उक्त व्यक्ति बी.पी.एल. की श्रेणी में है? यदि हां, तो क्यों व उक्त सर्वे किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किया गया? नाम एवं पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गलत सर्वे करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पाली जिले की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत बांता में कानसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत बीपीएल की श्रेणी में है।

उक्त व्यक्ति के पास बीपीएल सर्वे प्रपत्र के आधार पर कृषि भूमि का होना बताया गया है एवं मोटरसाइकिल एवं गुजरात में व्यवसाय होने के सम्बन्ध में बीपीएल सर्वे प्रपत्र में कोई जानकारी नहीं है।

उक्त सर्वे प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.12.2010 को प्रशासन गांव के संग अभियान में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर इसका सर्वे ग्राम सेवक श्री खेवरराम मीणा एवं पटवारी श्री प्रकाश चन्द्र द्वारा किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के पत्रांक 689 दिनांक 09.12.2010 के आदेशों के तहत प्रार्थी का बीपीएल में चयन किया गया है।

(2) जी हां। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जान-बूझकर एवं दुर्भावना पूर्वक गलत सर्वे सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है।

राजसमन्द में विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

950. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2009-10 से 2011-12 में विधायक स्थानीय विकास कोष से किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि की अनुशंसा की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधायक निधि से अनुशंसित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई? क्या कार्यों की अनुशंसित राशि तथा वित्तीय स्वीकृतियों की राशि में अंतर है? यदि हां, तो किन-किन कार्यों की स्वीकृतियों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में विधायक निधि से अनुशंसित कार्यों में से कितने तथा कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं एवं कौन कौन से कार्य अभी तक चालू ही नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अनुशंसित कार्यों का विवरण मय राशि संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 2 व 3 पर उपलब्ध हैं ।

(2) उक्त अवधि के विधायक निधि से अनुशंसित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 5 से 8 पर उपलब्ध है।

अनुशंसित राशि एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि में अंतर नहीं है। वर्ष 2009-10 के कार्यों को अकाल सहायता से डवटेल किये जाने के फलस्वरूप विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से अनुशंसित राशि की सीमा तक वित्तींय स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

(3) विधायक निधि से अनुशंसित कार्यों में से स्वीकृत पूर्ण, अपूर्ण, अभी तक चालू नहीं हुये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	चालू नहीं कार्य	निरस्त कार्य
2009-10	64	60	0	1	3
2010-11	83	63	13	7	0
2011-12	67	15	21	31	0

विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 11 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कानूजा (पाली) ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य मंत्री आवास योजना में नियम विरुद्ध आवास आबंटन

951. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 से 2011 तक जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत कानूजा में इंदिरा आवास योजना एवं जनता आवासीय योजना में आवेदन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो आवेदकों के नाम, पते, उन्हें जारी स्वीकृति, आक्षेप लगाये गये आवेदन, निरस्त आवेदन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसीराम)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवेदक जो इंदिरा आवास एवं जनता आवासीय योजना का लाभ उठा चुके थे, उन्हीं लोगों को वर्ष 2010-11 में कार्यरत विकास अधिकारी ने मिलीभगत करते हुये पुनः मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवास स्वीकृत कर धनराशि उपलब्ध करवा दी है? यदि हां, तो किन-किन को एवं क्यों? उक्त अवधि के दौरान कानूजा पंचायत में मुख्य मंत्री आवास योजना के लाभान्वितों का नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विकास अधिकारी ने पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत कानूजा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कानूजा के पास स्थित सड़क जो कि श्री ओमप्रकाश हरीजन के मकान हरीजन मौहल्ला तक जाती है, पर ग्राम पंचायत के विरोध के उपरान्त भी जानबूझकर अतिक्रमण करवा दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त दोनों ही प्रकरणों का भौतिक सत्यापन एवं जांच करवाकर दोषी तत्कालीन विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत कानूजा में वर्ष 2006 से अब तक इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उन आवेदकों के नाम, पते, उन्हें. जारी स्वी कृति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। जनता आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत कानूजा में किसी भी व्यक्ति को स्वीकृति जारी कर लाभान्वित नहीं किया गया तथा इंदिरा आवास एवं जनता आवास योजना के आवेदन पत्रों पर किसी तरह के आक्षेप एवं निरस्त आवेदन पत्र नहीं किये गये हैं।

(2) वर्ष 2010-11 में कार्यरत विकास अधिकारी ने मिलीभगत करते हुये मुख्यमंत्री आवास योजना में दुबारा किसी भी व्यक्ति को आवास स्वीकृत कर धनराशि उपलब्ध. नहीं कराई गई है तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायत कानूजा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानूजा के पास स्थित सड़क जो कि ओमप्रकाश हरीजन के मकान हरीजन मौहल्ला तक जाती है उस पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं करवाया गया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) जी नही।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बगरू में विधायक कोष से अभिशंसित कार्य

952. श्रीमती गंगा देवी (बगरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायक कोष से सम्बन्धित विधायक द्वारा लिखित अभिशंसा सम्बन्धित जिला कलक्टर कार्यालय में देने के बाद प्रत्येक कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो उक्त बाबत जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू के लिये जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक विधायक कोष से कौन से कार्य की कितनी राशि की अभिशंसा सरकार को क्षेत्रीय विधायक की ओर से कौनसी तिथि को मिली और सम्बन्धित कार्य पेटे कितने दिन बाद प्रशासनिक स्वीकृति एवं कितने दिन बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? प्रत्येक अभिशंसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से अभिशंसित कार्यों की तय समय सीमा में स्वीकृतियां जारी नहीं की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों तथा वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने के उपरान्त भी संवेदकों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि तकनीकी अधिकारियों की कार्य के प्रति लापरवाही के कारण विधायक कोष के कार्य समय पर स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधायक कोष के कार्यों की तय समय सीमा में स्वीकृतियां जारी करने, तय समय सीमा में कार्य प्रारम्भ करने व पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधायक फण्ड से सम्बन्धित विधायक द्वारा लिखित अभिशंषा देने के बाद प्रत्येक कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की निर्धारित की गई समय सीमा से संबंधित आदेश दिनांक 14.6.2010 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 22.10 द्वारा कार्यकारी संस्था द्वारा निर्माण कार्य को सम्पादित करने की निर्धारित अवधि से सम्बन्धित आदेश परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू के लिये जनवरी, 2011 से अब तक विधायक फण्ड से प्रत्येक कार्य की अभिशंसावार जारी प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बगरू में विधायक फण्ड से अभिशंषित कार्यों की तय समय सीमा में ही स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। कुछ कार्यों में प्रक्रियागत कारणों से विलम्ब हुआ है तथा स्वीकृति जारी होने के उपरांत सभी संवेदकों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिये जाते हैं। तय सीमा में हुए विलम्ब का कारण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। सभी कार्य समय पर ही स्वीकृत किये जा रहे हैं। कुछ कार्यों में प्रक्रियागत कारणों से ही तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब हुआ है। कार्यवार विलम्ब. का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं ।

(5) जी हां। परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध सूची के अनुसार अधिकांश कार्य यथा समय सम्पादित कराये गये हैं। कुछ कार्यों में प्रक्रियागत कारणों से ही तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब हुआ है जिनका कारण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

लक्ष्मणगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

953. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड एवं नियम हैं?

(2) राज्य के कितने विधान सभा क्षेत्रों में सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के कितने अनुदानित महाविद्यालय अब पूर्णतया निजी महाविद्यालय बन चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1- महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2- प्रस्तावित स्थान के 20 किमी की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित हों।

3- प्रस्तावित स्थान के 30 किमी की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

4- प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

(2) राजस्थान के 124 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सरकारी महाविद्यालय नहीं है। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य के 70 महाविद्यालय जिनको गत वर्ष तक अनुदान प्राप्त था अब पूर्णतया निजी महाविद्यालय बन चुके हैं। सूची परिशिष्ट -"ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 6 निजी क्षेत्र के महाविद्यालय अवस्थित है।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में वर्तमान में सरकारी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रतापगढ़ महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं

954. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2011-12 में कितने छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं? उक्त महाविद्यालय में ऐसे कितने कक्षा कक्ष हैं, जिसमें विद्यार्थियों के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डानुसार नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने एवं कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) महाविद्यालय में अध्ययनरत कितनी छात्राएं विभिन्न कक्षाओं में हैं, जिनका मूल निवास प्रतापगढ़ नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, ऐसी छात्राओं के

(श्री नन्दलाल मीणा)

महाविद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने एवं छात्रावास में प्रवेश के लिये क्या व्यवस्था की गई है? उक्त महाविद्यालय में किस-किस कक्षा में कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? शैक्षणिक सत्र 2011-12 में कितने को छात्रवृत्ति किन कारणों से जारी नहीं की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2011-12 में 1089 छात्र और और 738 छात्रायें कुल 1827 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय में 13 कक्षा कक्ष एवं एक हाल उपलब्ध है। सभी कक्षा कक्षों में बैठने की समुचित व्यवस्था है।

जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार 2 कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भिजवाया गया है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में ऐसी 588 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनका मूल निवास प्रतापगढ़ नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है।

किसी भी छात्रा ने छात्रावास में प्रवेश हेतु चालू सत्र में आवेदन नहीं किया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

150 छात्राओं को सत्र 2011-12 में छात्रवृति जारी नहीं हो पायी थी। समाज कल्याण विभाग से रु. 5 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के कारण इन 150 छात्राओं को इसी माह में भुगतान कर दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की किसी भी छात्रा ने छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन नहीं किया।

परिशिष्ट "अ"

अनुसूचित जाति व जनजाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार विवरण

क्र. सं.	कक्षा	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	बी. ए. पार्ट प्रथम	62	42	140	99
2.	बी. ए. पार्ट द्वितीय	20	13	70	27
3.	बी. ए. पार्ट तृतीय	38	20	97	50
4.	बी. काम. पार्ट प्रथम	5	6	3	8
5.	बी. काम. पार्ट द्वितीय	4	2	3	1
6.	बी. काम. पार्ट तृतीय	0	0	2	0
7.	बी.एस.सी. पार्ट प्रथम	7	5	15	3
8.	बी.एस.सी. पार्ट द्वितीय	1	6	4	0
9.	बी.एस.सी. पार्ट तृतीय	2	3	3	0
10.	एम.ए. पूर्वाद्ध	25	6	87	23
11.	एम.ए. उत्तरार्द्ध	14	3	39	7
	योग	**178**	**106**	**463**	**218**

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद हेतु पात्रता

955. श्री अनिल जैन (खानपुर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालय एवं कालेजों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु नेट/स्लेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले पी.एच.डी. धारक अभ्यर्थी योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय नेट/स्लेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले छात्रों को पी.एच.डी. के आधार पर सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र मानेगा या नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन छात्रों ने यू.जी.सी के आर्डिनेन्सर दिनांक 11 जुलाई, 2009

(श्री अनिल जैन)

से पूर्व पी.एच.डी. में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्या वे सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे? यदि नहीं, तो क्यों? सम्बन्धित आदेशों/परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना 1 जून, 2009 (राजपत्र में प्रकाशन तिथि 11-17 जुलाई, 2009) के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्युलेशन 2009 के प्रावधानानुसार पी.एच.डी. करने वाले अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट परीक्षा से छूट दी गई है । सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2009 के अन्तर्गत पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की है, को नेट/स्लेट उत्तीर्ण नहीं करने के बावजूद सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र माना जायेगा। अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार नेट/स्लेट की अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

(3) जी नहीं। जिन छात्रों ने यू.जी.सी. के आर्डिनेन्स दिनांक 11.7.2009 से पूर्व पी.एच.डी. में रजिस्ट्रेशन करा रखा है वह सहायक प्रोफेसर के पद के लिए तभी योग्य माने जायेंगे जब उन्होंने नेट/स्लेट भी उत्तीर्ण की हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सम्बन्धित अधिसूचना परिशिष्ट-अ एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश 141 डी की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आर.पी.एम.टी. 2012 हेतु नवीन पाठ्यक्रम

956. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर.पी.एम.टी. 2012 के लिये नया पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है? यदि हां, तो अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया?

(2) उक्त पाठ्यक्रम को लागू करने में देरी के लिये कौन अधिकारी दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। आर.पी.एम.टी. 2012 के लिये कोई नया सलेबस लागू नहीं किया जा रहा है।

(2) चूंकि नया सलेबस लागू नहीं किया जा रहा है अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या –517 की प्रतियां)

No. J-11060/1/20111-MGNREGA-1
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(MGNREGA Division)

****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 18th Oct, 2011

Circular

Subject : Amendment in para 6.1.1 (viii) of MGNREGA Operational Guidelines related to rural connectivity.

Rural connectivity to provide all-weather access is one of the permissible works under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) (sub para viii of para 1 of Schedule I). Requests have been received from State Governments for modifying the relevant provisions of Operational Guidelines to allow Cement Concrete Roads (CC Roads) and also for use of cement concrete interlocking boxes/tiles for internal roads.

The matter has been examined in consultation with various stake holders and it has now been decided by the competent authority to amend para 6.1.1 (viii) of MGNREGA Operational Guidelines related to rural connectivity. The revised para 6.1.1 (viii) of MGNREGA Operational Guidelines will read as follows :

(viii) Rural connectivity to provide all-weather access comprises of two categories of roads (1) Roads that connect a village to another village or to a main road and (2) Roads that are internal (within the residential areas of villages.

As regards category (1) above, care should be taken not to take up roads included in the PMGSY network under Mahatma Gandhi NREGA and construction of such roads should include culverts/Cross drainage where necessary,

As regards internal roads, the following is to be observed :

(a) Stone kharanja or brick kharanja should be provided

(b) If Stone or brick are not available locally, then subject to non availability certificate by the DPC, cement concrete roads may be taken up. However, no cement concrete interlocking tiled roads should be taken up under Mahatma Gandhi NREGA.

(c) The width of such internal roads taken up under this provision should not be more than 2.5 meter.

(d) Internal Roads within the village area should be taken up alongwith proper drainage arrangement.

(e) Priority should be given to roads that give access to SC/ST habitations.

(f) The aggregate labour material ratio should not be more than 60:40 at district level.

All the State Rural Department Departments are advised to bring the above amendments to the notice of all the implementing agencies.

P.N. Shukla

Under Secretary to the Government of India

No. J-11060/1/20111-MGNREGA-1

Government of India

Ministry of Rural Development

Department of Rural Development

(MGNREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated 6th January, 2012

Subject : Use of cement concrete interlocking block for construction of village internal roads under MGNREGA.

Vide circular referred above, cement concrete interlocking block roads are not permitted for construction of village internal roads to be taken up under MGNREGA. Several requests have been received for permitting use of cement concrete interlocking blocks for internal roads.

The requests received from State Governments have been examined and it has been decided to review the decision.

The following amendment is, therefore, being issued to the circular referred above.

Para (viii) (a), (b) & (f) of the circular referred above may be read as under :

(viii) (a) As per local availability of material and requirement of the area for the construction of village internal streets (not roads connecting habitations). Stone kharanja or brick kharanja or cement concrete or cement concrete interlocking blocks may be used.

(b) The State Government will lay down procedure to ensure that the quantity of material being procured & the process used for laying precast cement concrete blocks in constructing cement concrete interlocking block roads follow appropriate standards. (IRC reference **IRC SP: 63-2004** "Guidelines for the use of Interlocking Concrete Block Pavement" may be referred to)

(f) Labuor material ratio 60:40 should be mainained at the Gram Panchayat level.

Remaining paras of the circular dated 18th October, 2011 will remain the same.

P.N. Shukla

Under Secretary to the Government of India)

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-519 की सूची)

क्र. सं.	नाम ग्राम	अतिक्रमी का नाम	ख.नं.	अतिक्रमित रकबा	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1	मोरोली (तह. डीग)	1. राजन\गंगाजल जाट सा. मोरोली	1047	0.10	मौके से बेदखल किया जा चुका है।
		2. गुलाब\भागमल जाट सा. मोरोली	1105	0.00	
		3. शिवसिंह\भूपसिंह जाट सा. मोरोली	1105	0.00	
		4. तुलाराम\मोहनलाल जाट सा. मोरोली	1105	0.05	
		5. राजेन्द्र\रामदयाल जाट सा. मोरोली	1105	0.08	
		6. जगन रामदयाल जाट सा. मोरोली	1105	0.52	
		7. नारायण\कमल जाट सा. मोरोली	1105	0.15	
		8. भगवान\कमल जाट सा. मोरोली	1105	0.15	

1	2	3	4	5	6
2.	अलीपुर (तह. डीग)	1. राधे/हरकिशनव धौरी पत्नि सीताराम गुजर सा. अलीपुर 2. राधे हरनाम, विजेन्द्र, रामकिशन, सियाराम पि. जसमत गूजर सा. अलीपुर	340/767 340/767	0.02 0.07	दि. 6.3.12 को बेदखली आदेश जारी
3.	डाबक (तह. नगर)	रूपसिंह/हरीसिंह जाति गुजर नि. डाबक तह. नगर	614	0.09	स्थगन आर.ए.ए.
4.	एडलवास (तह. नगर)	1. रामहरी/किशोरी जाति हैठासी ब्राहम्ण सा. पड़लवास 2. परनी/किशोरी जाति हैवासी ब्राहम्ण सा. पड़लवास 3. श्रीचन्द/राधे जाति हैवासी ब्राहम्ण सा. पडलवास 4. मंगल/हरचन्दी जाति हैवासी ब्राहम्ण सा. पडलवास 5. अखैराय/हरचन्दी जाति हैवासी ब्राहम्ण सा. पडलवास 6. भागराम/रामस्वरूप हैवासी ब्राहम्ण सा. पडलवास	537 531 537 537 537 537	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	दि. 17.2.12 को बेदखली आदेश जारी। इजराय होना शेष है।
5.	द्वारकापुर सुकैती (तह. नगर)	1. हसन मौहम्मद/मल्लू जाति मेव नि. द्वारकापुर सुकैती तह नगर 2. आराखां/गिपाजखां जाति मेव नि. द्वारकापुर सुकैती तह नगर	134 134	0.16 0.20	दि. 17.2.12 को बेदखली आदेश जारी। इजराय होना शेष है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)